राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का तृतीय दिवस [संख्या ३

बुधवार, १२ अगस्त, १९५९

———

विधान सभा की बैठक म०पू० ११ बजकर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, कृषि, विद्युत, सिंचाई, सहकारी, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, यातायात तथा खाद्य एवं रसद-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६३

श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ६४

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

राहुवास सड़क का निर्माण

६५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) निजी सचिव, निर्माण मंत्री के पत्र संख्या १४११ दिनांक २८।४।५८ द्वारा राहुवास सड़क बाबत बताया गया था कि उचित कार्यवाही हेतु चीफ इन्जीनियर के पास भेजा है, उसमें क्या कार्यवाही की गई और कहीं काम भी शुरू किया गया या नहीं ?

(२) इसी प्रकार पत्र संख्या १०१६ दिनांक २४।३।५८ पत्र संख्या १४१३ दिनांक २८।४।५८ व पत्र संख्या २४०३ दिनांक २४।६।८५ में वर्णित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर महोदय नहीं आये हैं इसलिए इसका जवाब बाद में दे दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister has not come,

नेक्स्ट।

Page No.2

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६६

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मंत्री क्यों नहीं आये ? उनके लिए आना लाजिमी है।

He should be punctual.

श्री उपाध्यक्ष : Next time I shall think over this question.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उनको समय पर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

टोंक अदालत में मुलजिम एवं गवाहान को फरार करने की घटना

६७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न तो उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ता० १०-५-५८ को सेक्शन २२५।३५३ के अन्तर्गत एक केस पुलिस टोंक से अदालत टोंक में चालान हुआ था ? अगर हां, तो किस अदालत में ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त केस में मुलजिम अथवा गवाहान को फरार कराने की घटना हुई थी ? अगर हां, तो किसके द्वारा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं, वैसे दिनांक १०-५-५८ कोतवाली टोंक में भारतीय दण्ड संग्रह की धारा २२५, २१६, ३५३ एवं २२४ के अन्तर्गत एक प्रकरण अंकित किया गया। क्योंकि जब एक हत्या के प्रकरण से सम्बन्धित अपराधी नाथू, बजरंगा एवं विजयनारायण को पुलिस ने आर टी. ओ. दफ्तर के निकट बंदी बनाया तो गंगालाल पटेल ने हस्ताक्षेप किया एवं नाथू एवं बजरंगा को पुलिस के अधिकार से छुड़ा दिया। इसके पश्चात् बजरंगा एवं नाथू अपराधियों ने न्यायालय में प्रवेश किया और ए. सी. एम. टोंक के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया।

(२) जी हां, उपरोक्त घटना श्री गंगालाल पटेल के सहयोग से हुई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि गंगालाल ने उनको छुड़ा दिया तो उसके मुतल्लिक अदालत में बयान हुए तो उसके खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके खिलाफ जुर्म बना। मुकदमा बनाया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो फिर गंगाराम ने अपने बयानों में यह लिखाया कि फलाँ आदमी के कहने से छुड़ाया था।

श्री रामकिशोर व्यास : बयानों से आपको क्या मतलब है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब पटवारी को मालूम था कि वह मुलजिम है तो उसने उनको छुड़वाया और बाद में यह उसको कहा गया कि वह आत्म-समर्पण करे, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जानकारी नहीं है।

Page No.3

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आप अब इसकी जानकारी करावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६८

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

नेक्स्ट ।

अकलेरा के थानेदार श्री किशोरसिंह के विरुद्ध रिश्वत का आरोप

६६. श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम खेजड़ा, तहसील अकलेरा के निवासी एक फकीर व एक मीणा ने दर्ख्वास्त दी है कि थानेदार किशोरसिंह ने मारपीट कर ५००) रु० रिश्वत के उनसे जबरन ले लिये ?

(ख) क्या उक्त शिकायत को किए करीब १ वर्ष का समय हो गया है ?

(ग) क्या उक्त मामले की तहकीकात पुलिस कर चुकी है और गवाहान के बयानों से ५००) रु० रिश्वत लेना साबित हो चुका है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास):

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले की जांच की जा चुकी है और आरोपों में तथ्य नहीं पाया गया ।

श्री संपतराज : कौन इसकी जांच करने के लिए गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस. पी. गया होगा ।

श्री संपतराज : एस. पी. गया था या और कोई गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास :- इसमें सर्कल इन्सपेक्टर और डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट वगैरा हैं ।

श्री संपतराज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो वहां पर जांच करने के लिए एस. पी. गया न कोई डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट गया । जो सर्कल इन्सपेक्टर गया उसने स्पष्ट साबित होते हुए भी इस मामले को दबा दिया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या तकरीर कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप इनकी तकरीर को ही प्रश्न के रूप में मान लीजिए ।

(श्री गिरधारीलाल)

प्राईवेट पावर हाउसेज के कर्मचारियों की सर्विस को चालू मानना एवं सुविधायें ।

७०. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार ने कितने प्राईवेट पावर हाउसेज को अपने आधीन ले लिया है ?

(श्री गिरधारीलाल)

(ख) जिन पावर हाउसेज को सरकार ने व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने आधीन ले लिया है क्या वहां के कर्मचारियों की सर्विस को चालू माना गया है ? अगर हां, तो किस किस पावर हाउस में ?

(ग) क्या वहां के कर्मचारियों को अब सरकार व बोर्ड की तमाम सुविधाएँ मिल रही हैं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि सिरोही पावर हाउस के कर्मचारियों की सर्विस को चालू नहीं माना गया व उन्हें बोर्ड में मिल रही सुविधाएँ भी नहीं दी जा रही हैं ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि सिरोही पावर-हाउस के कर्मचारियों को ५) ६० की मासिक वृद्धि नहीं दी गई जो बोर्ड के समस्त कर्मचारियों को १ अक्टूबर, १९५८ से दी गई है ?

उप मंत्री विद्युत : (श्री भीखाभाई)

(क) तीन : सिरोही, फलोदी, सीकर।

(ख) जिनको सर्विस में लिया गया केवल उनकी सर्विस अलग चालू मानी गई। सिरोही के सब और सीकर के वे लोग जो उपयुक्त पाये गये नौकरी में लिये गये।

(ग) जहाँ पर उनको इन्टीग्रेट कर लिया गया वहां ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

१०० मन से अधिक गल्ला रखने के लिए लाईसेन्स

७१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि १०० मन से अधिक गल्ला रखनेवालों के लिए लाईसेन्स लेना और हर १५ वें रोज हिसाब देना अनिवार्य रखा गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि ऐसा करने से काश्तकारों को परेशानी हो जाने से काश्त में बाधा उत्पन्न होती जा रही है जिसकी वजह से असंतोष बढ़ता जा रहा है ?

(ग) क्या यह सही है कि १०० मन से अधिक गल्ला काश्तकार के पास हो उसको सरकार जब्त कर लेती है ? अगर हां, तो क्या जब्त से पहले सरकार काश्तकार की विभिन्न आवश्यकताओं का विचार रखती है ?

(घ) टोंक डिस्ट्रिक्ट में गल्ला सन् १९५६ में अब तक तहसील वाइज कितना कितना फ्रीज किया और कहां और किस भाव से बेचा गया ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसादगुप्ता):

(क) जी हां, केवल व्यापारियों के लिए।

(ख) जी नहीं, काश्तकारों को न तो लाईसेन्स लेना पड़ता है और न हिसाब ही देना पड़ता है क्योंकि वे खाद्यान्न के व्यापारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं

Page No.5

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घ) किसी तहसील में सरकार ने गल्ला जब्त नहीं किया तो कहां और किस भाव बेचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि काश्तकारों को यह लाजिमी नहीं है। कोई गल्ला नहीं लिया गया इसलिए अनाज बेचने का प्रश्न नहीं उठता तो क्या यह सही है कि देवली और उनियारा में किलाना जाट और गणेश इत्यादि बहुत से गावों के लोगों केयहां से काश्तकारों का अनाज पकड़ा गया और उसे ट्रक में भरकर और जगह बिकाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने जो प्रश्न (ख) और (ग) में पूछा है उसका उत्तर दिया है कि उनसे कोई अनाज नहीं लिया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनसे अनाज फ्रीज किया गया है । और जब उनसे अनाज फ्रीज किया जावे उनके खाने के लिए और दूसरी आवश्यकताओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । उनके ६० या ७० मण गल्ले को १०० मन गल्ला बता कर पकड़ा गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप इस संबंध में कोई जानकारी देंगे तो जांच करूंगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा के तमाम काश्तकारों ने कलेक्टर के पास इसकी शिकायत की है कि जिनके पास ५०० मन अनाज होता है उनको गिरफ्तार नहीं करते और उनका चालान नहीं करते और गरीब किसानों को परेशान किया जाता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप बहुत पुरानी बात कहते होंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह पुरानी बात नहीं है । यह तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह बात सही नहीं है कि कलेक्टर को ग्रेन रिक्वीजिशन करने के लिये ऑथेरिटी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फ्रीज करने की ऑथेरिटी कलेक्टर को है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही नहीं है कि कलेक्टर ने इस ऑथेरिटी को एक्सरसाइज किया है और किसानों के नाज को फ्रीज किया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने टोंक का जवाब दिया है न कि राजस्थान के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स का ।

प्रश्न संख्या ७२

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित

जिला जयपुर के अस्पतालों में पागल कुत्तों के काटने के इलाज की व्यवस्था

७३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.6

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(क) क्या यह सही है कि पागल कुत्तों के काटने के इलाज की व्यवस्था लालसोट, दौसा, सिकराय, बस्सी, चाकसू, बांदीकुई तहसीलों के अस्पतालों में नहीं है ?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहां पर उपरोक्त व्यवस्था कब से प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (क) दौसा के अतिरिक्त अन्य कथित स्थानों में पागल कुत्तों के काटने के इलाज की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) अर्थाभाव व ट्रेन्ड व्यक्ति न मिलने के कारण हर तहसील में पागल कुत्तों के काटे हुए व्यक्तियों के इलाज हेतु केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

भीनमाल, जिला जालोर के नगरपालिका क्षेत्र की सहकारी समितियां

७४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालोर के भीनमाल म्यूनिसिपल क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियां हैं ? उनका रजिस्ट्रेशन कब कब हुआ और उनको रकम कितनी व कब कब मिली ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उक्त सोसाइटियों में से कितनी सोसाइटी काम करती हैं और उनमें से कितनी सोसाइटियों को दुबारा लोन व ग्रान्ट–इन-एड मिलने की सिफारिश की गई है ?

उप मन्त्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जिला जालोर के भीनमाल म्यूनिसिपल क्षेत्र में ४ सहकारी समितियां हैं। उनके रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी व रकम मिलने सम्बन्धी सूचना सूची में दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(२) उक्त सोसाइटियों में चारों सोसाइटियां काम कर रही हैं । उनमें से दो सहकारी समितियों को दुबारा लोन व ग्रान्ट–इन–एड मिलने की सिफारिश की गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कृषि के लिये आपने कृषि बहुधंधी समिति को ऋण दिया तो क्या इसके पास जमीन है ?

श्री दौलतराम सारण : जमीन उनके पास होगी। वे उस समिति के सदस्य हैं। ऋण भी दिया गया है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जमीन नहीं दी तो फिर किस तरह लोन लेकर काम कर रही हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जमीन पहले से है । इन्होंने एक समिति बनाई और इसीलिये ऋण दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

जयपुर जिले के डिस्ट्रक्ट मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर के कार्यालय को किशनगढ़ से दौसा लाने की योजना

७५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

Page No.7

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(क) क्या जयपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एन्ड हैल्थ ऑफीसर का दफ्तर जो पहले किशनगढ़ में था उसे दौसा में रखे जाने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो यह दफ्तर कब तक दौसा भेज दिया जावेगा ?

उप मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) उपयुक्त भवन की व्यवस्था हो जाने पर शीघ्र ही दफ्तर दौसा भेज दिया जावेगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : व्यवस्था पूरी है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): मकान की व्यवस्था नहीं हैं, पूरी होने पर भेजा जावेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अजमेर को क्यों छोड़ दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहा इसलिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हैडक्वार्टर के स्टाफ का अलाउन्स

७६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के हैड क्वार्टर पर कौन कौन सी मदों में एक्जीक्यूटिव स्टाफ काम करता है और किन किन को क्या क्या अलाउन्स दिया जाता है ? जिला वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच, प्रोसीक्युशन ब्रांच एवं क्राइम ब्रांच में एक्जीक्यूटिव स्टाफ काम में आता है। क्राइम ब्रांच में कार्य करनेवाले स्टाफ को कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। डी. एस. बी. व प्रोसीक्युशन ब्रांच में काम आनेवाले स्टाफ को मन्जूर हुआ भत्ता इस प्रकार है :—

डी. एस. बी.

१. इन्सपेक्टर	२०) रु०	प्रति माह
२. सब-इन्सपेक्टर	१५) रु०	,,
३. हैड कॉन्सटेबल	७) रु०	,,
४. कॉन्स्टेबल	५) रु०	,,

प्रोसीक्युशन ब्रांच

१. पी. आई.	३०) रु०	प्रति माह
२. पी. एस. आई.	२०) रु०	,,
३. हैड कान्सटेबल	१०) रु०	,,

प्रत्येक जिले में नियुक्त स्टाफ का नकशा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्राइम ब्रान्च में काम करनेवालों को भत्ता क्यों नहीं दिया जाता ?

Page No.8

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार की कहीं भी प्रेक्टिस नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : एक ब्रांच को तो दिया जाता है और दूसरी को नहीं तो यह सरकार की ओर से विषमता क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेशल ड्युटीज़वालों को दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

तहसील नोखा में जल बोर्ड द्वारा कुँओं का निर्माण

७७. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील नोखा, जिला बीकानेर में जल बोर्ड द्वारा कुल कितने कुँओं का कार्य आरम्भ करवाया गया था ? उनमें से कितने कुँओं का कार्य सम्पूर्ण हुआ तथा कितने कुँए अद्यावधि अधूरे पड़े हुए हैं ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या सरकार इन अधूरे पड़े हुए कुँओं को सम्पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो इनका कार्य कब तक पुनः चालू हो जावेगा ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : वाटर बोर्ड के दफ्तर क्लॉज हो गये हैं और चूंकि अभी तक रेकॉर्ड आया नहीं है इसलिए 'क' का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(ख) डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी के पास भेजा हुआ है। इसमें गवर्नमेन्ट के आदेश का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : रेकॉर्ड आने पर जवाब दिया जावेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वाटर बोर्ड का दफ्तर क्लॉज हो गया। अकाउन्ट्स आये नहीं हैं 'क' का उत्तर बाद में दिया जावेगा और यदि सूची चाहेंगे तो सूची भी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

गुड़गांव नहर की योजना

७७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गुड़गाँव नहर की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना में पंजाब व राजस्थान सरकार का कितना कितना हिस्सा है ?

(२) उक्त नहर से राजस्थान के कौन कौन से हिस्से को पानी मिलेगा ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री भीखा भाई) : (१) गुड़ गाँव नहर की योजना अभी विचाराधीन है। पानी में बराबर का हिस्सा राजस्थान व पंजाब का निर्धारित किया गया है।

(२) इस योजना से राजस्थान की कामाँ, डीग व भरतपुर तहसीलों में लगभग ४०, ००० एकड़ भूमि की सिंचाई की संभावना है।

Page No.9

श्री भीमसेन : यह नहर कहाँ से लाई जावेगी ?

श्री भीखाभाई : आगरा केनाल से। पंजाब की सरकार ऐसा विचार कर रही है और उनके सामने आॅलटर्नेटिव प्रोपोजल हैं कि वेस्ट जमुना केनाल से भी लाया जावे।

श्री भीमसेन : सरकार को चाहिये कि लोगों को जिस केनाल से ज्यादा पानी राजस्थान में मिले वहाँ से ही लावे।

श्री भीखाभाई : यह पंजाब सरकार पर निर्भर है कि किस केनाल से पानी लेगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : विचाराधीन है या कोई निश्चित प्रोपोजल हो चुका है ?

श्री भीखाभाई : प्रोपोजल है। अब तक तो प्रोपोजल ही प्रोपोजल है, यह नहीं है कि कोई काम शुरू हो गया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार के यह नोटिस में आया है कि पंजाब सरकारी ने पानी टनल से निकालना था उसको तो छोड़ दिया है और अब लिफ्ट से लेने का विचार कर रही है ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि दो नहरों में से किसी नहर से लेने का विचार है। पंजाब सरकार अभी तक किसी एक फाइनल प्रोपोजल पर नहीं आई है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या राजस्थान सरकार से उस सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं लिया गया ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उप मंत्री महोदय को यह मालूम होना चाहिये कि इस सदन में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि नहर के प्रोपोजल फाइजनेलाइज हो गये और शीघ्र ही राजस्थान गवर्नमेंट फाइनेलाइज़ करेगी।

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और आज भी अर्ज करता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट ने तो यह डिसिजन ले लिया है कि इससे हिस्सा लेना है। सारी स्कीम फाइनेलाइज़ होगी। भारत सरकार उसको देखेगी। जहाँ तक पानी लेने का सवाल है We have taken a decision to participate

प्रश्न संख्या ७६

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

देहली की किसी फर्म को एलोपैथिक औषधियाँ सप्लाई करने का आॅर्डर

८०. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या गत वर्ष देहली की किसी फर्म को एलोपैथी की औषधियां सप्लाई करने का आॅर्डर दिया गया था ?

Page No.10

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(ख) यदि हां, तो क्या उस आर्डर देने से पहले इस बात की जाँच करली गई थी कि सम्बन्धित फर्म औषधि सप्लाई करने का कार्य करती है या निर्माण करने का ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में यह भी जांच करली गई थी कि इस फर्म द्वारा लगाये गये मूल्य की अपेक्षा बम्बई से काफी कम मूल्य में वे औषधियां प्राप्त हो सकती हैं ?

(घ) यदि हां, तो फिर उस फर्म से अधिक मूल्य देकर औषधियां क्यों खरीदी गई?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) गत वर्ष ५८-५६ में समस्त दवाइयां डी.ए.डी.जी. (एम.एस.) बम्बई से मंगवाई जाती थी। क्योंकि यह विभाग उसके रेगुलर इन्डेन्टर्स की लिस्ट में सम्मिलित किया जा चुका था। केवल वे औषधियां जो डी.ए.-डी.जी. के यहां उपलब्ध नहीं थी तथा जिनके लिए उसने नॉन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया था औषधि विशेष के निर्माण-कर्त्ता से मंगाई गई थी।

(ख) औषधियां केवल दवा विशेष के निर्माण-कर्त्ता फर्मों से ही खरीद की गई थी।

(ग.घ) जब औषधियां उनके निर्माण करनेवाली फर्मों से ही चाहे वह देहली में हो अथवा बम्बई में खरीद की गई थी तो अन्य किसी फर्म से उसके मूल्यांकन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। निर्माण करनेवाली फर्मों के भाव वही औषधियां बेचनेवाली फर्मों से सस्ती होती हैं इसलिए अधिक मूल्य देकर खरीद करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : निर्माण करनेवाले थे या वे सप्लाई करनेवाले थे, इसका क्या जवाब दिया जिस फार्म से देहली में आपने लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ओरिजिनल कॉन्ट्रेक्ट था। वह तो बम्बई के असिस्टेन्ट डाईरेक्टर से खरीदी। उनके पास नहीं मिली; उन्होंने एजेन्ट को डाईरेक्ट कर दिया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : देहली में मेन्यूफेक्चरार हैं या सप्लायर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ तो मेन्यूफेक्चरार हैं उनसे खरीद ली।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बम्बई का भाव एक है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोवेस्ट है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सूचना यह है बॉम्बे में खरीदी जाती तो कम कीमत दी जाती और देहली में खरीदी इसलिए ज्यादा दी गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी इन्डीविजुअल मेडीशन के बारे में बतयें तो मैं अर्ज कर सकता हूँ। लिस्ट हमारे पास है। मेन्यूफेक्चरार से एजेन्ट ने दिया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपने प्राइस लिस्ट से खरीदी क्या ? एलोपेथी में तीन प्रकार की प्राइसेज होती हैं। एक रिटेल, दूसरी होलसेल और तीसरी हॉस्पिटल्स के लिए चेरिटी। तो क्या चेरीटेबल या होल सेल प्राइस पर खरीदी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स हैं उन्होंने खरीदी हैं और लोएस्ट रेट पर खरीदी हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : जो हॉस्पिटल्स के लिए चेरीटेबल रेट्स होती हैं उस हिसाब से खरीदी या होलसेल प्राइस पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो, तीन रेट्स होती हैं। लेकिन यह मालूम नहीं कि चेरिटेबल प्राइस से खरीदी हैं या लॉयेस्ट प्राइस पर खरीदी हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : चेरिटेबल रेट्स अलग होती हैं। आप यह मालूम करिये औषधियाँ चेरिटेबल रेट्स से खरीदी हैं तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप तीनों रेट्स को एकनोलेज करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी भी ईमानदार दूकानदार के यहाँ तीन तरह की रेट्स नहीं होती एक ही रेट होती हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरा प्रश्न साफ था कि किस कीमत पर औषधियाँ खरीदी गईं इसका ठीक जवाब नहीं मिला।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हॉस्पीटल रेट पर खरीदी गई हैं दवाइयाँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

मजदूर सोसाइटी डीडवाना (नागोर) को प्राप्त धन राशि

८१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (साँचोर) : क्या मन्त्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मजदूर सोसाइटी डीडवाना, जिला नागोर कब रजिस्टर हुई और उसके कौन कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उक्त सोसाइटी का सेक्रेटरी श्री रामनाथ जो कि विकास खण्ड में क्लर्क है नियुक्त किया गया है ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि सोसाइटी को जो रुपये मिले हैं वे सोसाइटी के मेम्बरान को नहीं दिये गये हैं और इसकी शिकायत भी सरकार से की गई है ? यदि हाँ, तो कब और उस पर क्या एक्शन लिया गया है ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) :

(१) दिनांक १०-१-५५ को सदस्यों की नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द : आइटम नं० ६ पर जिनका नाम है वे श्री रामनाथ ब्लॉक के कर्मचारी हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कर्मचारी जरूर हैं किन्तु आपने जो पूछा कि सेक्रेटरी हैं वे सेक्रेटरी नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : श्री रामनाथ ब्लॉक के कर्मचारी हैं या नहीं ?

Page No.12

श्री दौलतराम सारण : श्री रामनाथ विकास खण्ड में कर्मचारी हैं किन्तु मन्त्री नहीं कोषाध्यक्ष थे, और उन्होंने ५-७-५८ तक अवैतनिक काम किया और विकास खण्ड डीडवाना में १-५-५५ से क्लर्क हैं ?

श्री लक्ष्मीचन्द : जिस वक्त निकले उस वक्त क्लर्क भी थे और सोसाइटी के मेम्बर भी थे ?

श्री दौलतराम सारण : सोसाइटी के मन्त्री नहीं थे सदस्य थे. अवैतनिक कोषाध्यक्ष का काम भी करते थे ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या कोई सरकारी कर्मचारी सोसाइटी का मेम्बर बन सकता है ?

मन्त्री, सहकारी (श्री नाथूराम मिर्धा) **:** उस वक्त मे जब कि काम कर रहे थे सरकारी क्लर्क नहीं थे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) **:** क्या आप डेट बता सकते हैं जिस वक्त सोसाइटी में काम कर रहे थे सर्विस में नहीं थे और किस डेट को सर्विस में आये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जैसा कि बताया गया १०-१-५५ को हुआ और वे क्लर्क हुए १-५-५५ को ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ८२

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८३

श्री रावतराम

(अनुपस्थित).

श्री शीशराम ओला

ग्राम ढ़ाढ़ोत, तहसील खेतड़ी का स्कूल भवन

८४. **श्री शीशराम ओला** (खेतड़ी) **:** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि ग्राम ढ़ाढ़ोत, तहसील खेतड़ी में एक स्कूल भवन जनता के सहयोग से बनवाया गया था ?

(२) यदि हाँ, तो फिर जिला बोर्ड द्वारा उक्त ग्राम में २,००० रु० व्यय करके नया स्कूल भवन क्यों बनवाया जा रहा है ?

(३) क्या यह सत्य है कि अभी तक जिला बोर्ड का भवन तैयार न होने के कारण अध्यापक किसी अन्य मकान में पढ़ाता है ?

(४) यदि हाँ, तो किसके मकान में तथा इस मकान का क्या किराया दिया जाता है ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) **:**

(१) जी हाँ, जिला बोर्ड झुंझुनू द्वारा सहायतार्थ दी गई २,०००) रु० की राशि से तथा जनता के सहयोग से बनवाया है ।

(२) दूसरा कोई स्कूल भवन नहीं बनाया जा रहा है ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शीशराम ओला : जिला बोर्ड ने जो सहायता दी और जो गाँववालों ने सहायता दी इस प्रकार दो स्कूल भवन बन रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक ही है।

श्री शीशराम ओला : दो स्कूल भवन हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, मेरी सूचना के अनुसार एक ही है।

श्री शीशराम ओला : मैं आपसे निवेकर रहा हूँ आप जो कह रहे हैं ठीक नहीं है। वहाँ दो स्कूल भवन हैं। मैं इसको चेलेन्ज करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : 'Are you prepared to correct your information when the Hon'ble Member is making a categorical statement that there are two building .

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I am saying on the official information. That is not with me what he says

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Will the Hon'ble Dy. Minister please enquire into the matter in view of the statement'?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The matter will be enquired into when there is an allgotion about it.

श्रीशीशराम ओला : ऐसा है कि पहले स्कूल भवन के लिए सरकार ने पांच सो रुपया दिया और जनता ने अपने पास से रुपया लगा कर स्कूल भवन बना लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने दो हजार रुपये दिये और दूसरा भवन बना लिया गया। क्या इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के धन का दुरुपयोग नहीं हुआ ? आप कहते हैं प्रश्न नहीं उठता- वहां पर दो स्कूल भवन मौजूद हैं मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप जो चेलेन्ज कर रहे हैं उसके लिये मैंने कह दिया इन्क्वायरी की जावेगी। जनता ने बनाया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने भी बनाया, यह तो जांच के बाद कहा जा सकता है।

श्री शीशराम ओला : जांच करके ही आपको प्रश्न का जवाब देना चाहिये था।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : क्या अब आपका इन्क्वायरी का जरिया दूसरा होगा क्योंकि आप एक दफा तो इन्क्वायरी करा चुके ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने जब इन्क्वायरी कराने का कहा है आप जरा डिस्कशन का ध्यान रखें तो ठीक है।

श्री शीशराम ओला : इन्क्वायरी कराई नहीं गई है....

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक तो सूचना के तरीके से सूचना प्राप्त हुई है अब इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : क्या आप माननीय सदस्य को भी एसोसियेट करेंगे जो यह कह रहे हैं कि वहाँ दो स्कूल भवन हैं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : एसोसियेट जरूर करेंगे। आपने जो सूचना दी है उसके लिये आपको एसोसियेट जरूर किया जायेगा।

Page No.14

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

खैरी बांध परियोजना के निर्माण पर कुल व्यय

८५. श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा) : Will the Irrigation Minister be pleased to states:—

(1) What is the total cost incurred in the construction of the Kherit Dam project in Bhilwara District and what is its estimated commanded area ?

(2) Has the construction been completed ? If so, what is the capacity of the reservoir and what is the actual level of water in it ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (1) The total expenditure incurred on kheari Project upto 30-6-59 is Rs. 30.91, lacs. The total gross commanded area is 70,000 acres.

(2) The work is almost complete. The live storage capacity of the levelin is 1,176 Mcft. The water levelin the reservoir as on 24.7. 59 is 3.7 ft. above sluice cill.

श्री पी. के. चौधरी : What is the present capacity of the water collected there ?

श्री भीखाभाई : Pardon ?

श्री पी. के. चौधरी : What is the present volume of the water collected here ?

श्री भीखाभाई : At present I have not got the figures.

श्री पी. के. चौधरी : It was clearly asked in the question that what is the actual level of water in it ? It was actually mentioned in may question. I had asked what was the level of the water now ?

श्री भीखाभाई : Actual information I haven't got just now. The water level in the rservoir as on 24. 7. 59 is 3. 7 ft. above sluice cill. This is only with me at present.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): वहां पानी कितना जमा होता है !

श्री उपाध्यक्ष I hope, the Hon'ble Deputy Minister will be more distinct in his reply.

श्री पी. के. चौधरी : What is the present level of the water ?

श्री भीखाभाई : I don't possess this information with me at present because whatever information has been sent by the Department I have Just read it.

श्री उपाध्यक्ष : Information is not available.

श्री पी. के. चौधरी : The date means the date of collection of the date......

श्री उपाध्यक्ष : Next please. Sri Laxmi Chand.

Page No.15

पंचायत सांचोर द्वारा भूमि विक्रय

८६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत सांचोर, जिला जालोर ने कितनी भूमि किस किस को बेचान की है और उसमें कितनों ने पैसे जमा करा दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने पैसे जमा नहीं कराये ? यदि हां, तो वे कौन कौन शख्स हैं तथा रकम की वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) :

(१) सूची 'अ' एवं 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। सूची 'ब' में विवरण अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई है। वसूली की कार्यवाही पंचायत द्वारा जारी है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द : किस स्टेज पर है ?

श्री दौलतराम सारण : पंचायत द्वारा नोटिसेज दिये हैं कि इनकी वसूली की जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या जो सूची दी गई है उसमें एक उप-सरपंच भी हैं जिनमें भी रकम बकाया है ?

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना मेरे पास नहीं है कि कौन कौन पदाधिकारी हैं और किस किस में क्या क्या बाकी है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने जो सूची दी है उसके आईटम नं० ३ पर जिनका नाम है वे तहसील के उप-सरपंच हैं उनसे वसूली कब तक की जावेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता) : उप-सरपंच भी जमीन ले सकता है, एम० पी० भी ले सकता है, एम० एल० ए० भी ले सकता है कोई रुकावट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

जयपुर-देहली वाया कोटपुतली रूट को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करना

८७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या यातायात मन्त्री बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जयपुर-देहली वाया कोटपुतली राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर दिया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो इस रूट पर जयपुर-देहली कब से चालू कर दी जावेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या यह सही है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने इसके एस्टीमेट्स बना कर भेज दिये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बात ठीक है कि नेशनल-हाई-वे अलवर से होकर आता है।

Page No.16

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। उसमें पंजाब एरिया के कुछ भाग पानी के डूब में आते हैं इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने राजस्थान और पंजाब से बातचीत करके पंजाब की टेरीटरी से नया रोड से कोटपुतली को मिलाने की बात है। इस बारे के एस्टीमेट्स गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पास भेज दिये गये हैं। वहाँ से मन्जूरी होने के बाद सड़क बनेगी उससे देहली का डिस्टेन्स भी ४० मील कम हो जावेगा।

श्री रामकरणसिंह : इस तरह की सूचनाएँ निकली हैं, वैसे भी सूचनाएं तलाश की हैं कि यह नेशनल-हाई-वे होने की वजह से उधर का सर्वे आदि होकर गया है और गवर्नमेंट ने भी प्रोपोजल दे दिये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा है न कि घोषित होना और यह स्टेज होना दूसरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

जिला जालोर के व्यक्तियों से धान का रिक्वीजीशन

८८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जालोर के किन किन व्यक्तियों से धान का रिक्वीजीशन अक्टूबर, सन् १६५८ से आज तक किया गया और उसका विभाजन किस प्रकार किया गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त धान चीफ ग्रेन शॉप को नहीं दिया गया है और वह सरकारी मुलाजिमों के लिये ही रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) जिन व्यक्तियों से धान लिया गया है उनके पास स्टॉक में कितना धान था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह भी सही है कि रिक्वीजिशन किये हुए धान को काफी समय से रोकने के कारण धान मालिकों को नुकसान उठाना पड़ा है और धान खराब हो गया है ?

(५) यदि हाँ, तो उसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) रिक्वीजिशन शुदा गेहूं जालोर में नगर समिति व मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है। चीप ग्रेन शॉप के डीलर को नहीं दिया गया क्योंकि उसके पास वायदा सिर्फ आयक धान की बिक्री का ही था। जसवन्तपुरा में चीप ग्रेन शॉप न होने की वजह से सरकारी स्टाफ के लिये दिया गया था।

(३) सूची (ख) सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

Page No.17

श्री लक्ष्मीचन्द : इस सो मन के कम वाले से भी रिक्वीजीशन किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह किसी से भी हो सकता है। कानून में रूकावट नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कानून में कितने मन धान से ऊपर हो तो रिक्वीजीशन किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिसके पास फालतू हो उससे हो सकता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : फालतू की सीमा निर्धारित करने का प्रावधान रखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसकी आवश्यकता को छोड़ कर बाकी का फालतू-है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आवश्यकता का पैमाना निर्धारित करने की शक्ति किस जगह निहित है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिसको रिक्वीजीशन करने का पावर है वही इसको भी देखता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आखिर इस सिलसिले में आपने कोई नियम बनाये होंगे कि कौन अधिकारी किस आवश्यकता को किस पैमाने से देखता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे नियम तो पब्लिश हो गये हैं। घर में तो हैं नहीं मेरे पास।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आप बता दीजिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप उन्हें पढ़ कर देख सकते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : वे कहाँ पब्लिश हुए हैं और किस दिन ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान के गजट में पब्लिश हुए हैं और ......

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : किस तारीख के गजट में ?

श्री उपाध्यक्ष : This is a very minute information.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जिसके पास फालतू है यह आपने पहले कहा। अगर इसके लिए नियम बने हुए आपके ध्यान में थे तो आपने पहले ही क्यों नहीं कह दिया कि नियम बने हुए हैं। फालतू की बात क्यों कही ? आप नियम की बात कह देते ?

श्री उपाध्यक्ष : नियम की बात पहले रह गई, बाद में नियम का उल्लेख कर दिया गया है न।

श्री लक्ष्मीचन्द : एक काश्तकार से रिक्वीजीशन किया गया २२ मन में से ७ मन। आइटम नम्बर...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा यह इन्डिविजुअल का तय करना कलेक्टर के डिस्क्रेशन पर छोड़ा गया था। और फिर वह कोई बाहर नहीं भेजा गया वह वहीं तो बँटवाया गया। एक्सपोर्ट करने की बात तो थी नहीं।

Page No.18

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि कलेक्टर खुद जाकर what is the sufficient amount for the requirement of the food grains. He does not decide it himself but it is the Agent who goes to requisite the food grains and they decide ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर को अधिकार है इसमें।

श्री पी. के. चौधरी : He has himself never done it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Collector has a right to do.

श्री पी. के. चौधरी : But he never does it. It is only the agent who does it.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इसको रखने के लिए कोई आधार नियत करेंगे, नहीं तो इससे करप्शन बढ़ता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसे करप्शन की कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होगी कि किसी से ज्यादा लिया गया है तो जांच करेंगे। यह छः महीने की बात है। आज तक कोई कम्पलेन्ट नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हम कहते हैं, सभी सदस्य कहते हैं फिर कैसे शिकायत नहीं है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : जिन लोगों से रिक्वीजीशन किया गया क्या कलक्टर ने यह जाँच की कि इतना धान पर्याप्त है और बाकी को तब रिक्वीजीशन किया जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो किया गया है।

श्री भैरोंसिंह (श्री मांधोपुर) : क्या यह सही है कि रिक्वीजीशन केवल उस अनाज का किया गया था जो सरप्लस डिक्लेयर किया गया था बाकी के व्यापारियों ने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरप्लस का सवाल ही नहीं पैदा होता। There is no law like this.

श्री पी. के. चौधरी : जिन काश्तकारों से रिक्वीजीशन किया गया था करीब करीब सभी ने रेस्पेक्टिव कलेक्टर के यहाँ अपील की थी पर उनकी सुनवाई नहीं हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप किसी इन्डिविजुअल केस के बारे में बतावें। मैं जाँच करूँगा। मेरी जानकारी में काश्तकार से वसूल नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

श्री लक्ष्मीचन्द : लिस्ट में काश्तकार दर्ज है। उससे २० मन में से ७ मन लिया गया। फिर आप कैसे कहते हैं कि काश्तकार से नहीं लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेने का अधिकार है कलेक्टर को उससे भी। आइन्दा भी लेगा कलेक्टर।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : फिर से कहिये, क्या फरमाया आपने, सुना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री पी. के. चौधरी : This is an important question.

श्री उपाध्यक्ष : I have taken the other question. Yes, Shri Jaichandra Mohil.

छोटी सादड़ी थाने में चोरी हुई घड़ी का मामला

८९. **श्री जयचन्द्र मोहिल** : (कपासिन-सु) क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़गढ़ जिले के छोटी सादड़ी में श्री कन्हैयालाल पिता जोरजी आजना ने अपनी घड़ी चोरी में जाने की सूचना दी थी ? यदि हाँ, तो किस तारीख को ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति से पुलिस ने घड़ी बरामद कर बाद जांच पंचनामा के घड़ी अपनी तहवील में ली थी ? यदि हाँ, तो किस तारीख को और किससे ?

(३) क्या पुलिस ने इस मामले का चालान कोर्ट में कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कन्हैयालाल ने अपनी घड़ी की चोरी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं की । वैसे तीन माह पश्चात् जब पुलिस द्वारा एक घड़ी भारतीय दण्ड विधान की धारा ५५० सी. आर. पी. के अन्तर्गत बरामद की ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : यह घड़ी किसकी रिपोर्ट पर बरामद की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा न कि लाभचन्द्र से तो उसने यह घड़ी खुद की होने का दावा किया ।

(२) दिनांक २१-८-५८ को श्री लाभचन्द्र को इस सूचना पर कि श्री रामचन्द्र ने उसकी घड़ी जो दो महिने पहले चोरी गई पहन रखी है । घड़ी भारतीय दण्ड विधान की धारा के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र से बरामद की गई ।

(३) पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया अतएव चालान का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । घड़ी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के सामने धारा ५२३ के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए प्रस्तुत कर दी गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

नगरपालिका इन्द्रगढ़ की जनसंख्या

९०. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा): Will the Local Self-Govt. Minister be pleased to states :—

(a) What is the present population of Indergarh Municipality as per the last Census and what is the area in sq. miles of the said Municipality ?

(b) Is it correct that under Govt.'s order No. D 129 / F / 23 / A / 58 Dated 22.2.59 it has been proposed to extand the area of the municipality by bringing under it the panchayat areas of Sumerganj Mandi and Mohanpura and also the villages of Chhatarpura and Duranalaji ?

(c) What is the distances of Sumerganj Mandi and Mohanpura from Indergarh and what will be

Page No.20

(श्री पी. के. चौधरी)

the total population of the municipal area if reconstituted as proposed under the order under reference ?

(d) Is it correct that this action of the Govt. likely to by pass the provisions of the Municipalities Act just passed by the Assembly as far as the population factor and contiguity of area in the Municipality is concerned ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (a) The Population of Municipal Board Indergarh according to the Census of 1951 is 2,320 and the area is 4½ sq. miles.

(b) Yes.

(c) The distance from Sumerganj Mandi to Indergarh is nearly 2 miles 7 furlongs and from Mohanpura is 4 furlongs. The total population of the reconstituted board will be about 6,500.

(d) No. The Government is empowered under proviso to Section 5 of the new Act to establish such a Municipality for exceptional reasons.

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ सुमेरगन्ज मण्डी से तीन मील फासले पर आबाद है और बीच में काश्त लैण्ड है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ मोहनपुर के बीच में भी डेढ़ मील का अन्तर है और बीच में एक रिवर है और उसमें भी बीच में रेवेन्यू लैण्ड है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, इसका डिसटेन्स चार फर्लाङ्ग है।

श्री पी. के. चौधरी : एक्रास दी रिवर ? नदी के दूसरी पार है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, यह हो सकता है पर मुझे सूचना नहीं है। हो सकता है।

श्री भैरोंसिह (श्रीमाधोपुर) : नया एक्ट लागू हो गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने नया एक्ट लागू होने का नहीं कहा।

श्री भैरोंसिह : नये एक्ट के अनुसार सीमाओं में बदल कर किया गया, आपने यह कहा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने पूछा है :

"Is correct that this action of the Government is likely to by pass the provisions of the Municipalities Act just passed by the Assembly as far as the population factor and contiguity of area in the Municipality is concerned ?"

I have replied this-"No, The Government is empowered under proviso to section 5 of the new Act to establish such a Municipality for exceptional reasons."

Page No.21

श्री पी. के. चौधरी : एक्सेप्शनल रीजन्स क्या हैं, बता दीजिए ?

स्वायत्तशासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जो कार्यवाही की गई है वह पुराने एक्ट के अन्दर की गई है। नये एक्ट में उसके मुताबिक किया जावेगा। यह जो आर्डर हुआ है फरवरी में हुआ नया बिल पास होने से पहले। इसलिए आपत्ति की बात नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : एक बात समझाने की कोशिश करेंगे कि तीन तीन मील दूर के गांवों को जिन के बीच में रेवेन्यू लैण्ड भी है Both are the independant Panchayat Head quartars तो तीन तीन मील दूर के दो गांवों को लेकर एक म्यूनिसिपेलिटी बनाते हैं How far it is reasonable and rationable ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिजनेबल अनरीजनेबल की बात कहां है ? उनका ही प्रोपोजल आया था और हमने ऑब्जेक्शन का नोटिस भी निकाल दिया था। पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऑब्जेक्शन करना चाहिए था अगर ऐसी बात थी तो। फिर वह तो नये एक्ट के बाद फिर मामला सामने आवेगा।

श्री पी. के. चौधरी : आपके पास ऑब्जेक्शन नहीं आया इसके सम्बन्ध में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं नहीं कह सकता अभी। फरवरी में यह हुआ था। उस समय आया होगा तो जरूर विचार किया गया होगा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : ऑब्जेक्शन भले ही न आया हो पर सरकार के मस्तिष्क में क्या भलाई थी जिससे प्रेरित होकर सरकार ने यह किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सरकार का इनीशियेटिव नहीं था।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : वहाँ के लोग सब सोते रहे यह तो ठीक है लेकिन सरकार को किस नीति ने प्रोम्ट किया कि जिससे यह कदम उठाया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो लोग सोते रहते हैं उनको भैंस भी पाडे जनती है और औरों की पाडी जनती है।

श्री पी० के० चौधरी : सुमेरपुर और मनोहरपुर के सरपंच आपसे मिले हैं। और कहा है कि यह प्रोपोजल अनरीजनेबल है और पंचायत नहीं चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि यह सूचना मेरे पास नहीं है कि कब मिले थे।

श्री पी० के० चौधरी : इस परिस्थिति को देखते हुए क्या आप इस कार्यवाही को सस्पेन्ड कर देंगे ? In view of the fact that the new Municipalities Act is going to be enforced ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नये एक्ट के अन्डर में आ जायेगा तो उसके अनुसार कार्य करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : जब आपके नोटिस में लाया गया है कि अनरीजनेबल कार्यवाही की गई है तो उसको रोकेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो फरवरी का कानून जारी किया हुआ है उस समय तक नया कानून बना भी नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

अंग्रेजी में छपे गल्ला लाईसेन्स फार्म

६१. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा सु०) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या गल्ला लाईसेन्स के फार्म अंग्रेजी में छपे हुए हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि किसानों एवं व्यापारियों को अंग्रेजी में हिसाब देने के लिए बाध्य कियाजाता है ? यदि हाँ, तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :
(क) जी हां।

(ख) जो नहीं। किसी को भी अंग्रेजी में हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : जब कि फार्म अंग्रेजी में बने हुए हैं तो उनको काश्तकार कैसे भरते होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गल्ला लाईसेन्स फार्म काश्तकारों के भरने के लिए नहीं हैं वे तो व्यापारियों के लिए हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो व्यापारी अंग्रेजी नहीं जानते हैं वे कैसे भरते होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभी व्यापारी अंग्रेजी जानते हैं। इसके लिए आज तक किसी की भी शिकायत नहीं आई ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अलवर में जानते होंगे पर दूसरी जगह नहीं जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

ग्राम सोप, तहसील अलीगढ़ में ग्राम पंचायत का चुनाव

६२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर-सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) तहसील अलीगढ़ के ग्राम सोप के ग्राम पंचायत के चुनाव कब हुए ?

(ख) क्या चुनाव अधिकारी को हजारीलाल ने सरपंच का चुनाव जीतने के लिए कुछ ईनाम देने का वायदा किया था ?

(ग) क्या हजारीलाल ने चुनाव जीतने के बाद रुपये देने से इन्कार कर दिया और इन्कारी होने पर चुनाव अधिकारी चुनाव के समय उनके जरिये मंगाई गई घड़ी, रस्सी, बाल्टी आदि सामान ईनाम के बदले लेकर चले गये ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) दिनांक २-१-१९५९ को निर्वाचन हुआ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो आपने तीसरे सवाल का जवाब 'जी नहीं' दिया है तो क्या वहाँ के लोगों ने इस बात की शिकायत की थी कि यहाँ पर जो पंचायत अधिकारी आये वे चुनाव समाप्त होने के बाद जो घड़ी, रस्सी वगैरह मँगवाई थीं वे लेकर चले गये ?

श्री दौलतराम सारण : शिकायत आई या नहीं इसकी तो इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन जो सूचना मुझे प्राप्त हुई उसके अनुसार मैंने 'जी नहीं' कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : सूचना जिन लोगों ने दी उनसे इस बात की दर्याफ्त की गई थी कि इस प्रकार की शिकायत है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह पहले ही निवेदन कर दिया है कि इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है कि शिकायत की या नहीं। जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार उत्तर दे दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब क्या इस सूचना के आधार पर आप इसकी जानकारी करने के लिए तैयार हैं ?

श्री दौलतराम (सारण) : आप शिकायत करवाईये या फिर आप लिखित में शिकायत कीजिए तो कार्यवाही कर लेंगे ?

श्री मुरलीधर व्यास : लिखित शिकायत तो इस प्रश्न में ही है और क्या आप इस आधार पर जाँच करवा लेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : शिकायत आ जायेगी तो जरूर जाँच करवा लेंगे ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): यह सदन में आपके पास शिकायत आई है। आपको इस पर जाँच करवानी चाहिए। फिर आपने अभी एश्योरेंन्स भी दिया है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने कोई एश्योरेंन्स तो नहीं दिया है लेकिन जो शिकायत की गई है...

श्री महेन्द्रसिंह पँवार : आप एश्योरेंन्स दे दीजिए और जाँच करवा लीजिए फिर बाद में एश्योरेंन्स कमेटी अपने आप देख लेगी।

श्री दौलतराम सारण : आप तसल्ली तो रखिये। जो शिकायत की गई है उसकी जानकारी करवा ली जायेगी ?।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आपने यह कहा कि आप शिकायत करवाईये तो यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : उसका तो रिवीजन हो चुका है। आपने मान लिया है ?

नेक्स्ट । श्री मुरलीधर व्यास ।

जयपुर और बीकानेर में कोयले का वितरण

६३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर-सिटी) : क्या मंत्री, खाद्य एवं रसद विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) सरकार ने राज्य में सन् ५८-५६ में कितना कोयला कहाँ कहाँ वितरित किया ? इसके वितरण की क्या व्यवस्था है ?

(२) जयपुर और बीकानेर में सन् ५८-५६ में कुल कितना कोयला आया तथा उसका वितरण किसके द्वारा किस प्रकार से कराया गया ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) कोयले का अलॉटमेंट प्रति छः माही के लिए होता है। राज्य का (घरों में उपयोग में आनेवाले कोयले का) कुल कोटा सन् १६५८-५६ में ७२० वैगन प्रथम छः माही के लिए था व ८०० वैगन द्वितीय छः माही के लिए था। वितरण की व्यवस्था प्रत्येक जिले के जिलाधीश के द्वारा नियुक्त किये गये व्यापारीगण जिलाधीशों के परमिट से करते हैं।

(२) सन् १६५८-५६ में जयपुर में कुल ४,३६४ टन और बीकानेर में ७३६ टन कोयला आया है और इसका वितरण जिलाधीश द्वारा परमिट से कराया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो परमिट्स दिये जाते हैं उनके लिए कोई आधार है कि किस प्रकार से देने चाहिए ? कोई नियम ऐसे बनाये हैं कि जिनसे परमिट्स दिये जाते हैं या कलेक्टर जो भी परमिट माँगे उसको दे दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो कोटा है वह डिफरेन्ट केटेगेरीज़ में डिवाइडेड है जैसे कारखानों के लिए अलग है, हलवाइयों के लिए अलग है और इसी तरह से अलग अलग कोटा डिस्ट्रिब्यूटेड है और उनको डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए कलेक्टर परमिट्स इश्यू करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: क्या कोई नियम बने हुए हैं कि किस प्रकार से परमिट्स इश्यू करने चाहिए या जिस तरह से चाहे उसी तरह से कोयला डिस्ट्रिब्यूट करवा दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसे हलवाइयों की एसोसियेशन है वह अपने आपस में बांट लेते हैं अगर कोई झगड़ा होता है तो फिर कलेक्टर प्रोपर डिस्ट्रिब्यूशन करता है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : आपने प्रश्न के भाग १ के उत्तर में बताया कि ८०० वैगन का कोटा था हर छः माह के लिये तो क्या उन ८०० वैगन में ४,३६४ टन कोयला आ गया था या कुछ बकाया रह गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या कहा आपने ?

श्री तेजाराम गहलोत : आपने भाग १ में उत्तर दिया कि ८०० टन का कोटा था और दूसरे भाग में बताया........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले में मैंने वैगन ८०० बताये हैं टन नहीं।

श्री तेजाराम गहलोत : तो जो ८०० वैगन थे उनमें ४,३६४ टन कोयला आ गया ? क्या ४,३६४ टन कोयला ८०० वैगन हो जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक वैगन में ज्यादा कोयला आ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

राजस्थान जल बोर्ड की बकाया रकम

६४. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकेलेरा-सु०)—

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान ग्राम जल बोर्ड की कितनी कितनी धन राशि किन किन व्यक्तियों में बाकी निकल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने कृपा करें ?

(ख) जल बोर्ड की रकम को इतने दिन तक अपने पास रखने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): मैंने पहले भी कहा था कि वाटर बोर्ड का ऑफिस लॉक हो रहा है । यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है ।

डॉ० बहादुरसिंह : वह कब तक खुल जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : उसमें से प्राप्त किया जा रहा है । वह खुलेगा नहीं ।

नेक्स्ट । श्री हुकमसिंह ।

जोधपुर डिविजन के चिकित्सालयों में बिजली के पंखे.

६३. **श्री हुकमसिंह** (जैसलमेर) : Will the Health Minister be pleased to state :—

(1) How many hospitals in odhpur Division have no electrical fans in wards and operation Theaters, in those town and villages which have electrioity ?

(2) Is it a fact that there are no electrical fans in Jaisalmer Hospital, although Jaisalmer town has electricity ? and if so, why ?

उप मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (1) In Jodhpur Division electricity is available only at Jodhpurcity, Jaisalmer, Phalodi. Ladnu, Kuchaman city, Nagaur proper, Merta. Pali, Jalore, Barmer, Sirohi,Abu Road and Mt. Abu. There are no electrical fans in wards and Opreration Theaters at the following Hospitals :—

1. Govt. Hospital, Nagaur.
2. Govt. Hospital, Barmer.
3. Govt. Hospital, Jalore.
4. Govt. Hospital, Phalodi.
5. Shri Jawahar Hospital, Jaisalmer.
6. Merta city Dispensary.
7. Ladnu.
8. A. H. Hospital, Mt. Abu

(Fan not available in wards)

In Kuchaman city there is only a dispensary and no beds are sanctioned for it. As such the question of providing fans in the wards does not arise.

2. Yes, fans have been recently provided, These will be installed now very soon.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी): आपने जिन शहरों के नाम लिए क्या उन स्थानों पर बिजली होते हुए भी बिजली नहीं दी जाती है ?

Page No.26

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि दरअसल बिजली तो है लेकिन बहुत सी जगह पर बिजली कम है, कहीं एस्टीमेट बन रहे हैं, किसी जगह बनने हैं। कहीं पर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बन रहे हैं तो इस तरह से अलग अलग परिस्थितियां हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बिजली होते हुए भी ऐसे अस्पताल कि जिनमें ऑपरेशन्स होते हैं तो पहले प्राथमिकता वहां क्यों नहीं दी जाती है बिजली देने में ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): कई जगह बिजली ऐसी है कि बहुत कमजोर है और ऑपरेशन्स में उसको काम में नहीं लाते हैं। वैसे जहाँ जहाँ बिजली है वहाँ हम पहले करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसलमेर में ऐसे कितने लोग हैं जो बिजली का प्रयोग करते हैं और फिर भी बिजली की कमी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फण्ड्स प्रोवाइड कर दिये हैं और जल्दी ही लग जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

सीकर में उत्सवों पर बिजली दर में वृद्धि

६४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर में प्रति युनिट बिजली की क्या दर है ?

(ख) क्या स्थाई मीटरवाले कन्जूमर अपने घर पर विशेष उत्सव आदि के समय अधिक बिजली का उपयोग कर सकते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि जिन ग्राहकों के यहाँ १० ई० के मीटर हैं जो आवश्यक पावर लोड सहन कर सकते हैं उन ग्राहकों से भी तथा अन्य स्थाई ग्राहकों से भी विशेष उत्सव पर प्रार्थना-पत्र देकर विशेष बिजली के उपयोग करने पर उस माह की समस्त खर्च हुई बिजली पर १२ आ० प्रति युनिट चार्ज किया जाता है ? यह कार्य किस नियम के अन्तर्गत किया जा रहा है ?

उप मंत्री, विद्युत (श्री भीखाभाई) : (क) स्थाई ग्राहकों के लिए ६ आने प्रति युनिट व अस्थाई ग्राहकों के लिए १२ आने प्रति युनिट।

(ख) जी नहीं

(ग) सारे मास का १२ आने प्रति युनिट की दर से चार्ज नहीं किया जाता। केवल अधिक सप्लाई को ही इस दर से लिया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस प्रश्न के भाग (ख) में यह पूछा था कि 'क्या स्थाई मीटरवाले कन्जूमर अपने घर पर विशेष उत्सव आदि के समय अधिक बिजली का उपयोग कर सकते हैं ?' इसके उत्तर में आपने कहा कि 'जी कर सकते हैं'।

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

Page No.27

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक आदमी जिसके पास मीटर है अस्थाई तौर पर वह अगर २ पोइन्ट लगाना चाहे तो क्या आपत्ति है ? किस नियम के अनुसार मना करते हैं ?

श्री भीखाभाई : दरअसल में वहाँ पर किसी प्रकार का नियम हो उस नियम का मुझे पता नहीं है लेकिन यह हमेशा से प्रेक्टिस रही थी। जिस कम्पनी से यह लिया है उसके पहले यही परम्परा थी और उसी के आधार पर जो बिजली एक्सेस में ली जाती है विवाह, उत्सवों के मौके पर उनको आवेदन-पत्र देना पड़ता है और उसके लिए एक टेम्पोरेरी मीटर लगाया जाता है। उसका रेकॉर्ड देख कर कन्जम्पशन पर चार्ज किया जाता है। उनसे सारे महीने का नहीं बल्कि जितना खर्चा होता है वह चार्ज किया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पूरे महीने का चार्ज किया जाता है। अगर किसी गलत परम्परा के कारण वह चार्ज किया जाता है तो उसको बन्द नहीं कर सकते हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : सारे महीने का चार्ज नहीं किया जाता है। अगर आप मुझे नई जानकारी देंगे तो मैं उसकी जानकारी लेकर आपको सूचना दे दूंगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं डेफिनेट जानकारी दे रहा हूँ कि इस प्रकार से होता है।

श्री भीखाभाई : आप कॉन्क्रीट केसेज बता देंगे तो मैं जानकारी लेकर आपको जानकारी दे सकूंगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सीकर में जो ६ आना प्रति युनिट चार्ज किया जाता है तो राजस्थान भर से वहां ज्यादा क्यों चार्ज किया जाता है ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न अलग है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसमें अलग प्रश्न का सवाल नहीं है। मैंने अपने प्रश्न के भाग (क) में पूछा है कि सीकर में प्रति युनिट बिजली की दर क्या है ?

श्री भीखाभाई : वह मैंने बता दी है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप वहाँ पर ज्यादा क्यों चार्ज करते हैं ? जयपुर में ६ आना युनिट है।

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : कई जगह ज्यादा है। कई जगह ८ आने कई जगह ६ आने कई जगह १० आने, ११ आने और १२ आने भी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : १२ आने किस जगह पर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस वक्त मैं नहीं बता सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

झुंझुनूं अस्पताल के डॉक्टरों की मरीजों के प्रति लापरवाही

६६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(क) क्या यह सही है कि थाना झुंझुनूं द्वारा ग्राम भिरमी में हुये झगड़े में आहत दो व्यक्तियों को दिनांक २६ फरवरी की रात्रि के ६.१५ बजे झुंझुनूं हॉस्पिटल को संभलाया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि डॉक्टर ने जो उस समय क्लब में बैठे थे, मरीजों को देखने से इन्कार कर दिया तथा मरीज बिना दवाई के रात भर अस्पताल में पड़े रहे ?

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक २७ को प्रात: भंवरलाल नामक व्यक्ति की हालत अधिक बिगड़ने पर उसके सम्बन्धी फिर डॉक्टर के पास गए परन्तु बीमार का कोई उपचार नहीं हो सका ?

(घ) क्या यह सही है कि देखभाल के अभाव में ५. १५ बजे प्रात: भंवरलाल का देहान्त हो गया ?

उप मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां, ये दो व्यक्ति दिनांक २६. २.-५६ की रात्रि में ६.१५ पर नहीं बल्कि १०.४५ पर झुंझुनूं अस्पताल में लाये गए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, कोई सम्बन्धी डॉक्टर के पास नहीं गये। कम्पाउन्डर के बुलाने पर डॉक्टर ने रात्रि में १२.४५ बजे व ५ बजे रोगी को संभाला।

(घ) जी नहीं, भंवरलाल का देहान्त ५.१५ बजे नहीं हुआ बल्कि ७ बजे सुबह हुआ। यह सही नहीं है कि देखभाल के अभाव से देहान्त हुआ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि मरीज अस्पताल में १०.४५ पर पहुंच गए थे और डॉक्टर ने १२.४५ बजे उनको संभाला ?

मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी नहीं ११. ४५ पर पहुँचते हैं और डॉक्टर ने १२ बजे सम्भाला है।

श्री भैरोंसिंह : अभी अभी उप मन्त्री महोदय ने कहा कि मरीज १०.४५ पर अस्पताल में पहुँचे हैं और कम्पाउन्डर की सूचना देने पर १२.४५ बजे डॉक्टर ने सम्भाला है, तो आपका जवाब सही मानें या उनका ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों जवाब सही हैं। डॉक्टर ने सम्भाला वह टाईम ठीक है और मरीजों के आने का टाईम भी ठीक है। कम्पाउन्डर ने इत्तिला दी तो डॉक्टर ने जाकर रात को सम्भाला, यह भी गलत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि कम्पाउन्डर ने समय पर डॉक्टर को सूचना नहीं दी इसलिए डॉक्टर के आने में देर हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १०.४५ बजे वे पहुँचे और १२. ४५ डॉक्टर ने आकर सम्भाला। इत्तिला करने में इतना टाईम लगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कम्पाउन्डर का मकान, डॉक्टर का मकान और मरीजों का कमरा तीनों एक साथ ही अस्पताल की बिल्डिंग में हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह भी बात ठीक है। डॉक्टर वहाँ पर नहीं था इसलिए टाईम लगा।

Page No.29

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जिस समय मरीज अस्पताल में पहुंचे उस समय डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डॉक्टर उस समय नहीं था एट देट टाईम। २४ घन्टे डॉक्टर वहाँ नहीं रहता है।

श्री भैरोंसिंह : अस्पताल के जिस कमरे में मरीज थे उसके पासवाला कमरा डॉक्टर का रेजीडेन्स है, तो क्या यह माना जाय कि डॉक्टर उस समय अपने रेजीडेन्शियल क्वार्टर में नहीं थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक डॉक्टर से आप यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वह वहां २४ घन्टे मौजूद रहे। कम्पाउन्डर ने इत्तिला दी उसके बाद आ गया।

श्री भैरोंसिंह : एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं मैं यह नहीं पूछना चाहता हूं। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जिस समय हॉस्पिटल में मरीज आये थे वह क्लब गए हुए थे और उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया। वह रेजीडेन्स से लगा हुआ क्लब है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह रेजीडेन्स में थे या क्लब में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीमार को बेहोशी की हालत में ले गए और कम्पाउन्डर ने जब उसको एडमिट करके इत्तिला की उस समय वे मकान में नहीं थे और आने पर उसको देख लिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हॉस्पिटल के नियमानुसार जब तक एक डॉक्टर परमीशन नहीं दे देता है कम्पाउन्डर किसी भी मरीज को एडमिट नहीं कर सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इमर्जेन्सी केसेज में ऐसा नहीं रखा गया है। वह बाहर गये हुए थे वहाँ पर नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : आपने शब्द एडमिट कहा है। आपने कहा कि कम्पाउन्डर ने एडमिट कर लिया उसके बाद में सूचना दी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एडमिट कर लिया से मतलब एडमिशन से नहीं है। यह नहीं हो सकता कि बीमार शफाखाने में जाय तो बीमारी की हालत में वह बाहर रहे और कम्पाउन्डर डॉक्टर को इत्तिला दे और फिर डॉक्टर आकर उसको देखे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : एडमिशन से मतलब आप क्या समझते हैं ? What do you mean by admitting a patient in the hospital.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई बीमार शफाखाने में गया और बीमार को अटेन्ड किया जाता है और वहाँ पर बीमार को रखा जाता है, यह एडमीशन है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : आने में रोक टोक है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं। कोई मरीज आता है उसको शफाखाने के बाहर ही खड़ा नहीं रख सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : You are saying extremely ignorant of the fact. Admission means admitted in

(श्री पी० के० चौधरी)

the Hospital. If he is entered as a indoor patient otherwise he is lying in waiting hall.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इमर्जेन्सी के केस में टाईम वगैरह की बात लागू नहीं होती है। हरेक आदमी जाता है और दिखला देता है।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मन्त्री महोदय ने यह कहा कि डॉक्टर आया तो मैं कहता हूं कि वह डॉक्टर नहीं आया और बिल्कुल मरीज को सम्हाला ही नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बीमार जो मरा है वह हैमरेज से मरा है। उसके सिर में फ्रेक्चर था और वह ७ बजे तक जिन्दा रहा। उसका मैंने सारा केस देख लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, now question No. 68. Sir Bhairon Singh.

टाटा मरकेडीज बेन्ज (mercedes Benz) चेसिसेज पर स्टील के दस बॉडीज व केबिन्स के निर्माण के लिए टेन्डर

६८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : Will the Agriculture Minister be pleased to state:-

1. Is it a fact that in the month of February, 1958, tenders for the construction of ten Steel Bodies and Cabin on Tata Mercedes Benz Chassises were called by the Executive Engineer, Rajasthan Underground Water Board, Jodhpur and the tender of M/s Kamal & Co. Jaipur was accepted ?

2. Is it a fact that the tender of M/s Kamal & Co. was a conditional one and as such it ought to have been rejected as per terms and conditions laid down in the tender notice ?

3. Is it a fact that the Bodies so constructed were not according to the specifications and some defects were observed ?

4. Is it a fact that no fitness certificate was obtained from any mechanic of the State Garage ? If so, why ?

उप-मन्त्री, कृषि : (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हाँ।

(२) कमल एण्ड कम्पनी द्वारा प्रेषित किया गया टेण्डर न्यूनतम था। वह इन सब शर्तों को पूरा करता था सिवाय इसके कि ये काम को पूरा करके देने में कुछ अधिक समय चाहते थे। इसके लिए भी उन्होंने बोर्ड के निर्धारित समय में काम पूरा कर देना स्वीकृत कर लिया था व वास्तव में उन्होंने समय पूरा होने के पहले काम पूरा करके दे दिया था।

प्राप्त टेन्डरों का राजस्थान के तीनों मुख्य अभियन्ताओं यानि मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग...

Page No.31

श्री भैरोंसिंह : जरा धीरे से बोलिये तेज़ पढ़ कर सुनाने में कोई कारीगरी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ठीक पढ़ रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आप जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं वह मैं फॉलो नही कर पा रहा हूँ।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय सदस्य का इस तरह से रौब से कहना बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : रौब से इन्कार करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको समझाये वह कोई लेक्चरार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं उनको लेक्चरार नहीं मानता हूं और ऐसे लेक्चरार के नीचे रहना भी नहीं चाहता हूँ मैं यह चाहता हूँ कि हाउस के अन्दर ठीक ढंग से जबाब दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : सही ओपीनियन दे सकते हैं लेकिन उनको समझाना मुश्किल है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble Minister should read it very slowly rather than going on such a fast speed.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : मेरे यह समझ में नहीं आता कि यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय से यह रिक्वेस्ट करने पर कि समझ में नहीं आता है जरा धीरे पढ़िये उस पर इस तरह से माननीय मंत्री महोदय कहें कि हम रौब को...

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह से नहीं कहा गया है।

श्री श्रीमानसिंह : I am taking to the Chair, नहीं मानते हैं कहाँ तक ठीक है? उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि क्वेश्चन का आनसर ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है....

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please

श्री दौलतराम सारण : मैं काफी तेज़ बोलता हूँ। फिर भी चेष्टा करूंगा कि और तेज़ी से सुनाऊं...

श्री उपाध्यक्ष : तेज़ से मतलब नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : दुबारा पढ़ देता हूं।

(१) जी हां।

(२) कमल एण्ड कम्पनी द्वारा प्रेषित किया गया टेन्डर न्यूनतम था वह इन सब शर्तों को पूरा करता था सिवाय इसके कि...

(१२ बजे के साइरन के बोलने पर)

(हँसी)

श्री भैरोंसिंह : भोंपू Bhonpue has now come for his rescue, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Who has come to the rescue?

श्री भैरोंसिंह : भोंपू (श्री दौलतराम सारण बैठ जाते हैं)

(विराम)

श्री दौलतराम सारण : वे काम को पूरा करके देनेमें कुछ अधिक समय चाहते थे। इसके लिए भी उन्होंने बोर्ड के निर्धारित समय में काम पूरा कर देना स्वीकार कर लिया था। वह वास्तव में उन्होंने समय पूरा होने के पहले काम पूरा करके दे दिया था।

प्राप्त टैण्डरों का राजस्थान के तीनों मुख्य अभियन्ताओं को यानि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग व मुख्य अभियन्ता बिजली विभाग द्वारा परीक्षण किया गया था व उनकी सिफारिशों को बोर्ड ने मान लिया था। वह राजस्थान सरकार ने स्वीकृति भी दी थी।

(३) जी नहीं। ट्रकों की बॉडी निर्धारित विवरण के अनुसार बताई गई है कोई कमी नहीं पाई गई थी, ऐसी रिपोर्ट है।

(४) जी नहीं। मुख्य अधीक्षक, मोटर विभाग, जयपुर, से इन ट्रकों की बॉडियों के कार्य की योग्यता का प्रमाण-पत्र लिया गया था व उसके बाद ही ट्रकों को स्वीकार किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि किसी गैरेज के अधिकारी से सर्टीफिकेट नहीं लिया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : मैं कहता हूं लिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : कौनसे अधिकारी से लिया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : मुख्य अधीक्षक, मोटर गैरेज से।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो कंडीशन्स थी उनमें ब्लेक शीट्स लगाने का प्रतिबन्ध था यानि चेसिस में ब्लेक शीट्स नहीं लगाई जावें ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : क्या कंडीशन थी, क्या नहीं थी इसका ब्यौरा इस समय हमारे पास नहीं है लेकिन जो टेन्डर में जिस प्रकार का स्पेसिफिकेशन दिया गया था उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम किया गया था, सिर्फ एक बात यह कही गई थी कि हम जो टाइम दिया गया है उसमें काम पूरा नहीं कर सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय नहीं कि सिवाय समय के बाकी किसी प्रकार की शर्त की अवहेलना नहीं की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई कमी नहीं थी। जो स्पेसिफिकेशन दिया गया था उसी के मुताबिक तैयार थी।

श्री भैरोंसिंह : जवाब में अभी यह कहा था कि कोई शर्त नहीं थी।

श्री दौलतराम सारण : यह कहा था कि और कोई शर्त ऐसी नहीं थी जिसे पूरी नहीं कर सका हो। सिर्फ समय ज्यादा लेना चाहता था।

श्री भैरोंसिंह : मेरे लिए यह मुश्किल है कि मैं किसकी बात को सही मानूं आपकी बात को या आपके आगे बैठे हैं उनकी बात को ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शर्त यह थी कि इस प्रकार की बॉडी अमुक अमुक चीज को चूज करते हुए बनानी पड़ेगी और उन्होंने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक टेन्डर दिया और काम उसी माफिक पूरा किया। यदि काली शीट नहीं लगाने की शर्त थी तो काली शीट नहीं लगाई गई और जैसी मांगी गई वैसी लगाई गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मान कर चलें कि उसमें काली नहीं बल्कि सफेद शीट लगाई गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसी माँगी गई थी वैसी ही लगाई गई।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि स्पेसिफिकेशन नहीं था और अब कहते हैं कि काली नहीं लगाई गई, जबाब कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों दे रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस तरह का टेन्डर दिया था उसकी कोई खिलाफवर्जी नहीं की गई। आपको सफेद या काली चद्दर के बारे में पूछना था तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना था हम उसका जबाब पेश कर देते।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन टेन्डर्स की डिलीवरी होने के पहले ही पेमेन्ट कर दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह दूसरा प्रश्न है बोर्ड से संबंधित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : डिलीवरी कौनसी तारीख को हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : डिलीवरी का प्रश्न हेल्थ मिनिस्टर साहब अपना मानते हैं। (हँसी)

श्री भैरोंसिंह : उस डिलीवरी का प्रश्न मेरा नहीं था। चेसिस पर बॉडी बनी उसकी डिलीवरी कब हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बॉडी बना कर वापिस गाड़ियाँ जिस मियाद में मिलनी चाहिये थी उसके लिए उन्होंने ऑप्शन चाहा था और कहा था कि हम शर्त के मुताबिक टाईम में काम पूरा नहीं कर सकेंगे लेकिन बोर्ड के कहने से उन्होंने मान लिया और शिड्यूल्ड टाईम में डिलीवरी देकर फिटनेस सर्टीफिकेट हासिल कर लिया।

श्री भैरोंसिंह : डिलीवरी जयपुर में दी या जोधपुर में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मुझे पता नहीं है। सुपरिन्टेन्डेन्ट, मोटर गैरेज ने उनको प्रमाण-पत्र दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डिलीवरी जोधपुर दी जानी थी लेकिन जयपुर में दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिलीवरी जोधपुर में ली गई या जयपुर में, इसके बारे में आप और सवाल पूछ लीजिये, सूचना प्राप्त करके बतला देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपको जबाब सबके दुबारा नहीं देने पड़ें इसलिए और जाँच कर लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जितना सवाल पूछा उतनी जाँच कर ली और भी सूचना चाहते हैं तो एक एक की डिलीवरी के बारे में पूछ लीजिये।

Page No.34

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट, मोटर गैरेजेज के पास मेकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न अलग है ।

श्री पी० के० चौधरी : It is not a separate question. Your reply was that it was certified by the Superintendent Motor, Garage so I want to know whether he is qualified ?

श्री नाथूराम मिर्धा : He is a highly qualified mechanic I tell you.

श्री पी० के० चौधरी : What are his qualifications ?

श्री नाथूराम मिर्धा : You ask a separate question and I will give the information.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, the question arises from this. He said that it was certified by the Superintendent and we would like to know whether he is qualified or not ?

श्री उपाध्यक्ष : That is a separate question.

श्री नाथूराम मिर्धा : He is highly qualified.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह ।

संचालक, सार्वजनिन सम्पर्क विभाग से एक्सप्लेनेशन मांगना

७२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि संचालक, सार्वजनिक संपर्क विभाग से सरकार ने कतिपय अनियमितताओं के लिए एक्सप्लेनेशन माँगा है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस एक्सप्लेनेशन लेने के संबंध में विभाग की वे सब फाइलें डाईरेक्टर को दे दी गई हैं जिनमें यह सब अनियमितताएँ पाई गई थीं ?

(ग) क्या यह सही है कि सरकार ने फाइलें देने के संबंध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसके द्वारा फाइलों में किसी प्रकार का रद्दोबदल न किया जा सके ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब डाईरेक्टर से एक्सप्लेनेशन माँगा था उस समय जिन विषयों पर एक्सप्लेनेशन माँगा गया था उनकी सब फाइलें डाईरेक्टरेट में नहीं होकर सचिवालय में थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मुझे मालूम नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो सवाल ही है क्या यह सही है कि इस एक्सप्लेनेशन लेने के संबंध में विभाग की वे सब फाइलें डाई-

Page No.35

(श्री भैरोंसिंह)

रेक्टर को दे दी गई हैं जिनमें ये सब अनियमितताएं पाई गई थीं ?'

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब 'नहीं' दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि उस समय फाईलें सचिवालय में थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस समय सवाल पूछा गया था उस समय का जवाब है।

श्री भैरोंसिंह : यह बता दीजिए कि एक्सप्लेनेशन माँगा गया था उसके बाद भी फाइल्स को सेक्रेटेरियट में डिटेन किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस समय सेक्रेटेरियट में थी, कब गई, इसका पता नहीं !

श्री भैरोंसिंह : मैं उस समय की पूछता था उस समय फाइलें वहाँ थी या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कौनसी फाइलें थी, कौनसी नहीं थी, कितने कागज थे कितने नहीं थे, इसका मुझे पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह नहीं पूछता कि कागज कितने थे, लाल थे या पीले थे और कागजों पर किसके हस्ताक्षर थे। जिस पर आपने उनका एक्सप्लेनेशन पूछा उस समय सचिवालय में थी या नहीं ?

श्री रामशोर व्यास : होंगी, पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं डेफिनेट इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, मेरा सवाल स्पष्ट है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने साफ अर्ज कर दिया 'जी नहीं'।

श्री भैरोंसिंह : आपका क्या मतलब है ? फाइलें सेक्रेटेरियट में थीं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आज हैं या नहीं, यह मैं कैसे कह सकता हूँ ?

श्री भैरोंसिंह : मैं आज की बात नहीं पूछ रहा हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या क्या इरेगुलेरिटीज थीं जिनकी वजह से एक्सप्लेनेशन पूछा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई थी।

श्री पी० के० चौधरी : दो, चार इम्पोरटेन्ट बात दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पूरा याद नहीं है, कोई प्रिन्टिंग वगैरा के सवाल थे।

श्री पी० के० चौधरी : क्या आपको याद नहीं है कि किसके लिए एक्सप्लेनेशन पूछा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जबानी याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिन फाइल्स पर एक्सप्लेनेशन माँगा गया उन पर मंत्रीजी ने आज्ञा दी है क्या कि उनको रिटर्न कर दिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : I don't remember having given such orders.

श्री भैरोंसिंह : क्या होम सेक्रेटरी ने यह लिखा था कि फाइलें लौटाने से टेम्पर विद हो जाने का डर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : I am not supposed to give this information because it is confidential.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

परबतसर नगरपालिका के १९५८ के चुनावों के पश्चात् रिजर्व सीट्स के लिए मनोनीत नाम

७६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) परबतसर नगरपालिका के १९५८ में चुनावों के पश्चात् कलेक्टर नागोर ने किस किस के नामों की रिजर्व सीट्स के लिए मनोनयन की सिफारिश की थी और यह सिफारिश-पत्र सरकार के पास कब पहुँचा ?

(२) इस पत्र के पहुँचने के बाद क्या कार्यवाही हुई ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने श्रीमती मधुकान्ता, धर्मपत्नी श्री एस. जी. पटेल को महिला के स्थान पर मनोनीत किया ?

(४) क्या यह सही है कि श्रीमती मधुकान्ता सदस्यता से पिछले बोर्ड में डिसक्वालिफाइड कर दी गई थी और इस कारण इस बार उनका कानूनन मनोनयन नहीं हो सकता था ? यदि हाँ, तो फिर मनोनयन क्यों हुआ ?

उप मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्रीपूनमचंद बिश्नोई) : (१) कलेक्टर नागोर ने अपने पत्र दिनांक २०–६–५८ के द्वारा निम्न व्यक्तियों के नाम मनोनयन के लिए भेजे :—

महिलाएँ

१. श्रीमती सजनी
२. श्रीमती मधुकान्ता
३. श्रीमती कमला

दलित वर्ग

१. श्री भंवरा
२. श्री सालाराम
३. श्री गुलाबा

यह पत्र स्वायत शासन विभाग में दिनांक २३–६–५८ को पहुँचा।

श्रीमती मधुकान्ता सरकारी विज्ञप्ति दिनांक ४–४–५६ द्वारा डिसक्वालीफाइड घोषित हो चुकी थी इसलिए कलेक्टर नागोर को पत्र दिनांक १७।२० नवम्बर, १९५८ के द्वारा मधुकान्ता के बजाय किसी दूसरी महिला का नाम भेजने के लिए लिखा गया। सरकार को यह भी सूचित हो जाने पर कि कलेक्टर द्वारा भेजे गये नामवाले कुछ व्यक्ति परबतसर के निवासी नहीं हैं उपरोक्त पत्र द्वारा कलेक्टर से इस विषय में रिपोर्ट माँगी गई। इसके प्रत्युत्तर में कलेक्टर ने अपने पत्र दिनांक १२-१२-५८ के द्वारा निम्न व्यक्तियों के नाम भेजे :—

महिलाएँ

१. श्रीमती सजनी
२. श्रीमती अयोध्या
२. श्रीमती कमला

दलित वर्ग

१. श्री भंवरा
२. श्री सालाराम
३. श्री हापला

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

यह पत्र स्वायत्त शासन विभाग में दिनांक १५-१२-५८ को पहुंचा।

२. कलेक्टर के पत्र दिनांक १२-१२-५८ की प्राप्ति के बाद सरकारी विज्ञप्ति दिनांक ८-२-५६ के द्वारा निर्वाचित और मनोनीत व्यक्तियों के नाम विज्ञप्ति के लिए भेज दिये गये।

३. जी हाँ।

४. जी हाँ। मनोनयन हो सकता था अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्रीमती मधुकान्ता को सरकार ने डिसक्वालिफाई किया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : जिस व्यक्ति को डिसक्वालिफाई किया उसको मनोनीत कैसे किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह कानूनन हो सकता है। जब इस बात पर ऐतराज किया तो हमने फैसला किया कि मनोनीत हो सकती हैं। चूँकि गैर हाजिरी की वजह से डिसक्वालिफाई किया, इसलिए हो सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जिस वक्त कलेक्टर ने सिफारिश की कि चूँकि श्रीमती मधुकान्ता डिसक्वालिफाईड हैं इसलिए दूसरा नाम प्रपोज किया जाय, सरकार को जानकारी नहीं थी कि ऐसी डिसक्वालिफाईड महिला को नामजद नहीं किया जा सकता ?

ठाकुर श्री मदनसिंह : (दाँता रामगढ़) मैं सोचता हूँ कि जब मिनिस्टर हो सकता है तब महिला ने क्या गुनाह किया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं। दूसरे व्यक्ति ने ऐतराज किया तो कलेक्टर को रेफरेन्स भेज दिया। जब कलेक्टर के पास से रेफरेन्स आया तो मधुकान्ता ने ऐतराज किया कि मेरी डिसक्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है जो नोमीनेशन में बाधा डालती हो। उसकी सुनवाई करके फैसला किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्रीमती मधुकान्ता के पहले श्रीमती सजनी देवी को नोमीनेट कर दिया गया था और नोटीफिकेशन इश्यू कर दिया गया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हाँ। उसका हो गया था लेकिन फिर ऑब्जेकशन पर फैसला किया।

श्री भैरोंसिंह : जब नोटीफिकेशन इश्यू हो जाय तो क्या यह सही है कि कानून के अनुसार जिस व्यक्ति को जरिये नोटीफिकेशन के नामजद कर दिया जाय उसको बिना नोटिस दिये नहीं हटाया जा सकता ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : ऐसा कोई कानून नहीं है कि हटाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट का फैसला हुआ है जिसमें यह कि दुबारा नोमीनेट नहीं करना चाहिए। अगर गलतफहमी में हो जाय तो हो सकता है। हाई कोर्ट के फैसले में यह नहीं है कि जब मिसरिप्रजेन्टेशन के कारण डिसक्वालिफाई हो जाय तो नोमीनेट नहीं हो सकता। यह मामला गवर्नमेंट को रेफर किया गया, जब दुबारा रिप्रजेन्ट किया that I am qualified to be re-nominated. दुबारा होना चाहिए, यह फैसला किया गया।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय मधुकान्ता को रिजेक्ट करके सजनी देवी को नोमीनेट किया और नोटीफिकेशन निकाला तो क्या यह समझा जाय कि सरकार के सामने यह स्थिति थी कि मधुकान्ता डिसक्वालिफाईड है और सजनी देवी को नोमीनेट किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसा कि पहले बताया है कि कलेक्टर ने तीन नाम भेजे थे उसमें चूंकि मधुकान्ता डिसक्वालिफाईड थी इसलिए वह नहीं हो सकती थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नोमीनेटेड मेम्बर की हालत जिस समय नोटीफिकेशन इश्यू हो जाय उस समय उसी सदस्य के अनुरूप हो जाती है जो इलेक्ट हो कर आये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हाँ। हाई कोर्ट के फैसले में यह लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : हाई कोर्ट के फैसले को छोड़िये। मैंने कहा है कि क्या यह सही है कि नोमीनेटेड मेम्बर की हालत नोटीफिकेशन के बाद इलेक्टेड मेम्बर की हालत के समान होती है और वही प्रिविलेजेज होते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कानून में लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जब कानून में लिखा हुआ है तो इलेक्टेड मेम्बर को बिना एक्सप्लेनेशन कॉल किये रिमूव नहीं कर सकते तो नोमीनेटेड मेम्बर जिसका नोमीनेशन नोटीफिकेशन के द्वारा हो चुका है, उसे प्रिविलेजेज मिल चुके हैं तो उसे बिना डिफेन्स का समय दिये नहीं हटाया जा सकता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नोमीनेटेड मेम्बर के बारे में गलतफहमी हो गई थी। उस गलतफहमी के सम्बन्ध में रिप्रजेन्ट किया इसलिए गवर्नमेंट को चूंकि करने की पावर्स है इसलिए किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार को गलतफहमी हो जाय और वह एक कानूनी चीज हो जाय, गलतफहमी के कारण सरकार गैर कानूनी चीज कर दे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई गैर-कानूनी चीज नहीं की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। For questions No. 82 and 83 written replies may be submitted.

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : प्रश्न ६५ रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : लिखित जवाब दे दिया जायेगा।

श्री रावतराम (चुरू): प्रश्न संख्या ८३ रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ प्रश्न रह गये हैं, उनका लिखित उत्तर दे दिया जायेगा।

(समयाभाव के कारण न पूछे जा सकनेवाले प्रश्नों के उत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

१२.१५ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

ब्यावर की मिल से सम्बन्धित स्थगन-प्रस्ताव पर वाद-विवाद

ब्यावर की मिल के सम्बन्ध में जो एडजोनमेन्ट मोशन प्रस्तुत हुआ है उसके

Page No.39

वाकयात ब्यावर से मंगाये जा रहे हैं। गवर्नमेन्ट इसका जवाब देने का विश्वास दिलाती है, इसलिए यह विचारार्थ रखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of Order Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी रूलिंग के विषय में चर्चा नहीं करनी है लेकिन कोई एडजोर्नमेंट मोशन आये, उसका कारण होता है कोई इमीजियेट एक्शन या उसका डिस्कस करना होता है; इमीजियेट कॉज। उसके सम्बन्ध में इत्तिला न आये और इत्तिला न आने के कारण एक दो दिन में मंगाने का समय रखते हैं तो on the very date that it is postponed for future, it means the sense of the adjournment motion is gone. और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बात नहीं है। कल जवाब आयेगा, परसों जवाब आयेगा लेकिन हाउस को एडजोर्न करने के लिए एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया जाता है That this House do now adjourn.

श्री उपाध्यक्ष : मैं मतलब समझ गया। कल ही एडजोर्नमेंट मोशन प्रस्तुत हुआ था। कल प्रयत्न किया गया कि सरकार से वाकयात प्राप्त किये जायें और आज सरकार ने विश्वास दिलाया है कि आज ही वाकयात देदेगी। सिर्फ एक दिन कल का दिन गुजरा है इसलिए as far as possible the facts are being collected.

श्री भैरोंसिंह : एडजोर्नमेंट मोशन का मतलब है कि कल हाऊस एडजोर्न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I understand the sense of the Hon'ble Member and I, too, am of the same opinion. But because the Govt. has assured to furnish us with facts, it has been kept for consideration.

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट हाउस में इत्तिला दे देगी ?

श्री उपाध्यक्ष : जी ?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट हाउस को इत्तिला देगी ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझसे चेम्बर में बात कर ली थी।

श्री भैरोंसिंह : चेम्बर में बात कर ली, वह ठीक है, क्या हाउस को इत्तिला मिलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे माध्यम से जानकारी मिल सकती है।

मन्त्री, श्रम (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : मुझे इत्तिला आज मिली है। मुझे कल ही माननीय सदस्य को कॉपी देनी चाहिए, मैं हाउस में मौजूद था।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : मैंने कल १० बजे सूचना दे दी थी। आपको कॉपी दी है। सेक्रेटरी साहब को तीन कॉपी दी है, एक कॉपी आपको दी है, एक आपको दी है।

श्री भैरोंसिंह : कल तो निकाल दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस कन्ट्रोवर्सी को यहाँ अलाऊ नहीं करता।

श्री गिरधारीलाल : मैंने सूचना कल दे दी थी। यह कैसे कहा गया कि आज सूचना मिली है ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Legislative Business.

१२. १७ म० प०

राजस्थान टिनेन्सी (छटा संशोधन) विधेयक, १६५८

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सलेक्ट कमेटी ने बिल को कई तरह अमेंड किया है और बहुत से संशोधन ऐसे हुए हैं इसमें कि मैं उचित समझता हूँ कि जिस दृष्टिकोण से सलेक्ट कमेटी ने इन संशोधनों को किया है उन्हें सदन के सामने संक्षेप में रखूं।

ओरिजनल बिल जो हाउस में प्रस्तुत हुआ, जो सीलिंग की एक कमेटी मुकर्रर हुई उसकी रिकमन्डेशन और उसकी रिपोर्ट के ऊपर ड्राफ्ट किया गया था और माननीय सदस्यों को यह बात मालूम है कि सीलिंग कमेटी ने अपनी रिकमन्डेशन में इस प्रकार तहसील वाइज एरिया मुकर्रर कर दिया था, और उसके साथ एक शिड्यूल लगाया था उसके शिड्यूल की जांच करके ड्राफ्ट बिल पेश किया गया। जो बिल असेम्बली के अन्दर आया उसमें वह शिड्यूल रखा गया और उसमें अगर आप देखेंगे कि हर एक तहसील के अन्दर एरिया मुकर्रर कर दिया गया है कि अमुक तहसील में इतना एरिया सीलिंग का होगा। सलेक्ट कमेटी के सामने जब बिल गया तो माननीय महोदय जो सलेक्ट कमेटी के थे उन्होंने इस बात पर विचार किया कि आया यह एरिया जो प्रत्येक तहसील के लिए दिया गया है यह वाजिब है, इक्वीटेबल है, साईन्टिफिक है, इसमें ज्यादा गैर वाजिब फायदा नहीं पड़ता या गैर-वाजिब नुकसान नहीं पड़ जाता है, इस बात पर छानबीन की।

सबसे पहली बात यह है कि जिस बिना पर एरिया रखा गया है वह है कि राजस्थान के अन्दर जो सोइल और जमीन है वह अलग अलग एरिया में अलग अलग है और उसकी प्रोडक्टिव केपेसिटी अलग अलग है बारानी में कहीं ज्यादा पैदावार होती है कहीं कम होती है और ज्यादातर एरिया हमारे यहां बारिस पर मुनहसिर रहता है। इनकी सोइल प्रोडेक्टिविटी एक सी नहीं है। एक गांव में डिफरेन्ट टाइप के सोइल होते हैं और प्रोडेक्टिव केपेसिटी डिफरेन्ट है इसलिए एरिया के लिहाज से एक तहसील में एक तादाद रखी गई है। कहीं ६०, कहीं ७० और कहीं १०० एकड़, वह साईन्टिफिक नहीं हो सकती। इस पर सलेक्ट कमेटी ने विचार किया कि किसी तहसील में सेटलमेंट रेन्ट रेट है और सोइल का क्लासिफिकेशन वहां इस बात पर निर्भर है प्रोडेक्टिविटी वहाँ सोइल की कैसी है। अगर आप किसी तहसील की रेन्ट रेट को लेकर देखेंगे तो हर एक तहसील में ५, ६, ७ तरह की सोइल क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब यह है कि हर एक तहसील में ५, ६, ७ तरह के डिफरेन्ट टाईप की सोइल है और उसकी प्रोडेक्टिव केपेसिटी डिफरेन्ट है। किसी एक प्रकार की सोइल में ५ मन एक बीघा में पैदावार होती है, दूसरी तरह की में १५, २० सेर पैदावार होती है, किसी में दो मन होती है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तो इतनी डेस्पेरिटी है प्रोडेक्टिव केपेसिटी में राजस्थान में कि जिससे बड़ा भारी खतरा था कि सीलिंग कमेटी की जो रिकमेन्डेशन्स थीं, जिनके आधार पर बिल में प्रोविजन किया था उसको मान लिया जाता तो यह मुमकिन था, मुमकिन नहीं बल्कि यकीनन यही होगा कि एक ही गाँव में एक आदमी के पास तो बढ़िया से बढ़िया ७५ एकड़ जमीन आ जायेगी और उसी गाँव में दूसरे आदमी के पास खराब से खराब ७५ एकड़ जमीन आ जायेगी। और काफी सोच विचार के बाद सलेक्ट कमेटी इस नतीजे पर पहुंची और यदि आप एनेलेसाइज करके देखें तो एक तहसील में नहीं बल्कि एक एक गाँव में ऐसा है राजस्थान में कि उस एक ही गाँव में भिन्न भिन्न तरह की जमीनें हैं। इसलिए सारी तहसील के लिये एक एरिया मुकर्रर कर देना न इक्विटेबल ही था और न साईन्टिफिक ही था। इसलिए सलेक्ट कमेटी ने इस फॉर्मूला को एडोप्ट नहीं किया। रेवेन्यू एक्सपर्ट्स ने जिन फॉर्मूलाज पर जांच की थी उन पर सलेक्ट कमेटी में विचार किया गया। एक माननीय सदस्य ने नोट ऑफ डिसेन्ट में एक फॉर्मूला रखा कि रेन्ट रेट पर एरिया मुकर्रर करना साईन्टिफिक है और उसी के ऊपर सीलिंग इम्पोज कर देनी चाहिये।

मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि राजस्थान की रेन्ट रेट्स इतनी डिफरेन्ट हैं कि उनके आधार पर सीलिंग इम्पोज करना अनसाईन्टिफिक होने के साथ साथ कतई संभव नहीं हो सकता और इससे सीलिंग और सीलिंग का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। राजस्थान की रेन्ट रेट्स कितनी डिफरेन्ट है इसके सम्बन्ध में मैं मिशाल के तौर पर निवेदन कर देना चाहता हूं कि बारानी की रेन्ट रेट एक जगह ३) रु०, २॥), २) रु० है तो दूसरी जगह पाँच आना, ६ आना और १० आना है और कई जगह ३ पैसा और ६ पैसा भी है। तो बारानी की पूरी प्रोडेक्टिव केपेसिटी इस तरह की है, प्रोडेक्टिव केपेसिटी में बड़ी डेस्पेरिटी है।

दूसरी बात यह है कि पुरानी रियासतों में वहाँ सेटलमेंट हुआ था जो आज से २०, ३० साल पहले हुआ था और वहाँ पर वही पुरानी रेट्स चली आ रही हैं। इसी तरह चाही जमीन की रेट्स भी बड़ी डिफरेंट हैं। कहीं १५) रु० है तो कहीं पर १०) रु० है और कई जगह ४) रु० है तो चाही जमीन की भी रेंट रेट्स इतनी डेस्पेरिट हैं कि रेंट रेट को तो बेसिस सीलिंग एडोप्ट करने में काम में नहीं लाया जा सकता जब तक कि रेशनेलाईज नहीं हो जाय और यह अभी होने का नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है और करना भी वाजिब नहीं है। इससे बड़ी भारी डेस्पेरिटी होगी और इससे जहाँ हम लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं वहाँ इससे बड़ा भारी इन्जस्टिस लोगों के साथ हो जायेगा। सेम प्रोडेक्टिव केपेसिटीवाली सोइल का एरिया एक जगह दूसरा फिक्स हो जायेगा और दूसरी जगह दूसरा। इसलिए सलेक्ट कमेटी इस नतीजे पर पहुँची। सलेक्ट कमेटी में और भी कई फॉर्मूलाज पर माननीय सदस्यों ने विचार किया था। फेमिली होल्डिंग का मल्टीपल निकाल कर इसको लागू करने का सोचा था। टिनेन्सी एक्ट सेक्शन ५३ में डिफाइन्ड है कि जितनी होल्डिंग्स हैं अनईकोनोमिक हैं उनको एलिमिनेट कर दें, बाकी की जो होल्डिंग्स रह जायँगी उनको नम्बर ऑफ खातेदार्स से डिवाइड करने से जो आयेगी वह ऐवरज

(श्री दामोदरलाल व्यास)

होल्डिंग हो जायेगी। वह तरीका हो सकता है जैसा कि प्लानिंग ने सजेस्ट किया था कि फेमिली होल्डिंग का थ्री टाईम्स सीलिंग एरिया हो सकता है पर इसमें भी वे ही दिक्कतें आयगी जो एक तहसील के लिए एक एरिया मुकर्रर करने में आती थी। वही डेस्पेरेट एरिया, डेस्पेरेट प्रोडेक्टिव केपेसिटी ऑफ एरिया, एक ही गाँव में अलग अलग तरह की जमीन, अलग अलग तरह की प्रोडेक्टिव केपेसिटी और अलग अलग रेंट रेट्स। तो हर गांव की होल्डिंग के लिये इसको वर्क आउट नहीं कर सकते। इसलिए सलेक्ट कमेटी ने इसे डिस्कस किया पर ड्रोप कर दिया। That was dropped. और कई फॉर्मुलाज पर विचार किया गया, अलग अलग राज्यों में जो सीलिंग के बिल्स आये उन पर डिस्कशन्स हुए, सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट्स हुई और जो लेजिस्लेशन्स पास हुए उन सब पर भी सलेक्ट कमेटी ने सोच विचार किया और अच्छी तरह सोच विचार के बाद सबसे अच्छा तरीका यह समझा कि स्टेन्डर्ड एकड़ कायम कर दी जाय कि विलेज टू विलेज, फेमिली टू फेमिली टेन माउन्ड्स ऑफ वीट या जहां वीट प्रॉड्युसिंग एरिया नहीं हो तो वहां उसी के मुकाबले का और अनाज रखा जाय।

चाही जमीन के लिये सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में सजेस्ट किया था कि इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाय, बारानी ट्रीट किया जाय। राजस्थान में जितने कुँए हैं, नदी, बाँध या तालाबों के एरिया को छोड़ कर सब काफी गहरे हैं। इनसे सिंचाई किसानों को महँगी पड़ती है। चाही जमीन में पैदावार ज्यादा होती है पर उस पर कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि काश्तकार को ज्यादा फायदा नहीं पहुँचता। इसके अलावा इस बात पर भी सलेक्ट कमेटी में विचार किया कि कुँए जितने हैं उनका काश्तकार ने अपनी केपिटल्स से इम्प्रूवमेंट किया है, उनमें स्टेट का पैसा नही लगा है और इतना इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो उससे पैदाइश करता है उसमें भी कोस्ट ऑफ कल्टिवेशन काफी ज्यादा होता है।

तीसरी बात जरूरी और अहम है जिस पर सदन को विचार करना होगा कि राजस्थान में बिग प्रोजेक्ट्स को छोड़ कर माइनर प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो उनके मुकाबले कुँओं से ज्यादा सिंचाई होती है और आइन्दा जमाने में भी जब तक काश्तकारों को हम इन्सेंटिव नहीं करें कि ज्यादा से ज्यादा कुँए खुदवायें तो ज्यादा पैदावार नहीं बढ़ सकती। सीलिंग सलेक्ट कमेटी ने चाही को बारानी शुमार कर सीलिंग एरिया रखें, यह ठीक नहीं समझा। यह नुक्ता माननीय सदस्यों के सामने है। नोट ऑफ डिसेंट में यह भी है कि चाही को बारानी शुमार करना बिल्कुल गलत है। चाही में बारानी से ज्यादा पैदाइश होती है पर दूसरे तीन पोईन्ट्स जो बताये हैं उनसे गौर करेंगे तो पता चलेगा कि यह जस्टिफिकेशन है कि चाही को बारानी ट्रीट करना चाहिये ताकि कुँओं को खोदने के लिये इन्सेन्टिव बना रहे और किसानों के दिमाग में यह चीज पैदा नहीं हो कि अगर हमने अपनी जमीन में कुँआ खुदवाया तो सीलिंग एरिया पर बुरा असर पड़ेगा। Besides, it is not that once a ceiling is always a ceiling.

हालां कि सीलिंग का यह कोई कन्टिन्युअस प्रोसेस नहीं है पर आखिर इल्लिटरेट

(श्री दामोदरलाल व्यास)
किसान को समझाना, उस तक यह चीजें पहुँचाना मुश्किल है।

दूसरा पोइन्ट जिस पर नोट ऑफ डिसेंट है वह यह है कि सीलिंग कमेटी ने मेम्बर्स ऑफ फेमिली ७ दिया था वह सलेक्ट कमेटी ने घटा कर ५ कर दिया है। सलेक्ट कमेटी ने यह चैंज किया है। इस पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करूँगा कि उन्होंने फेमिली में ७ के स्थान पर ५ ही व्यक्तियों की एक फेमिली माना है। जब हमने बिल को प्लानिंग कमिश्नर के पास भेजा तो उन्होंने ५ व्यक्तियों की फेमिली माना और सलेक्ट कमेटी ने भी ७ के बजाय ५ रखा है।

इसके अलावा एक इम्पोर्टेन्स चैन्ज इसमें किया है और वह यह है ट्रान्सफर पर जिसमें ओरिजनल बिल में ट्रान्सफर को इनवेलिड करार दिया था; इस सम्बन्ध में जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस पर सदन में दो दफे बहस हो चुकी है। एक दफा तो जब सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी तब और दूसरी दफे बाद में। उस समय इस पर काफी बहस हुई और बताया गया कि ट्रान्सफर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहिये। मगर मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको भूमिहीन किसानों को जमीन देना है तो आपको ट्रान्सफर पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिये। भूमिहीन किसानों को भूमि देने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि सीलिंग के लॉ को सरकमवेन्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई डिसऑनेस्टली जमीन बेचता है और ट्रान्सफर करता है तो हमें उस ट्रान्सफर को मंजूर नहीं करना चाहिये। इसी सिद्धान्त को लेकर मैंने इसको सलेक्ट कमेटी के सामने रखा। कमेटी ने उसको माना है। अगर किसी भूमिहीन किसान को ऐसे व्यक्ति ने जिसके पास ज्यादा जमीन है दी है और वह भूमिहीन किसान कोई एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है और सोलेली नया किसान बन रहा है उसको जमीन बेची होगी तो उसको हम रिकोग्नाईज नहीं करेंगे और सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के माफिक उसको उचित नहीं मानते। कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि यदि वह खरीदनेवाला एग्रीकल्चरिस्ट ही हो तो उसको वाजिब माना जा सकता है, उसके लिये सिफारिश की है। इसके अलावा अगर कोई जिसके पास ज्यादा जमीन है और वह अपने भाई और दूसरे रिश्तेदारों को बेच देता है तो उसको भी नहीं माना जा सकता है। इसलिए इसमें १ जनवरी, १६५७ रखा है। वैसे १६५३ में सीलिंग कमेटी मुकर्रर हुई थी और उसके लिये क्वेश्चनरीज जारी किये गये थे और गजट जारी हुआ और पब्लिक को आम तोर से इसकी सूचना मिल गई थी कि राजस्थान सरकार सीलिंग इम्पोज करना चाहती है। यह काफी नोटिस है जिससे कि कोई ट्रान्सफर करना चाहे तो कर सकता था और इसीलिए राजस्थान सरकार ट्रान्सफर के लिये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहती है और बना सकती है। इसके लिये हमने जाँच कर ली है और कोई कानून में इसके लिये फ्लो नहीं है कि नहीं बनाया जावे। लेकिन सलेक्ट कमेटी ने सिर्फ इसमें इसलिए रिलेक्शन्स किये हैं कि लोगों को किसी प्रकार की हार्डशिप न हो। क्योंकि कई ट्रान्सफर बोनाफाइड भी हो, इसलिए इसमें यह एमेंडमेंट किया है और १ फरवरी, १६५७ की तारीख रखी है। जिस तारीख से जितने भी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ट्रान्सफर हैं वे इनवेलिड होंगे। बोनाफाइड ट्रान्सफर होंगे वे एडजेक्ट होंगे : "All landless tenants who wereagricul turists on the date of transfer." This is very necessary and then 'agriculturists' has been defined in our law as a person whose main or whole source of living is agriculture.

दूसरी बात जो चेंजकी गई हैवह ओरिजनल बिल में जो कम्पेन्सेशन का क्लॉज था उसमें चेंज किया गया है। इसमें कई माननीय सदस्यों के नोट ऑफ डिसेन्ट है जिसमें यह एक बात भी थी कि टिनेन्सी एक्ट की धारा १६ के अन्तर्गत शिकमी काश्तकारों द्वारा काश्तकारों को दिये जानेवाले मुआवजे का आधार होना चाहिये। 15 times of the rent of Barani area and 20 times the rent of Chahi area रखा है। मगर सलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने इस बात पर राय दी कि दूसरे राज्यों के लैंड एक्वीजिशन एक्ट के प्रोविजनों को यहाँ पर एप्लाई किया जावे। मैं समझता हूँ कि यदि लैंड एक्वीजिशन एक्ट के प्रोविजनों को यहाँ पर लागू किया जावेगा तो काफी दिक्कत होगी और मुआवजे की रकम बढ़ जावेगी। उनको मुआवजा....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : You have already said that you want this clause to be changed.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आप इस क्लॉज को चेन्ज कराना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is the premsuption. No, no. Don't presume. I am only submiting the views of the Select Committee.

श्री चन्दनमल वैद : आप फरमाते हैं कि आपकी क्या राय है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am a member of the Select Committee, and I have not given any note of dissent. Those who did not agree with it they have given their notes of dissent.

श्री चन्दनमल वैद : You have no right to give a note of dissent.

श्री दामोदर लाल व्यास : This is a different matter.
तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ मुआवजे के लिए दो तरह की विचार धारा है। एक तो टिनेन्सी एक्ट में जिस तरह का प्रोविजन है उसके अनुसार रेन्टल इनकम का मल्टीपल देना चाहिये २० या १५ गुना हो। दूसरी राय यह थी कि लैंड एक्वीजिशन एक्ट के प्रोविजनों के अनुसार मारकेट वेल्यू हो उस पर देना चाहिये। इस पर सदन में विचार करेंगे और सदन के सदस्यों के विचार पर जैसा निर्णय होगा उस पर पालन किया जावेगा।

इसके अलावा कुछ एग्जेम्शन में प्रोविजन किया गया है जिस पर माननीय सदस्यों को ऐतराज है। हमने एग्जेम्शन में वही फार्म आदि लिये हैं जिनको प्लानिंग कमिशन ने रिकमेंड किया। उनका जो बेसिस है वह यह है कि कन्ट्री की जो प्रोडेक्शन है वह सफर नहीं करनी चाहिए। हमको हमारे यहाँ जो वैल मेनेज्ड फार्मस हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिये और उनके फ्रेग्मेंट्स नहीं करने चाहिये। हमने उसको डिफाइन नहीं किया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है और माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो उसको डिफाइन किया जा सकता है। वैसे तो प्लानिंग कमिशन ने इसको डिफाइन कर रखा है कि किस प्रकार के फार्म को वैल मेनेज्ड फार्म मानेंगे। इसके लिए स्टैन्डर्ड कायम करेंगे। इससे कन्ट्री की इन्कम बढ़ेगी। इसके लिए स्टेन्डर्ड फार्म होंगे और स्टेन्डर्ड कायम होगा कि उसमें कितनी मेन्योर कितने सीड आदि चहोने चाहिये। अगर यह उस स्टेन्डर्ड का नहीं होगा तो उसको नहीं माना जावेगा। That will not be recognised as a Well managed Farm and that Farm will not be exempted under the Ceilings law.

इसके अलावा शुगर केन फार्म को भी हमने एग्जेम्पट किया है। क्योंकि कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जिनके खुद के फार्म हैं। वे इस प्रकार के फार्म इसलिये रखते हैं कि यदि किसी समय शुगरकेन उनको नहीं मिले तो उनकी मिलें आइडल न पड़ी रहें और गन्ना वे अपने खेतों से ले लें। हमने इन फार्मों को एग्जेम्प्ट करना आवश्यक समझा है और सलेक्ट कमेटी ने भी इसके लिए रिकमेन्डेशन की है। इसी तरह से कुछ और सुझाव हैं जिन्हें माननीय सदस्य जनरल डिसक्शन में विचार करेंगे और उन पर निर्णय लिया जावेगा। ये मोटी मोटी चेंजेज हैं। स्टैन्डर्ड एकड़ को चाही जमीन को बारानी जमीन में शुमार करने के बारे में जैसा मैंने अर्ज किया चाही जमीन का जो ओरिजनल बिल है उसमें हमने रेशो १:३ का रखा है लेकिन राजस्थान में यह १: ३ का रेशो रखना बहुत कठिन है 3 acres of Barani are equal to one acre of Irrigated land. हमारे यहाँ इर्रिगेशन का पेरेनीयल सिस्टम सिवाय गंग केनाल के और कहीं नहीं है। बाकी का इर्रिगेशन ऐसा है कि जिसको सीजनल कह सकते हैं। वर्षा आ गई तो पानी मिलता है, कभी कम मिलता है और कभी तो इतना नाकाफी होता है कि पैदावार में गड़-बड़ी हो जाती है। सोइल क्लासिफिकेशन के अनुसार सेटलमेन्ट किया जाता है और उसमें भी १, २, ३, किस्में होती हैं। नहरी के लिए भी क्लासिफिकेशन है Nehri also has been classified as Nehri 1, 2. and 3, १, २, ३ का फॉर्मुला युनिफोर्मिली एडोप्ट करलें तो वह राजस्थान में नहीं हो सकता है। Chahi 1 will produce 15 Mds. per bigha, but Chahi 3 will produce only 3,4 Mds. per bigha. इसलिए इतनी डिस्पेरिटी है प्रोडेक्शन में कि एक फॉर्मुला एडोप्ट नहीं कर सकते और इसीलिए कि १ इर्रिगेटेड लैंड ३ बारानी की होगी, यह यहाँ नहीं कर सकते हैं। जहाँ कन्वर्सन करना पड़ेगा नहरी, चाही और बारानी में तो यह विचार करना पड़ेगा कि इर्रिगेशन की क्या केपेसिटी है और उससे कितना प्रोडेक्शन बढ़ता है। यह हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं नहरी १, २, ३, ४ को छोड़ना पड़े और कहीं बारानी ट्रीट करना पड़े। तो इर्रि-गेटेड और नॉन इर्रिगेटेड एरिया का जो डिफरेन्स है उस पर सीलिंग कमेटी ने विचार किया था। उनकी यह भी दलील है कि १, २, ३ का जो रेशो है वह इसमें लागू नहीं हो सकता है और किसी पर इक्वीटेबल नहीं है जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया।

श्री रामचन्द्र, (डग-सु) : जरा स्टैन्डर्ड एकड़ पर भी रोशनी डालें। हर तहसील के लिए आपने स्टैन्डर्ड एकड़ रखा है वह किस आधार पर ....

Page No.46

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज करना चाहता था कि जिस तरह का एक फॉर्मुला सीलिंग कमेटी ने रिकमन्ड किया है और एडोप्ट किया है इस तरह का फॉर्मुला कन्ट्री में किसी स्टेट ने एडोप्ट नहीं किया है। जिस जिस ने सीलिंग का लॉ बनाया या कोशिश की है, बिल्स आदि उनके हैं यदि उनको आप देखेंगे तो कहीं भी इस फार्मुला को एडोप्ट नहीं किया गया है। पंजाब को देख लीजिये, हमारी पडोसी है वहाँ पर ३०, ३२ स्टैन्डर्ड एकड़ का किया है। वहाँ की वैस्ट लैंड है and in certain parts it produces more then 10 Mds. of wheat per acre. वहाँ के फॉर्मुले को देखेंगे तो यह आप देखेंगे। उड़ीसा को देखिये वहाँ ३३ स्टैन्डर्ड एकड़ का किया है और जिस तरह से उन्होंने डिफाइन किया तो आपको मालूम होगा कि One standard acre is equal to one perennial irrigated acre. जो पैरेंनीयल इर्रिगेशन है, डब्ल क्रोप्ड एरिया होगा उसको १ स्टैंण्डर्ड एकड़ माना है। १० मन से कहीं ज्यादा प्रोडेक्शन होगा। जब हमने यह रिकमेन्डेशन की है तो यह ध्यान में रखा है कि जमीन ज्यादा मिल जाय। यह भी ध्यान में रखा गया है कि एक तरफ हम सोशल जस्टिस करना चाहते हैं तो कहीं दूसरी तरफ सोशल इनजस्टिस न हो जाय कि उनके पास इतनी भी जमीन न रहे कि जिससे उनके खाने पीने की व्यवस्था न हो सके। लैंड-लेस टिनेन्ट्स के लिए आवश्यकता थी और इसीलिए ३० स्टैन्डर्ड एकड़ किया है। इसमें अनजस्टिस न हो, इक्वीटेबली हो। हरएक काश्तकार को अधिकार होगा कि वह कॉन्टेस्ट कर सकता है कि उसके पास ३० स्टैन्डर्ड एकड़ नहीं है। It does not produce so much of wheat or equivalent of any other crop जैसा कि रिपोर्ट में दर्ज किया है। वैल्यू भी नहीं होगी तो कॉन्टेस्ट कर सकता है। उसी फॉर्मुले को एडोप्ट कर लें जो इसमें तो कोई बेसिस नहीं रहता है क्योंकि किसी गाँव को ले लीजिये, डिफरेन्ट सोइल है, प्रोडेक्शन की केपेसिटी डिफरेन्ट है। उससे किसी प्रकार भी जस्टिस नहीं मिल सकता है। यू. पी. में अभी बिल तो नहीं आया है लेकिन वहाँ ४० स्टैन्डर्ड एकड़ रखा है। वहाँ का एरिया कितना प्रोडेक्टिव है यह तो माननीय सदस्य स्वयं ही अन्दाज लगा सकते हैं। लोअर सोइल के लिए भी प्रोविजन रखा है कि कम प्रोडेक्टिव है तो उसमें बढ़ा देंगे। वैस्ट बंगाल व जम्मू एन्ड काश्मीर में २३, २५, एकड़ एडोप्ट किया है। हिमाचल प्रदेश के चम्पा डिस्ट्रिक्ट में ३० एकड़ एडोप्ट किया है। १२४) रु० जिसकी हासिल की रेट होगी उसको सीलिंग माना है बाकी को छोड़ दिया। यह राजस्थान में एडोप्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ काफी डिस्पेरिटी है। बॉम्बे में बिल तो पेस नहीं हुआ लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा था कि ३६) रु० पर सीलिंग इम्पोज़ करने का है। जो फॉर्मुला हमने एडोप्ट किया है, हमारे इस बिल में वैसा कहीं भी किसी स्टेट ने एडोप्ट नहीं किया है।

श्री श्रीभानसिंह : यह आपका मेरिट है।

श्री दामोदरलाला व्यास : It is no question of merit. I am only telling you what considerations led us to adopt this.

श्री श्रीभानसिंह : You have the merit of being unique.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not an unipue formula. It is a formula adopted by all the States in our country and we have got to adopt this formula, otherwise you will have to change the definiton of Standard Acre. Of course if the Hon'ble Member so thinks, we can change the definition if it is necessary.

इसके अलावा माननीय सदस्य इस पर बहस करेंगे ही। मैंने तो सलेक्ट कमेटी ने जो चेन्जेज किये हैं, किसी कन्सीडरेशन से किये हैं यह अर्ज कर दिया जिससे कि माननीय सदस्य जब बहस करें तो उनके ध्यान में रहे। जो वाकयात थे वे पेश किये। आगे बहस सुनने के बाद जैसा होगा वह मैं अर्ज करूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : जब आप बड़ा भारी परिवर्तन करना चहाते हैं तो इससे कितने आदमियों को जमीन दे सकेंगे, इसका क्या अन्दाजा लगाय आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : That will come in the reply. Yes, Shri Sribhan singh.

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने एस्टीमेट्स लगाये हैं ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मैंने लगाये हैं।

माननीय अध्यक्ष, आज जो मेरा मोशन है वह यह है कि उसी सलेक्ट कमेटी को यह बिल रेफर किया जाय लेकिन वह सलेक्ट कमेटी एक सप्ताह में सदन के समक्ष रिपोर्ट पेश करें।

फिर अब जैसा कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा कि जो राजस्थान में हम सीलिंग निर्धारित कर रहे हैं उस बिल का जो सबसे बड़ा मेरिट है कि वह यह है कि वह इक्वीटेबल है और जो रेट्स, फॉर्मुलाज़ और क्राईटेरियाज उन्होंने एडोप्टकिये हैं वे साइन्टिफिक हैं रेशनल हैं, और जस्टिशियेबल हैं। In all humality I beg to differ और मैं यह कहना चाहता हूं जो क्राईटेरियाज हैं वे Ineguitable unjust and Unscientific इतने स्ट्रोंग टर्म्स भी यूज करूं तो कोई बात नहीं है। इस बारे में मैं उन माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरा जो सुझाव है, मेरा जो क्रिटीसिजम है वह राजस्थान के अन्दर लोअर सीलिंग के लिए है। बहुत से माननीय सदस्य जिनका हमेशा नेगेटिव एप्रोच रहता है, मेरा उनसे निवेदन है कि वे इस बिल में वह एप्रोच नहीं अपनायेंगे। मगर जो बिल हमारे सामने है जिसके द्वारा हम राजस्थान के अन्दर जो सिलिंग लगाना चाहते हैं उसमें हमारा उद्देश्य और ध्येय क्या है, इस बात को सोचना है। हमारा ध्येय यह हो कि हम पोलिटीकल, सोशियल और इकोनोमिकल जस्टिस करें। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने यह तो स्वीकार किया कि इकोनोमिकल और सोशियल जस्टिस के लिये यह हम लागू कर रहे हैं किन्तु मैं इसमें पोलिटिकल भी साथ जोड़ता हूँ। मैं सिलिंग का एम पोलिटिकल, सोशियल और इकोनोमिकल तीनों समझता हूँ। हमें सिलिंग लगाने की जरूरत क्यों पड़ी ? अभी जितने भी हमारी रूरल इकोनोमी के लिये जो रिफॉर्म्स हमने किये उनको यदि कहा जाय कि वे सकसीड नहीं हुए तो कोई अनुचित नहीं होगा। इसका कारण यह है कि हमारी

Page No.48

(श्री श्रीमानसिंह)

जो पॉलिसी अब तक रही उसमें रूरल ईकोनोमी को पेटेन्ट तरीके के सोल्व करते रहे उनके लिये हमने पेटेन्ट रेमेडीज की जैसे टिनेन्सी रिफॉर्म्स, जमीदारी, जागीरदारी एबोलिशन, ये जो मेजर्स थे उनके कारण स्पेसिफिक बेनीफिट हुआ, स्पेसिफिक पोलीसीज से हुआ। इसी तरह से जो अगर हम राजस्थान के अन्दर सीलिंग को लागू करेंगे तो उसके बेनीफिट्स जनरल नहीं होंगे, स्पेसिफिक होंगे। अगर किसी चीज से स्पेसिफिक बेनीफिट्स मिलते हैं तो हमारा जो सीलिंग का पर्पज है वह सर्व नहीं होता। तो ऐसी हालत में हमको सोचना पड़ेगा कि जो सीलिंग द्वारा हम पोलिटिकल, ईकोनोमिकल और सोशियल जस्टिस करने जा रहे हैं वह नहीं हो सकेगा। हमारा जो समाजवाद का ढांचा है वह सोशियल, ईकोनोमी के साथ लैन्ड की वैल्थ पर बेस्ड है। इस तरह से सीलिंग को कायम करके जमीन की कीमत को हम कम करेंगे और पोलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको भी खत्म करेंगे। हमें प्रजातंत्र में हरेक की ईकोनोमिक गारन्टी करनी पड़ेगी तो हमको यह लाज़िमी है कि जितने भी गाँव के अन्दर काश्तकार हैं उनके लिये आर्थिक प्रबन्ध करना पड़ेगा। आर्थिक प्रबन्ध उस हालत में हो सकता है जब कि हम सभी काश्तकारों के लिये भूमि का प्रबन्ध करें। हमारे पास पैसा नहीं है ताकि हम उद्योग धन्धे स्थापित कर सकें। जनता को ज्यादा टैक्स नहीं कर सकते तो वैसी हालत में हमें लोगों का ध्यान डाईवर्ट करना पड़ेगा और पोलिटिकल, सोशियल और ईकोनोमिक जस्टिस के लिये हमें उनमें लैन्ड को डिस्ट्रिब्यूट करना होगा। आप समाजवाद को किसी भी तरह का मानें-कम से कम ईकोनोमिक सोशियोलोजी का एक मूल सिद्धान्त है इक्वीलिटी ऑफ इनकम? इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो जो सीलिंग हमने ३० एकड़ और १५ मन का रखा है उसको हम एक्चुअल केलकुलेट करेंगे तो जहां पहले शिड्यूल में ५ एकड़ थी वहां २,४०० की आमदनी रखी थी और अब जो ३० का रखा है उसके अनुसार उनकी ६ हजार की आमदनी हो यानि ६ हजार और तीस एकड़ यानि एक एकड़ में दस मन अनाज की पैदावार हो उसको हम एकड़ समझें। इसको हम ईकोनोमीनेस्ड और सोशियल जस्टिस नहीं कह सकते। रूरल ईकोनोमी की जो बीमारी है उसको हम दूर करने जा रहे हैं जमीन को बाँट कर।

एक और आर्गूमेन्ट दिया गया वह यह था कि वह आर्गूमेन्ट एक तरह से स्टिरियो टाईप होगा। हमें लिविंग स्टेन्डर्ड की गारन्टी करनी है मगर एक तरफ जहां लिविंग स्टैन्डर्ड की गारन्टी करें मगर केवल एक व्यक्ति विशेष के लिये जो रूरल एरिया के अन्दर रहता है और वह भी एक गाँव में जहां ५०० व्यक्ति रहते हैं उसमें से दस का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग गारन्टी कर सकते हैं लेकिन जब तक ४०० आदमियों के स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग की आप गारन्टी नहीं कर सकते तो यह समाजवाद नहीं हुआ। अगर आपके जमीन के डिस्ट्रिब्यूशन से बहुमत को फायदा नहीं होता तो आपका यह सीलिंग एडीक्वेट नहीं माना जा सकता। आप जहाँ कम आदमियों की जमीन लेते हैं और चाहते हैं कि बहुमत को फायदा हो तो उनसे जमीन लेनी चाहिये लेकिन जिनका स्टैन्डर्ड गिरा हुआ है और जो आर्थिक दृष्टि से हर तरह से पिछड़े हुए हैं जो ईकोनोमिकेली अनटचेबल्स हैं उनको समान स्तर पर लावें यह डेमोक्रेसी का कर्त्तव्य है। उस कर्त्तव्य को

(श्री श्रीमानसिंह)

निभाते हैं तो हम स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सकते हैं जैसा कि सलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है। हमें देखना है हमारे पास आखिर जमीन कितनी है और उसको हम किस तरह से बाँट सकते हैं। इस बारे में माननीय मंत्री महोदय का जो फोरवर्ड है उसको पढ़ दूँ "After the Re-organisation of States, the total area of the Rajasthan State (including that of the former Ajmer State now merged with Rajasthan) comes to 8, 35, 91, 642 acres. Out of this. 2, 15, 65, 428 acres is unculturable, while the culturable area comes to 3, 13, 24, 097 acres. Out of this 1, 82, 99, 876 acres is occupied and 1, 30, 24, 221 acres is unoccupied. The totol net cropped area during 1956-57 comes to 3,07, 02, 117 acres. of this 34, 90, 102was irrigated and 2, 72, 12, 015 was unirrigated.

5. While the total of the unoccupied culturable area comes to over one crore and thirty lakhs acres (including the Ajmer area), the greater portion of this, over 78, 00, 000-acres is in the desert areas of the Jisalmer and Barmer districts and the Bikaner Division". तो हमारे पास यह कहा जाय कि जमीन बहुत पड़ी हुई है, यह बात नहीं है हमारी स्टेट के अन्दर जमीन की कमी होते हुए भी हायर सीलिंग रखा यह बात कॉम्पलीकेटिंग है। हमारे पास जो जमीन बाँटने के लिये है उसको हम वितरण करते हैं तो हमारा जो ध्येय है, वह मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए जमीन हमें निकालनी है और अब यह देखना है कि वह जमीन किस तरह से निकल सकती है और उसका डिस्ट्रिब्यूशन किस प्रकार के लोगों में करते हैं, यह हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम यह चाहते हैं कि थोड़े आदमियों के पास जो जमीन है वह ज्यादा आदमियों में बांट दें तो हमें लोअर सीलिंग का आर्गूमेन्ट मन्जूर करना पड़ेगा। यह बात जो कही जा रही है कि राजस्थान केनाल आनेवाली है तो इसके लिये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ और मैं राजस्थान गवर्नमेन्ट को धन्यवाद दूँगा अगर वे राजस्थान केनाल को सन् ७२ के पहले यहां ले आयें तो जो आजकल इन्डीकेशन्स मिल रहे हैं उससे तो यही मालूम पड़ता है।

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं।

श्री श्रीमानसिंह: आप को तो मालूम नहीं। जिस तरह से गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया पाकिस्तान सरकार से नेगोशियेट कर रही है उस बिना पर अगर सेटलमेन्ट हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सन्, ७२ तक आपकी राजस्थान नहर में पानी नहीं आ सकता। अब हमारे पास केवल डेजर्ट एरिया रह जाता है और जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के जो काश्तकार हैं उनको जब तक राजस्थान केनाल से बेनीफिट नहीं मिले तब तक यह मान कर चलना चाहिये कि वहां के काश्तकारों को इसका बेनीफिट नहीं मिल सकेगा। सीलिंग का मकसद मैं समझता हूं कि इतना लैण्ड डिस्ट्रिब्यूट किया जा सके कि ४, ७ की जो फेमिली हो वह उस पर लिविंग और एम्प्लोयमेन्ट कर सके। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं।

(श्री श्रीमान सिंह)

शायद, ४७, ४८ में जापान ने लैंड रिफार्म किया था, पोलेण्ड में भी हुआ था। इस में यह क्राईटेरिया रखा कि जमीन का मालिक नहीं हो सकता। वह तो नेचरल गिफ्ट है और उसको सोसाइटी के इन्टरेस्ट में स्टेट स्वयं रेगुलेट करेगी। सोसाइटी का यहाँ मतलब लिया है रूरल कॉम्युनिटी से। इसको अगर ध्यान में रखें और यूनिट एक फेमिली के ५ सदस्य मानें और यह मानें कि उनको लिविंग और एम्प्लॉयमेन्ट मिले तो इसमें एक क्राईटेरिया रख सकते हैं कि प्रोडेक्शन कम न हो। तो यह करने से जहां नेशनल सोशल जस्टिस हम कर सकेंगे पर इसकी जगह कहीं नेशनल कैलेमिटी न ले आवें इसका ध्यान रखें, कहीं अनप्रोडेक्टिव न हो जाय यह ध्यान रखें।

जब हम यह क्राईटेरिया रखते हैं कि एक ५,७ आदमियों की फेमिली एक लैंड को वर्क करे यानि एस्टीमेट ऑफ वर्क, instrument of work. It is not an instrument of profit and exploitation but an instrument of work. कन्सेप्शन लेते हैं सीलिंग का और उधर फेमिली को रेगुलेट करते हैं लैंड से और नेशनल इन्टरेस्ट की भी गारन्टी करते हैं तो यह यूनिट ३० एकड़ से कम आवेगा और इस पर भी १० मन का क्राईटेरिया नहीं रख सकते। इन सब बातों को देखते हुए जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा, उन्होंने एक क्राईटेरिया बताया, लैंड रेवेन्यू का क्राईटेरिया रखा। इसको रिजेक्ट किया उन्होंने जो मैंने रखा। ३० एकड़ और १० मन के क्राईटेरिया को एक्सेप्ट करने का आर्गुमेन्ट दिया। पर राजस्थान में प्रोडेक्टिविटी डिफर करती है। यह वे मानेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारी खेती रेन फॉल पर डिपेन्ड करती है, सोइल नेचरल फैक्टर पर निर्धारित है। तो जो वेरीएशन का फैक्टर बताया, इस वजह से प्रोडेक्टिविटि की बात कही। अब वेल्यूएशन की वजह से दस मन का क्राईटेरिया एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें प्रोडेक्टिविटी, नीयरनैस ऑफ मारकेट को लेते हैं। १०, २० साल का एवरेज और हर तरह के प्राइस लेते हैं। लैण्ड रेवेन्यू फिक्स होती है तो इनकम्प्रीहेन्सिव चीजों को लेकर तो फ्लक्चुएटिंग बताया जो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए उसको आपने रिवर्स बताया। आपने जो प्राईस बताई वह आप कभी कम्प्लाई नहीं कर सके, न कर सकेंगे। तो ये सर्कमस्टेन्सेज बताते हैं कि जो क्राईटेरिया फ्लक्चुएट करता है तो आपका यह मकसद सक्सेस नहीं हो सकता पर आपवैल्यू ऑफ दी प्रोड्यूस पर सीलिंग लगाते तो आप स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग का आर्गुमेन्ट भी दे सकते थे। पर ३० एकड़ में १० के हिसाब से आप बात करते हैं तो इसमें कम से कम १,५००) रु० कॉस्ट निकाल दीजिये तो फिर रहता क्या है? स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग गारन्टी नहीं हो सकती जब तक कि नैट इन्कम रहेगी। उस थरटी (३०) और टैन माएड (१० मन) के क्राईटेरिया से। पर लैण्ड रेवेन्यू का क्राईटेरिया सबसे अच्छा था। आप लैण्ड रेवेन्यू के क्राईटेरिया को भी नहीं मानते।

सोशियल और ईकोनोमिक जस्टिस का क्या क्राईटेरिया कहते हैं? सोशियलिज्म को मैं मान सकता हूँ इक्वेलिटी ऑफ इन्कम वेल्थ एण्ड ओपोर्चुनिटी। जो अगर यह लिया जावे, ३० एकड़ को उस शिड्यूल पर लिया जावे जिस पर शुक्ला ने वर्क आउट किया है तो यह है पेज ५४ पर। इसमें कहीं

(श्री श्रीमानसिंह)

भी १० मन यील्ड नहीं दी हुई है। ७ से ८ भरतपुर, इक्केली कन्सेन्ट्रेटेड एरिया है। वहां ३,४,५ मन व्हीट की प्रोड्यूस दी हुई है। मैक्सिमम ८ मन दी हुई है। अब १० मन का क्राईटेरिया होगा तो लैण्ड डबल होगी, इसका निश्चित मतलब यह है। तब कितनों के साथ आप ईकोनोमिक और सोशल जस्टिस कर सकेंगे ? कितनों को इतनी लैण्ड दे सकेंगे ? अनइकोनोमिक होल्डिंग को आपको ईकोनोमिक बनाना है। डाईरेक्शन के मुताबिक क्राईटेरिया एडोप्ट करना चाहिए, जैसे यू. पी. जमींदारी एबोलिशन में किया है। पर अभी मैं उनकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। मगर यह जरूर है कि जो अगर हमको एक ईकोनोमिक स्टैन्डर्ड गारन्टी करना है और लैण्ड को इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करना है तो राजस्थान में ५ एकड पर इन्डिविजुअल आता है। जो कल्टीवेटेड और अनकल्टीवेटेड और सब राजस्थान की कल्टीवेशन को हम रिड्यूस करें तो २० एकड़ से कम में कोई भी ५ आदमियों की फेमिली इक्विटेबली और रीजनेबली सपोर्ट नहीं हो सकेगी। यह क्राईटेरिया है २७ एकड का जो लैण्ड को इस तरह से डिस्ट्रिब्यूट करते हैं तो इन्डिविजुअल को ५ एकड़ क्लेम कर सकती हैं। पर लैण्ड वेराई करती है। हम रेशों निकालें तो भीलवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अलवर, झूंझुनूं इन सबको ले लें तो एक चीज मिलेगी और वह यह कि यहां पर जो अगर इन्डिविजुअल लैंड कहीं पर लेते हैं तो बिटवीन २.४ एकड़ आवेगी। पर यहां पर आपने एक गारन्टी दे दी ३० एकड़ की और इसमें भी १० मन की तो जहां एक पांच आदमियों की फेमिली को १०, १५, से अधिक भूमि नहीं आती वहां इसका ३० का क्या रिपरकशन होगा और १० मन का क्या रिपरक्शन होने जा रहा है और उसका क्या रिपरकसन्स होने जा रहा है कि लैण्ड बढ़ेगी और जब लैण्ड बढ़ेगी, तो जहां हैवीली कन्सन्ट्रेटेड एरियाज हैं उनको हम बेनीफिट नहीं कर सकते। इस तरह से जब हम हैवीली कन्सन्ट्रेटेड एरिया को बेनीफिट नहीं कर सकते तो राजस्थान के अन्दर सीलिंग करना ठीक नहीं है। हमारा जो मकसद है और जो ढांचा हम बनाना चाहते हैं और जिस तरफ हम कन्ट्री की ईकोनोमी को ले जाना चाहते हैं और जो समाजवादी समाज का ढांचा बनाना चाहते हैं उस तरफ हम अपने समाज को नहीं ले जा सकते। जब हम उस तरफ समाज को ले जाना चाहते हैं तो फिर सीलिंग लाने से क्या फायदा ? हमें पहले तो यह देखना पड़ेगा कि अब तक हमें हमारे फूड प्रोडेक्शन में मदद क्या मिली ? अगर हमारे फूड प्रोडेक्शन में इन्क्रीज हुआ है तो हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। आपकी रिपोर्ट यह बताती है कि राजस्थान के अन्दर फूड का मेजर कन्ट्रीब्यूशन आपके स्मोलर होल्डिंग्स से आता है। तो फिर यह कहना कि हम प्रोडेक्टिविटी के स्टैन्डर्ड को लेकर चलें तो हमारे जो फैक्ट्स हैं वे हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। हम हायर सीलिंग के लिए ऐसे आर्ग्यूमेन्ट्स दे सकते हैं कि हमारा स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग खराब हो रहा है, ऐसे आर्ग्यूमेन्ट्स दे सकते हैं कि किसान अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते और प्लेसेज ऑफ प्रेस्टीज एण्ड पावर्स हैं उनकी तरफ किसानों के लड़के कभी नहीं जायेंगे। फिर मैं उन्हीं सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि जो इस दलील को देते हैं कि कितने किसानों के लडके टैकनिकल एज्युकेशन के लिए गए ? आज ८ साल से कितने किसानों के लड़के टैकनिकल एज्यूकेशन में

(श्री श्रीमानसिंह)

गये, किसानों की कितनी आमदनी बढ़ी या स्टैन्डर्ड बढ़ा ? अगर हम देखें तो शायद एक जैन्टलमेन फारमर का स्टैन्डर्ड बढ़ गया हो, एक सदस्य अमेरिका हो आये हों लेकिन एक इन्डीविजुअल एग्रीकलचरिस्ट अमेरिका नहीं गया। वही आर्ग्यूमेन्ट्स देते हैं जैन्टलमेन फारमर के बारे में कि जो अपने हाथ से वर्क नहीं कर सकते। हमारा यह नारा था कि

"Tiller of soil shall be owner."

तो इस नारे को जब हम प्रेक्टिकल रूप देते हैं तो एक एक फेमिली को को-रिलेट करना पड़ेगा उसकी वर्किंग केपेसिटी से। और जब हम एक फेमिली को उसकी वर्किंग केपेसिटी से को-रिलेट करेंगे तो टिलर्स हैं वे ऑनर्स हो जायेंगे तो जो ऑनर्स हो जाते हैं उस हालत में हमें पेरेसाइट्स से कोई सिमपेथी नहीं रखनी चाहिए। हम लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, जो लैण्ड लैस हैं उनको जितनी लैण्ड प्रोवाईड कर सकते हैं और बहुमत के लिए जितनी जमीन प्रोवाईड करते हैं वही आज हम पेरेसाइट्स के लिए प्रोवाईड कर रहे हैं, उनको हम रूरल सीन से हटा नहीं रहे हैं। यह जो आज आर्ग्यूमेन्ट्स सीलिंग के लिए दिये जा रहे हैं यह केवल किसानों को बहकाने के लिए दिये जा रहे हैं। एक आदमी की इन्डीविजुअल होल्डिंग १० एकड़ है उससे ज्यादा नहीं जाती तो हमारे राजस्थान के अन्दर केस यह लोअर सीलिंग के लिए एस्टेब्लिश होता है। हमारा मकसद है कि लैण्डलेस को जमीन मिलनी चाहिए और उसको हम जमीन देना चाहते हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर लैण्डलेस की पोपुलेशन करीब ४ लाख के है और इस ४ लाख में से अगर देखा जाये तो यह देखना पड़ेगा कि हालात क्या हैं ? उनमें से ७४ परसेन्ट केजुअल वर्कर्स हैं। २० परसेन्ट ऐसे होंगे कि जिनके पास जमीन है और जमीन भी उनके पास मुश्किल से एक एकड़ आती है। उसके ऊपर वह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब अगर हम एम्पलॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो साल में से ३६५ दिन में से लेबर को १०० या १२० रोज रेग्युलर एम्पलॉयमेन्ट मिलता है और वह भी कैसे मिलता है कि जितने टाईम वह काम करते हैं उसके अनुसार वेज उनको दी जाती है लेबर ने जितना टाईम डिवोट किया उनके अनुसार ही उसको वेज मिल जाती है वर्ना ९८ दिन उनको काम नहीं मिलता है और बाकी के वह सबसीडेरी एम्पलॉयमेन्ट से अपना काम चलाता है। तो आज यह हमारे लैण्डलेस की हालत है और फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि उनकी इन्कम क्या है। तो एनुअल इन्कम एक लैण्डलेस लेबर की एक फेमिली आती है ४. समथिंग तो उसमें से सिर्फ लैण्डलेस लेबर दो आदमी वर्क करते हैं और बाकी के और आदमी इन्डीपेन्डेन्ट हैं और बाकी के ३ रह जाते हैं वह केजुअली उसको हैल्प करते हैं। यह लैण्डलेस की फेमिली की वर्किंग केपेसिटी है और इन्कम जो है वह शायद Per Day १५ आना आती है और टोटल राजस्थान का लगाया जाय तो ४००) रु० या ५००) रु० के करीब आयेगा। यह लैण्डलेस लेबर की हालत है। दूसरी तरफ काउन्टर पार्ट उन लेबर्स का है कि जो इन्डस्ट्रीज़ में काम करते हैं। उनकी इन्कम लैण्डलेस लेबर से डबल या ट्रिबल आयेगी। जहां इन्डस्ट्री के लेबर की इन्कम २००) रु० आती है तो एक लैण्डलेस लेबर की इन्कम करीब १००) रु० आती है।

(श्री श्रीमानसिंह)

इसके अलावा यह भी देखना पड़ेगा कि जो अर्बन पोपुलेशन के लेबर्स हैं उनके डिपेन्डेन्ट कम हैं और लैण्डलेस लेबर के डिपेन्डेन्ट ज्यादा हैं। हमारे यहां सीलिंग का मकसद यह माना है कि हम लिविंग दें। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है और यह भी मकसद है कि जो अनएम्पलॉयमेन्ट और अण्डर एम्पलॉयमेन्ट है उस प्रोब्लेम को भी सॉल्व करें। सीलिंग हम रख तो देते हैं लेकिन यह भी देखना होगा कि अगर हम हायर सीलिंग फिक्स करते हैं तो जो लैण्डलेस लेबर्स होंगे उनके यहां काम करेंगे। इसलिए जहां तक एम्पलॉयमेन्ट की प्रोब्लम है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हमारा प्रिन्सिपल सोशियल इकॉनोमी का है और प्राईसेज़ जो लेबर की डिटर्मिन करते हैं वह अनईकॉनोमिक होल्डिंग करते हैं। तो कभी कभी लैण्डलेस लेबर्स को राजस्थान के अन्दर, जो अगर हम मिनिमम वेज भी लागू करें तो उसके अनुसार भी प्राईस नहीं मिलती। लैण्डलेस-लेबर की जो एक्सचेंज वेल्यू है लेबर की वह हमेशा फॉल होती है और जब फॉल होती है तो जो हम लैण्डलेस लेबर की पोज़ीशन इम्प्रूव करना चाहते हैं अगर हम लोअर सीलिंग नहीं रखेंगे तो उनकी पोज़ीशन इम्प्रूव नहीं होगी बल्कि और डिटियोरेट करेगी। तो जो हमारा मकसद है कि हम लैण्डलेस को लैण्ड डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तो यह क्राईटेरिया हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा और वह क्राईटेरिया है लोअर सीलिंग का। चाहे यह क्राईटेरिया हमें डिस्ट्रिक्टवाइज़ एडॉप्ट करना पड़े, चाहे तहसीलवाइज़ एडॉप्ट करना पड़े, चाहे विलेज वाइज़ एडॉप्ट करना पड़े या फिर चाहे डिविज़न वाइज़ एडॉप्ट करना पड़े लेकिन हमको लोअर सीलिंग का क्राईटेरिया एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। हमारी जो रूरल ईकोनोमी की प्रोब्लम है वह है हायर प्रोडेक्शन। तो हायर प्रोडेक्शन, एम्पलॉयमेन्ट और रूरल ईकॉनोमी की जो डिमीज़ है उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोगों को एम्पलॉयमेन्ट की गारन्टी तब ही दे सकते हैं जब कि हम लोअर सीलिंग रखें। इसके सिवाय हमारे पास और कोई जरिया नहीं है तो फिर और कोई जरिया नहीं होते हुए भी हायर सीलिंग का क्राईटेरिया रखें तो यह एक चीज के लिए एडजेक्टिव हो सकती है। लेकिन जो क्राईटेरिया रखा That criteria is unworthy. मेरा जो लैण्ड रेवेन्यू को क्राईटेरिया है या जो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आपने पोईन्टआउट किया वह आइडिया जस्टफाइड है? आज सबसे बड़ी जो कनफ्लक्ट चल रही है वह ईकॉनोमिक डिस्पेरिटी की वज़ह से चल रही है। तो इन कनफ्लिक्ट्स को ठीक करने के लिए हमें इक्वेलिटी लानी पड़ेगी और यह इक्वेलिटी हम तब ही ला सकते हैं जब कि हम लैण्ड का प्रोपर डिस्ट्रिब्यूशन करें। लैण्ड के पजेशन को ही वैल्थ समझा जाये उसको हर एक के हाथ में पहुँचाना पड़ेगा जो कि ६० परसेन्ट या ८० परसेन्ट आपकी लैण्ड के ऊपर डिपेन्ड करते हैं।

दूसरी बात मैं इर्रिगेशन के बारे में कहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने चाही और गैर चाही के लिए आग्यूमेन्ट्स दिये और मेरे नोट ऑफ डीसेन्ट में भी यह है कि राजस्थान के अन्दर हम यह कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन उसकी ज्यादा है। मैं मान सकता हूं कि वेल इर्रिगेशन का कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन ज्यादा हो सकता है मगर बीकानेर के अन्दर गॅग केनाल है उसकी इर्रिगेशन की कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन ज्यादा

(श्री श्रीमानसिंह)

नहीं है। वहां पर हमने एक गारन्टी जो कर दी है कि गँगानगर में किसी भी हालत में ३० एकड़ से कम होगी ही नहीं। तो जो केनाल इर्रिगेटेड है, जहां पर कि पेरीनियल इर्रिगेशन है वहां का प्रोडेक्शन ज्यादा है। ३० मन भी वह करें। वहां पर आपने गारन्टी कर दी है कि ३० एकड़ से कम नहीं होगा। कोई बेसिस नहीं है। कोई जस्टिस डिमान्ड नहीं करता है कि एक पेरिनियल एरिया के अन्दर आप फिक्स कर देंगे कि इससे कम नहीं होगा। आखिर क्या बेसिस है? अगर उस प्रश्न को छोड़ दें क्योंकि गंगानगर का ज्यादा आप बता सकते हैं लेकिन जितनी स्टेडीज़ हैं वे स्टेडीज़ इस बात को पोईन्ट करती है और शायद आपको मिल जायेगी कि इर्रिगेटेड एरियाज़ की स्टेडीज़ हैं उनमें सब में है कि वहां पर प्रोडेक्शन दुगुना, तिगुना सब जगह से होता है। उनको एक सिक्योरिटी रहती है। वे अपने प्रोडेक्शन को रेग्युलेट कर सकते हैं। वे कन्जेम्पशन की और कॉमर्शियल क्रॉप्स दोनों ही पैदा कर सकते हैं और जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उनकी एक मिक्स्ड इकॉनोमी होती है और जिस जगह एक मिक्स्ड इकॉनोमी होती है वहां पर आप कॉमर्शियल और स्टेपल क्रॉप्स पैदा करें, वहां पर आप गारन्टी कर दें कि ३० एकड़ से रिड्यूस नहीं करेंगे। तो एक और कुछ फार्मर्स हैं कि जिनके पास ३० एकड़ है वह सिंगल क्रॉप एरिया है उनके साथ इन्जस्टिस है तो गंगानगर के इस पोईन्ट को सोचना पड़ेगा।

जो वेल इर्रिगेशन है उसके लिए आपने दिया है कि हमारे यहाँ जो है राजस्थान में हम वेल इर्रिगेशन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। जहां तक माननीय मन्त्री महोदय का भविष्य में प्रोत्साहन देने का आर्ग्यूमेंट है, मैं उससे कम से कम सहमत नहीं हूं। एक दफा ३०, ४० एकड़ की कोई सीमा निर्धारित कर देते हैं उसके बाद भविष्य में प्रोत्साहन एग्जेम्पशन से नहीं मिलेगा। जिसको कुआ खोदना होगा वह अपने आप खोदेगा। वह प्रोत्साहन मिलेगा ऋण से, लोन से और जो तकावी देने की मशीनरी है उसको गियर-अप करने से। ज्यादा लोन देना इन्सेन्टिव है। उससे फ्यूचर इन्सेन्टिव किल होता है। वेल सिंकिंग का तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। प्रेजेन्ट सिचुएशन को देखें तो एक तरफ तो ३० एकड़ १० मन का सीलिंग एरिया बना दिया दूसरी तरफ यानि जो फेक्ट्स हैं, मैं यह नहीं कहता कि सलेक्ट कमेटी ने क्या किया मगर इतना मैं कह सकता हूं कि सलेक्ट कमेटी ने राजस्थान के फेक्ट्स को नजर में नही रखा, राजस्थान में फेक्ट्स को बिल्कुल नहीं देखा। हम इर्रिगेटेड फेक्ट्स को देखते हैं तो राजस्थान के अन्दर इर्रिगेशन की क्या हालत है। जब हम एग्जेम्पशन ग्रान्ट कर देते हैं तो हम इक्वीटेबल, साईन्टिफिक एण्ड सोशल व जस्टीफोयेबल कैसे कहे जा सकते थे? राजस्थान के अन्दर टोटल इर्रिगेटेड ३३.३५ लाख है। केनाल से जो इर्रिगेटेड होती हैं वह ७.२ और टेंक से है ४.४३ लाख, और वैल से जो इर्रिगेटेड है वह २१.५४ लाख है। तो ३३.३५ लाख में से जो वैल इर्रिगेटेड है जिसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं वह २१.५४ लाख है यानि उसका पर्सेन्टेज हुआ ५०.६०। वह मैथेमेटिशियन्स वर्कआउट करें। इतने हाई रेट का इर्रिगेटेड एरिया है। इर्रिगेशन के टोटल में वैल इर्रिगेटेड सबसे ज्यादा है। उस वैल इर्रिगेटेड एरिया को एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो

Page No.55

(श्री श्रीमानसिंह)

हम यह मान कर चलते हैं कि राजस्थान में सीलिंग नहीं करना है। हम कम्प्लीटली इस प्रिन्सिपल से डिनाई कर देते हैं। मैं यह क्यों कहना चाहता हूं कि इस तरह का सीलिंग हमें नहीं लाना है, क्यों फेक्ट्स को हम नहीं रखते हैं ? राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान का स्टेटिस्टिकल ऐटलस सप्लाई किया है। उसके अन्दर देखा जाय तथा हम राजस्थान को डिवाइड कर दें फर्टाईल और डेजर्ट एरिया के अन्दर। सबसे ज्यादा वैल इर्रिगेशन उसी जगह आता है जिन जगहों के नाम दिये हैं, सिवाय जोधपुर के पाली, जालोर और एकाध जगह आती है, बाकी डूंगरपुर, बांसबाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, भरतपुर यानि ईस्टर्न राजस्थान। ईस्टर्न राजस्थान में आप कहीं भी चले जांय तो वह वैल इर्रिगेटेड है। डेज़र्ट में वैल्स कोई नहीं हैं। आप जस्टिस करना चाहते हैं तो डेज़र्ट को बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दें जहां कि बारानी लैण्ड है तो उसका इफेक्ट नहीं होनेवाला है वर्ना राजस्थान में इस चीज को लागू करते हैं तो फेक्ट से कन्ट्राडिक्ट करते हैं क्योंकि लागू करने से सीलिंग इनइफेक्टिव हो जायगा। अगर इफेक्ट्स को नहीं देखते हैं तो फिर हमारा मतलब क्या है ? राजस्थान में सीलिंग लाने का विचार छोड़ दें। अगर हम दुबारा वैल इर्रिगेटेड लैण्ड को एग्जेम्प्ट कर दें तो आखिर वह जमीन आने की कहाँ से है ? मुझको ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय अब मेन्युफेक्चर करना शुरू कर देंगे। इतना सब एग्जेम्पशन दे दिया, कर दिया और उसके बाद यह कहते हैं कि हम लैण्ड को लैण्डलेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले का जो शेड्यूल था उस शेड्यूल से यह था कि हर तहसील की पिक्चर क्लियर थी कि ५० एकड़ इस तहसील में लागू किया जायेगा तो वह वर्क-आउट हो सकता था कि इससे कितनी जमीन मिलेगी। उससे इतनी जमीन रिलीज होगी। इससे इतने आदमियों को बेनिफिट होगा और इतने आदमियों को बेनिफिट नहीं होगा। इस रेफरेन्स में इस जस्टीएबल क्राईटेरिया से इतना फायदा जरूर हुआ कि कोई क्लीअरली कुछ नहीं कह सकता कि कहाँ पर कितनी लैण्ड होगी? कितनी जमीन मिलेगी यह हम निश्चित निर्णय नहीं कर सकते हैं। हमें अभी जो सब मन्त्री महोदय ने बताया उसको माना जाय तो सबसे बड़ा डिमेरिट इसका यह है कि यह बहुत वेग है। इसको कहा जाय कि मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस शायद ऐसे है कि उसकी कहीं पर क्लिअर पिक्चर नहीं लगा सकते हैं।

दूसरा यह है कि सीलिंग कमेटी का निर्णय यह था, मतलब यह था कि राजस्थान के अन्दर सीलिंग लगाया जाय। सीलिंग इसलिए लगाया जाय कि ४ लाख जो लैण्डलेस हैं उनको जमीन मिल जाय और जो आपके अनईकॉनोमिक होल्डर्स हैं उनको जमीन मिल जाय। अगर सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं और इस बिल को देखते हैं तो अनईकॉनोमिक होल्डर्स को जमीन देने का प्रश्न तो दूर है जो ४ लाख लैण्डलेस वेस्ट हैं उनको भी हम नहीं दे सकते।

तीसरे, मैं आऊं एग्जेम्पशन के ऊपर। तो एग्जेम्पशन्स में हर दफा प्लानिंग कमीशन का रेफरेन्स देते हैं। मैं चाहता नहीं था कि माननीय मन्त्री महोदय प्लानिंग कमीशन का रिफरेन्स दें। मगर मेरे को इस बारे में कुछ सीलिंग की हिस्ट्री या इतिहास पर जाना पड़ेगा और जब इस देश के अन्दर

(श्री श्रीमानसिंह)

फर्स्ट फाईव ईअर प्लान बना तो प्लानिंग कमीशन के सामने अभी तक यह क्लिअर पिक्चर नहीं थी कि हम सीलिंग इम्पोज करें या नहीं।

प्रथम जो अगर ड्राफ्ट आउट लाईन को देखेंगे तो उसमें प्लानिंग कमीशन का जो एप्रोच है वह बड़ा डरा हुआ एप्रोच है। क्या-कि उन्होंने देखा कि जो चीज हम प्लान करना चाहते हैं उससे कहीं ऐसा न हो कि उल्टा असर पड़े। सीलिंग इम्पोज करें तो कहीं प्रोडेक्शन में कमी नहीं आवे। फर्स्ट फाईव ईयर प्लान में उन्होंने कम्पलीटली सीलिंग को रिजेक्ट किया। बाद में ख्याल आता है तब पता नहीं किस वजह से प्लानिंग कमीशन डिसाईड करता है कि फ्यूचर में जो कोई लैंड ले, किसी आदमी को लैंड एलॉट की जाय उस पर सीलिंग लगाई जाय लेकिन प्रेजेन्ट पर नहीं लगाई जाय। तो पहले प्लान में फ्यूचर लैंड एलॉटमेंट पर इसे एक्सटेन्ड किया। फिर जाकर उन्होंने देखा कि प्रोडेक्शन बढ़ा नहीं है और फूड शोर्टेज भी रहा और एग्रीकल्चर ने इन्डस्ट्रीज को भी हैल्प नहीं किया तब प्लानिंग कमीशन के और कंट्री के प्लानर्स के दिमाग में और ईकॉनोमिस्ट्स और पोलिटिशियन्स के दिमाग में यह बात आई कि हमें लैंड को डिस्ट्रिब्यूट करना है और थर्ड प्लान में यह क्राईटेरिया एडोप्ट किया कि प्रजेन्ट होल्डिंग्ज पर भी सीलिंग किया जाय। सीलिंग अपने मुताबिक कराया जाय लेकिन बड़े बड़े फार्म्स हैं उनको डिस्टर्ब मत करिये। क्राईटेरिया यह रखा कि प्रोडेक्शन कम न हो। प्लानिंग कमीशन के पास टेक्निशियन्स मौजूद थे, राजस्थान गवर्नमेंट के पास टेक्निशियन्स मौजूद थे और उनके पास फेक्ट्स व फिगर्स मौजूद थे जिनसे पता चल सकता था कि हमारे स्टेट का प्रोडेक्शन कितना है। यू. पी. जमींदारी बिल डिस्कस करते समय आर्ग्यूमेंट आये कि हम जो अगर सीलिंग इम्पोज करेंगे तो नतीजा यह होगा कि मारकेटेबल सर्प्लस कम हो जायेगा? लेकिन यह आता कैसे है? आपके जो रेकार्ड हैं उनमें बताया गया है कि जो साईज ऑफ होल्डिंग्ज हैं ६३,५१ ४५१ एकड़ फर्स्ट केटेगरी का है, बाकी ३० से ६० एकड़वाले ५७,३६, १५० एकड़ है ये सेकिन्ड पोजिशन ओकुपाई करते हैं और थर्ड वे हैं जिनको एग्जेम्पट किया जा रहा है। २५० एकड़ तक एग्जेम्पट नहीं होंगे। स्पेसिफिकेली मैकेनाईज्ड फार्म वे आते हैं जो ३०० से १,००० या उससे अबव के हैं उनको एग्जेम्पट किया जायेगा। उनकी टोटल लैंड ३०० से ५,००० तक जो ७८,८५,७५२ एकड़ है। एक हजार एण्ड एबव जिनके लिए एग्जेम्पशन देते हैं उनका टोटल एरिया देखते हैं तो हमको यह मान कर चलना पड़ेगा कि राजस्थान की फूड समस्या इन फार्म्स पर निर्भर नहीं है। १ करोड़, ७५ लाख की जन संख्या यहां की है उसको ये फार्म्स फीड नहीं करते हैं। मारकेटेबल सरप्लस इन फार्म्स से नहीं आता बल्कि राजस्थान की जनता को फीड करते हैं अनईकोनोमिक होल्डिंग्ज और मीडियम साईज के होल्डिंग्ज हैं वे फीड करते हैं। बड़े फार्म की प्रोडेक्शन में कमी आती है तो उससे डरना नहीं चाहिये क्योंकि दूसरों का प्रोडेक्शन इन्क्रीज होगा।

दूसरा क्राईटेरिया एफिशियेन्टली मेनेज्ड का है। एक एफिशियेन्ट मेनेज्ड की डेफिनेशन हाई कोर्ट के जजेज ने डिसाइड की होगी। लेकिन एफिशियेन्टली मेनेज्ड

(श्री श्रीमानसिंह)

का क्राईटेरिया आपका क्या है उसे प्रेस्काइब किया जाना चाहिये कि इस तरह के फार्म्स इसमें इन्क्ल्यूड होंगे।

मैं भरतपुर के मेकेनाइज्ड फार्म्स का हाल बताना चाहूँगा। वहाँ पर जितने भी फार्म्स थे ३०० एकड़ के या कम के उनके मालिकों ने ट्रेक्टर्स खरीद लिये यहाँ तक कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को भी पता है कि जिसके पास एक या दो एकड़ जमीन है उसने भी ट्रेक्टर खरीद लिये और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उन्हें लोन दे दिया। उनको क्या आप मेकेनाईज्ड और एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स समझेंगे जो कि राजस्थान के स्टेन्डर्ड ईकोनोमिक फार्म्स के बराबर भी नहीं हैं? लेकिन हैं मेकेनाइज्ड। क्योंकि उन्होंने ७ हजार का ट्रेक्टर और ३ हजार के अन्दर इम्प्लीमेन्ट्स खरीद लिये हैं। इस तरह के दो एकड़ फार्म्स होल्डर्स को भी भरतपुर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने २०, २० हजार तक का लोन दिया है मेकेनाईज्ड फार्म्स की हैसियत से एग्जेम्पशन लेने के लिए। इस तरह के भरतपुर में कितने ही मेकेनाईज्ड फार्म्स हैं। बहुत से लोगों ने तो ट्रेक्टर के लिए पैसा ले लिया और ट्रेक्टर बिना खरीदे ही तहसीलदार से सर्टीफिकेट ले लिया...

श्री नाथूराम मिर्धा: २ एकड़वाला १० हजार का लोन कैसे ले सकता है और एग्जेम्पशन कैसे ले सकता है?

श्री श्रीमानसिंह: यह आपके यहाँ का ही स्टेटमेंट है।

मेकेनाइज्ड फार्म्स को डिस्क्राइब करते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मेकेनाईज्ड फार्मेस क्रिएट करने में किस नेचर की हैल्प दी है यह आपको भरतपुर में मालूम होगा। इसी तरह का हाल सभी डिस्ट्रिक्टस में मिलेगा और उनको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि २०,००० रुपयों का उनको लोन जो दिया गया है। हमारे यहाँ राजस्थान में इस तरह की मेकेनाइज्ड फार्मिङ्ग चल रही है।

अब इस एफिशियेन्सी का क्राईटेरिया क्या हो सकता है? हजार एकड़ के फार्म को ५००, ५०० में ब्रेक कर दीजिए तो क्या एफिशियेन्सी कम हो जायेगी? आप यह बतादें कि इस तरह के ब्रेक-अप से इस तरह से एफिशियेन्सी कम हो जायेगी। इसके बारे में मैं हाउस का ज्यादा टाईम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने ज्यादातर जो ईकनोमिस्ट हैं प्रोफेसर दँतवाला उनके व्यूज नोट ऑफ डिसेन्ट में इनकोर्पोरेट किये हैं जो इस प्रकार हैं:

"Further more exemption should only be granted to large farms only if it can be demonstratively proved that the application of the regulation will seriously diminish efficiency. This would satisfy the consideration of 'Public interest' and would also be in conformity with the general principles of equality.

Suffice here to state that if it was intended that in doing so the standard of efficiency should not be impaired, the test should have been not whether the large self-cultivated holdings are

(श्री श्रीमानसिंह)

efficiently managed but rather whether as a result of a ceiling regulation and redistribution, the aggregate efficiency is likely to be Jeopardised. It is not correct to take such an out-come for granted." तो उन्होंने जो क्राईटेरिया एफिशियेन्सी का रखा उसमें जब तक हम यह न देखें कि इस प्रकार का टेक-अप करने से एफिशियेन्सी कम नहीं होती है तो पहले से ही सुरक्षित करदें तो नतीजा यह होता कि जो लैंड-लेस लोग हैं या जिनके पास अनईकॉनोमिक होल्डिंग हैं उनको लैंड मिल सकती थी लेकिन इसको ब्लोक कर दिया। जब एग्जेम्पशन देते हैं तो एक चीज जरूर मान कर चलते हैं कि जो सीलिंग का प्रिन्सिपल, फेमिलि होल्डिंग का सिद्धान्त है उसमें हम उसे नहीं मानते। इसमें क्यों नहीं मानते? यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान में एक टाइप का केपिटेलिस्टिक फार्मिंग रखना चाहते हैं जो हायर्ड लेबर से काम ले सके और जो दूसरों को एक्सप्लोईट कर सके। इसको हम मेनटेन करेंगे तो एक ट्रबल स्पोट पैदा होगा। क्योंकि लोग समझेंगे कि ये किस तरह के बड़े फार्म रखे हैं, इनको गवर्नमेन्ट ने हैल्प दी है, हमको हैल्प नहीं दी इसलिए हमारे फार्म मेकेनाईज्ड नहीं हो सके, सरकार से मदद नहीं मिल सकी इसलिए हम पर सीलिंग लागू हुई। इसलिए हम रूरल ईकानोमी में कोनफिलक्ट और एनवी पैदा कर देंगे। आप अगर बड़े फार्म की युटिलिटी समझते हैं तो गवर्नमेंट उनको ले ले और डिमॉन्सट्रेशन फार्म्स के रूप में उनको रखे और उनके मालिकों को कंपेनसेशन दे दें। जो भविष्य के लिये ढाँचा देश के सामने रखा है वह यह है कि एक तरफ तो फेमिलि प्लानिंग हो और दूसरी तरफ हो कोऑपरेटिव फार्मिंग। और आप जो अगर एग्जेम्पशन देकर केपिटेलिस्टिक फार्मिंग बनाते हैं तो वह न तो समाजवाद के ढाँचे में फिट हो सकता है और न उसमें समानता लाने का दम है। तो एग्जेम्पशन के पीछे कोई रीजन नहीं है। सिर्फ एक डर है कि कहीं इनको तोड़ने से प्रोडेक्टिविटी कम न हो जाय, कहीं एफीशियेन्सी कम न हो जाय। जो प्रोडेक्टिविटी का सवाल है, इसे फेक्ट्स और फिगर्स कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं। एफीशियेन्सी का सवाल है, सो बात यह है कि आपका मतलब हो सकता है कि हजारों एकड़ जमीन है उसको ५००, ५००, ४००, ४०० में डिवाईड कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि उससे एफिशियेन्सी कम होगी। इस डिविजन से हमें देखना पड़ेगा कि सोशियेली, ईकॉनोमिकेली बेनिफिट हो। अगर बेनिफिट हो तो डिवाईड करना पड़ेगा और सीलिंग एरिया लागू करना पड़ेगा। अब सोशियेली और ईकानोमिकेली क्यों बेनिफिसियल है? वह इसलिए है कि एक तरफ हायर सीलिंग लैंड कम रखते हैं और दूसरी तरफ छोटे और बड़े इर्रिगेटेड लैंड रख देते है, तीसरी तरफ एग्जेम्पशन ग्रान्ट करते हैं। इन तीनों को टोटेली देखें तो इनके असर से ज्यादा से ज्यादा जमीन सीलिंग एरिया से बाहर रहेगी, सीलिंग से ज्यादा से ज्यादा जमीन बाहर रहती है........

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

तो इस तरह बिल का मकसद पूरा नहीं होता है।

मैंने सदन का काफी समय ले लिया है और इस सब्जेक्ट को मैं कॉम्प्रीहेन्सिवली डील नहीं कर सकता और माननीय सदस्य इसको

(श्री श्रीमानसिंह)

कर सकेंगे। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर अग्रेरियन सोसाइटी, अग्रेरियन ईकॉनोमी, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोब्लेम को सोल्व करने के लिए हर एक तरह के कदम उठाये, मगर उन कदमों के अन्दर सफलता प्राप्त नहीं हुई बल्कि यह हुआ कि जिस जिस तरह हम रिफॉर्म लाते गये तो व्यक्ति विशेष को फायदा होता गया। सीलिंग एक जनरल आदमी के जनरल बेनिफिट के लिए हो, जनरल बेनिफिट क्योंकि हमारी रूरल ईकॉनोमी और रूरल पोपूलेशन में हमें यह मान कर चलना पड़ेगा, सबसे ज्यादा गरीब हैं और पूअर हैं और हमें इस पॉवर्टी को हटाना है। वह पॉवर्टी तभी हट सकती है कि जब उन के लिए एम्प्लॉयमेंट के मीन्स दें, उनके लिए हम लिविंग के मीन्स दें, उनको एक आर्थिक, ईकॉनोमिक सीक्योरिटी दें, ईकॉनोमिक स्टेबिलिटी ग्रान्टकरें। इन सब चीजों कोग्रान्ट, करें तो इन पर राजस्थान का भविष्य निर्भर है। इसलिए रूरल और एग्रीकलचर ईकॉनोमी के लिए, राजस्थान सरकार के भविष्य निर्माण के लिए सहयोग देना चाहिए। यदि सदन और माननीय मन्त्री चाहते हैं कि राजस्थान का भविष्य उज्जवल हो और राजस्थान एक इन्डस्ट्रीयल स्टेट हो तो लैण्ड इक्वेली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमारा जो प्लानिंग का मकसद है वह है कि हम मेक्जिमम रिसोर्सेज यूटीलाईज करें। इस वक्त हमारे यहां जमीन मिनिमम और इन-एडीक्वेट है और मेक्जिमम ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको मेक्जिमम युटीलाईज करें और मिनिमम मीन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे हर एक आदमी को फायदा पहुंच सके। जो इन-एडीक्वेट लैण्ड है उसको ८० परसेन्ट में बाँटना है। इसके लिए हमारा क्राईटेरिया सीलिंग हो या और सोच लें जिससे ८० परसेन्ट को लैण्ड बाँट सकें। हमारे साधन सीमित हैं लेकिन यह ध्यान रखना है कि चार लाख जो अनईकोनोमिक होल्डिंग की पोपूलेशन है वह इतनी है कि समाज में जिस तरह से अनटचेबिलिटी थी वह ईकोनोमिक अनटचेबिलिटी सोशियेली दब रही है। आखिर उनको ऊंची सोसाइटी में, ऊंचे लेवल पर लाना है तो हमें निर्णय करना पड़ेगा और बड़ी मजबूती के साथ निर्णय करना पड़ेगा कि किस तरह से ईकोनोमिक लेवल पर लायें। आज जो कॉनफ्लिक्ट है रूरल सोसाइटी में उनके लिए एक कोऑपरेटिव स्प्रिट क्रियेट करनी पड़ेगी। इसको किस तरह से कर सकते हैं? मैं समझता हूँ यह तभी हो सकता है जब वैल्थ का इक्वेली डिवीजन करें। यह इक्वेली डिवीजन हो तो राजस्थान में लोअर सीलिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्राईटेरिया आप सोचें जो मैंने क्राईटेरिया दिया वह पसन्द न हो तो दूसरा विचार ढूंढें लेकिन लोअर सीलिंग से राजस्थान में इन्डस्ट्रीयल एडवान्समेंट ग्रान्ट कर दें। राजस्थान में आज जमीन होते हुए भी पूरे राजस्थान के लायक अनाज पैदा नहीं कर सकते क्योंकि आज काश्तकार में इन्सेन्टिव नहीं है। वह आज इन जनरल विचार करता है, अनईकोनोमिक होल्डिंग पर खेती करता है, हमारे यहां सब टिनेन्सी मौजूद है। हम कम से कम परसन्टेज देखें तो हमारे यहां लैण्ड होल्डर्स हैं उनकी परसन्टेज कम है। बाकी की परसेन्ट उनकी है जो टिनेन्ट एट विल हैं, लैंड लेस हैं। उनमें इन्सेन्टिव हो। जहाँ प्रोब्लम ऑफ इन्सेन्टिव को देखते हैं वहाँ यह ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि

(श्री श्रीभानसिंह)

मेजोरिटी के लिए फायदा करना है और जब करना चाहते हैं तो मेजोरिटी के हाथ में इन्स्ट्रुमेंट रखने पड़ेंगे, साधन रखने पड़ेंगे जिनसे वे अपने स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ायें और साथ साथ हमारे प्रान्त की फूड प्रोब्लम को सोल्व करें। जो देश की फूड प्रोब्लम है, एम्पलॉयमेन्ट की प्रोब्लम है। अन्डर एम्पलॉयमेंट प्रोब्लम है, पोवर्टी की प्रोब्लम है उसको सोल्व करें। अगर इस मेजर से ये प्रोब्लम नहीं सोल्व कर सकें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इल्लीट्रेट मासेज पेसिमिस्टिक आईडियल्स की तरफ झुक जायेगी। जो प्रॉमिज करेंगे प्रोब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ईकॉनोमिक अनस्टेबिलिटी, सोशियेली इनस्टेबिलिटी, पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी को स्टेबल बनाना है तो ईकॉनोमिक और सोशल जस्टिस कर सकते हैं जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं रिमाइन्ड करूंगा कि रूरल एरिया में एक स्पोट पावर्टी का रहा तो A stop of poverty is dangerous to prosperity everywhere.

(थम्पिंग)

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सिक्स्थ अमेंडमेंट बिल, जो हमारे सामने है, उसको प्रवर समिति को रेफर करने के लिए प्रस्ताव रखा है। श्रीमान्, जिस रूप में यह बिल हमारे सामने है, मेरा विचार है कि इससे बहुत अच्छा उन लोगों के हित में वह बिल होता जिसको कि हम मूल बिल कहते हैं और जिस उद्देश्य से इस बिल को इस सदन में हम लाये हैं उसका उद्देश्य यह है कि राजस्थान के उस किसान वर्ग को जो कि खेती तो करता है लेकिन जिसके पास जोतने के लिए जमीन नहीं है उसको जमीन मिले और जो आज दिन भूमि की समस्या है, छोटे छोटे खेत हैं, कहीं और कहीं हजारों एकड़ जमीन है इस समस्या को किस प्रकार से हल किया जाय? सभापति महोदय, जिस रूप में यह बिल हमारे सामने है, इस बिल से मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समस्या जो हमारे सामने पहले थी वह आगे भी मौजूद रहेगी। आज दिन हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर कुल ४ लाख कृषि मजदूर हैं जो कि सादियों से खेती करते आ रहे हैं, जिनके पूर्वज सदियों तक खेती का काम करते रहे और मेरा निश्चित् विचार है कि उन ४ लाख व्यक्तियों में ज्यादा नहीं तो कम से कम ७५ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको हम हरिजन कहते हैं। क्योंकि इस स्टेट के अन्दर पहले जागीरदारों और राजाओं का राज्य था। उस समय ऊंची जाति के लोगों के पास जमीन थी या मिल गई किसी तरह उसकी हार्थिक हालत ठीक थी। हरिजनों के पास गरीब होने के कारण जमीन नहीं थी। मेरा विश्वास है कि ज्यादातर वे लोग होंगे जिनको हरिजन कहते हैं और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ४ लाख ऐसे आदमी हैं जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है और इस तरह से आगे ढ़ाई एकड़ से कम जमीनवाले भी ४ लाख किसान हैं और आगे ५ एकड़ से कम के ४ लाख किसान हैं। इस तरह से तो १६, १७ लाख ऐसे आदमी हैं जिनके पास या तो जमीन ही नहीं है या है तो इतनी कम है कि उससे उनका पेट पूरा नहीं होता। ऐसी स्थिति में कुछ माननीय सदस्य कहें कि राजस्थान में सीलिंग की आवश्यकता नहीं है तो मैं सम-

(श्री गिरधारीलाल)

मझता हूँ आज के इस वैज्ञानिक युग में इस प्रकार के विचार उपयुक्त नहीं कहे जा सकते।

आपने एक सिद्धान्त को माना है कि हम हमारे देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। राजस्थान में समाजवाद लाना चाहते है। आप को-ऑपरेटिव पर विश्वास करते हैं। आज के समाज में जिस तरह का भेदभाव चल रहा है वह आगे नहीं रहना चाहिये। गरीबों के, किसानों के शोषण को अब हम पसन्द नहीं करेंगे, इस सिद्धान्त को आपने माना है और इस सिद्धान्त को इसमें लागू करते हैं तो इससे कुछ मतलब हल नहीं होता। आप को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बना कर खेत को-ऑपरेटिव बेसिस पर खेती कराना चाहते हैं। पर यदि एक के पास १०० एकड़ जमीन है और दूसरे के पास केवल ५ एकड़ जमीन ही है और तीसरे के पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है तो आप किस तरह को-ऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे? इस तरह आप समाजवाद नहीं ला सकते। को-ऑपरेटिव जिस पर कि आप विश्वास करते हैं वह आप इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि एक के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, दूसरे के पास केवल ५ एकड़ जमीन ही है और तीसरे के पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है तो फिर आप किस तरह को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बना कर को-ऑपरेटिव बेसिस पर फार्मिङ्ग करायेंगे और समाजवाद लायेंगे? यह मेरी समझ में नहीं आता।

आज जिस तेजी के साथ देश में पोपुलेशन बढ़ रही है राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। बड़े बड़े अर्थ-शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, और वैज्ञानिकों को इसे देख कर फिक्र हो रहा है कि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उसको आगे जाकर खिलायेंगे क्या? एक बैल को रहट के आगे जोड़ कर या बीवी को हल के आगे जोड़ कर हम अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ा सकते। जब तक कि वैज्ञानिक तरीकों से खेती नहीं करते तब तक उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। १,००० एकड़ जमीन जिसके पास है वह ट्रेक्टर खरीद कर आधुनिक तरीकों से खेती करके उत्पादन बढ़ा सकता है पर एक आदमी के पास ५ एकड़ जमीन है या १० एकड़ जमीन है वह ट्रेक्टर खरीद कर अपनी जमीन में आधुनिक तरीकों से खेती नहीं कर सकता और उत्पादन नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि इतनी थोड़ी सी जमीन के लिए वह ट्रेक्टर नहीं खरीद सकता तो इस तरह न वैज्ञानिक तरीकों से वहाँ खेती होगी और न उत्पादन ही बढ़ेगा और इस तरह अनाज की समस्या आज दिन जिस तरह हमारे सामने है उसी तरह की बनी रहेगी।

अब मैं इस बिल पर आता हूँ। इस बिल में २, ४ खामियाँ जो मुझे नजर आई हैं वे मैं बताना चाहता हूँ। उससे पहले यह बताना चाहता हूँ कि जिस रूप में यह बिल आना चाहिये था मेरे निश्चित विचार हैं कि जिस रूप में इस बिल को लाना चाहिये था जिससे कि हजारों लाखों मजदूरों को, गरीबों को फायदा होनेवाला था उस रूप में आप इसे नहीं लाये। अगर उस रूप में इसे लाते तो आपको बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता। कांग्रेस सरकार की कथनी और करणी में बड़ा रात दिन का अन्तर रहता है। आप समाजवादी समाज का नारा लगाते हैं, सब को समान रूप से जमीन देने का नारा लगाते हैं और भविष्य में कौनसा नारा लगायेंगे यह तो खुदा ही जाने पर यह निश्चित है कि आप ने आज तक जितने नारे

(श्री गिरधारीलाल)

लगाये हैं वे सब फैल हुए हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते कि गरीब किसानों और मजदूरों की हालत सुधरे, वे लोग शिक्षित हों, उनका आर्थिक ढाँचा अच्छा हो और वे लोग आगे बढ़ें। पर यह निश्चित है कि अगर समाजवाद को आप लायें तो जैसा कि केरल के मुख्य मन्त्री ने कहा, वैसी स्थिति वहाँ पैदा हुई वैसी स्थिति आपके यहां भी पैदा होगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : समाजवाद या साम्यवाद ?

श्री गिरधारीलाल : तो सभापति महोदय, कथनी और करणी में इतना बड़ा अन्तर आज दिन रखा जाता है वह भी नहीं रखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप में इतनी बड़ी हिम्मत भी नहीं है। १ करोड़, ३० लाख आदमी गाँवों में रहते हैं। जिसको सीलिंग के नाम से पुकारते हैं उसको आप टिनेन्सी सिक्स्थ अमेंडमेंट बिल के नाम से पेश कर रहे हैं, इस तरह आप क्यों जनता को भुलावे में डाल रहे हैं ? इतनी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या जिसके लिये एक कमेटी बैठाई गई उस कमेटी ने ३, ४ साल तक जगह जगह घूम कर यहाँ की भूमि समस्याओं का अध्ययन किया और बड़ी छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की उस बड़ी समस्या को इतने हल्के तौर पर हाउस में पेश करना चाहते हैं। आपने पहले हासिल पर सीलिंग करना चाहा पर आपने देखा कि कहीं किसान बगावत नहीं कर बैठें तो आपने फॉर्मूला बदला, फॉर्मूला तो नहीं बदला पर टोन बदला, फिर आपने जमीन पर सीलिंग लागू करने का कहा। इस पर भी आपने देखा कि कहीं गाँवोंवाले बगावत नहीं कर दें कि जयपुर के महाराजा के पास इतनी जमीन है पहले उसको लें। इसलिए आपने कहा कि हम सीलिंग जमीन पर नहीं लाना चाहते और इसमें हमारे मन्त्री महोदय ने नया फॉर्मूला पेश किया है सलेक्ट कमेटी में जिसका कि मैं भी मेम्बर हूँ एक स्टैन्डर्ड एकड़ १० मन गेहूँ का मान लीजिए, रीजन पूछें तो नहीं बता सकते। इसका वैज्ञानिक आधार पूछें तो नहीं बता सकते, ५ मन के बराबर या १५ मन के बराबर स्टैन्डर्ड एकड़ क्यों नहीं माना, इसका कुछ नहीं कह सकते। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ३० ऑर्डीनेरी एकड़ हर जगह रख कर आपने स्वयं ही अपने फॉर्मूला की हत्या कर दी है और इस प्रकार का फॉर्मूला जिसके लिये हम कहते हैं कि वैज्ञानिक नहीं है आपने भी अपनी करनी से इसकी हत्या करके साबित कर दिया है कि यह वैज्ञानिक नहीं है।

किस चीज पर आप सीलिंग लगाना चाहते हैं, आप यह बता दीजिए और फिर वैज्ञानिक तरीका निकालिये, चाहे कितना ही समय लगे। १ करोड़, ३० लाख लोगों के जीवन पर यह असर डालेगा, उनकी आर्थिक अवस्था का बिल्कुल परिवर्तन कर देगा, इसमें अगर थोड़ा ज्यादा समय भी लगे तो कोई बुरा नहीं होगा। स्टैन्डर्ड एकड़ का फॉर्मूला रखा है वह ठीक नहीं है। उससे कोई फायदा नहीं है और न वह वैज्ञानिक ही है, इसलिए इसको बदलें।

सभापति महोदय, मैं दो, तीन बातें ही कहूंगा और ज्यादा लम्बा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस पर कहा है। मैं दो, तीन बातें ही कहूंगा।

(श्री गिरधारीलाल)

मुआवजे के बारे में मुझे कुछ आपत्ति है। मैंने जैसा अभी अभी कहा कि सीलिंग का उद्देश्य यह था कि गरीब लोगों को जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दी जाए और आमदनी का जरिया नहीं है उनको आमदनी दी जांय और इसके लिये आपने जो मुआवजा रखा है वह लैन्ड एक्विजिशन एक्ट के तहत रखा है। कितनी जमीन हम भूमिहीन किसानों को देंगे? उसका मुआवजा तो उन्हीं पर आकर पड़ेगा जिनको हम जमीन देंगे। आप चाहें तो किश्तों में उनसे मुआवजा ले सकते हैं। आप चाहें तो उनसे २० वर्षों की किश्तों में या २५ वर्षों की किश्तों में ले सकते हैं मगर वसूल तो उन्हीं से करेंगे। मैं समझता हूँ कि मारकेट वैल्यू में कोई भी किसान आपकी जमीन को लेगा नहीं। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि वह गरीब था तभी तो उसके पास जमीन नहीं थी और वह भूमिहीन पड़ा रहा। अगर उसके पास पैसा होता तो वह जमीन मोल ले लेता और जिनके पास पैसा होगा वे क्यों लेंगे? क्योंकि आपने इस पर कम्पेन्सेशन इतना अधिक रखा है कि उसको कोई देना पसंद नहीं करेगा और जो जमीन आप किसानों के लिए दूसरे लोगों से लेंगे वह जमीन आपके पास ही पड़ी रहेगी। क्योंकि कोई भी मारकेट वैल्यू देकर जमीन नहीं ले सकता। नतीजा क्या होगा कि उस जमीन को आप अपने मिलनेवाले चन्द शहर के लोगों को या अपने भाई भतीजों को दिला सकेंगे। लेकिन जो गरीब भूमिहीन किसान हैं वे उस जमीन को नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा यह समझना गलत नहीं होगा कि मुआवजे के पैसे सरकार खुद नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आप देते तो उसके लिये बजट में प्रोविजन रखते और पैसा रखते जो आपने रखा नहीं है। हमने देखा कि मुआवजा है जैसा मूल बिल में था १५ गुना था। दरअसल में देखा जावे तो मुआवजा इससे भी कम होना चाहिये। जब आप जमीन को बराबर डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि जमीन एक आदमी के पास ज्यादा है वह ज्यादा जमीन उस आदमी के पास नहीं रहनी चाहिये तो उस आदमी को जमीन दे दीजिये जिसके पास जमीन नहीं है। जिससे हम यह सोचेंगे कि भूमिहीन को कोई फायदा होनेवाला है अन्यथा मैं समझता हूँ कि इससे कोई भूमिहीन लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात ट्रान्सफर के सम्बन्ध में है। ट्रान्सफर के बारे में मेरी यह राय है कि ट्रान्सफर के बारे में जब सीलिंग कमेटी नियुक्त हुई है तब से जितने भी ट्रान्सफर हुए हैं उनको अवैध घोषित कर दिये जाने चाहिये। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने भूमिहीन थे उनको जमीन दे दी है, किस तरीके से दी है इसकी बात को आप छोड़िये। मगर जिस तरीके से लोगों ने अपनी औरत, बच्चों और भाई या भतीजे या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम से जमीन निकाल कर ट्रान्सफर कराई है वे ट्रान्सफर, मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से वैध नहीं कहे जा सकते और उचित नहीं हैं। आप जनवरी, १९५७ के बाद के ट्रान्सफर को अवैध घोषित कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि हमारे यहाँ बीकानेर में सन, ५६ में जब उनको पता चला कि इस प्रकार का बिल आनेवाला है, आज नहीं तो कल आनेवाला है तो उन्होंने सारी की सारी जमीनों को बेच दिया आज सलेक्ट कमेटी यह चाहती है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन

(श्री गिरधारीलाल)

दी जावे और उन लोगों से ली जाये जिनके पास ज्यादा जमीन है तो मैं यह कहूँगा कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अन्तर है। आज आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे कि आज उनके पास जमीन नहीं है।

इसके अलावा आपने मेकेनाईज्ड फार्म हैं उनको छोड़ दिया है। इस बात को हम पहले से ही जानते थे कि यह होगा और जिस तरह से आप उनके साथ पक्षपात बरतते हैं, जो बड़े बड़े लैन्ड लॉर्डस हैं। मेकेनाईज्ड फार्म उन्हीं लोगों के पास हो सकते हैं जिनके पास जमीन हो और पैसा हो। उन लोगों को आपने इसमें बिल्कुल छूट दी है। इससे उनको नुकसान नहीं होगा। नुकसान मध्यम श्रेणी के लोगों को होगा और उन लोगों को नुकसान होगा जिनके पास जमीन कम है।

कुओं के बारे में जिस समय माननीय राजस्व मंत्री उधर पधारे थे बताया था कि उन्होंने उस जमीन को बारानी इसलिए मानी है कि उसमें बड़ी बड़ी योजनाएँ नहीं बन सकती। लेकिन कुंए खुदायेंगे उसको बारानी मान रहे हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं बारानी एरिया का रहनेवाला हूँ। मैं अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि कुओं को जमीन को बारानी जमीन के बराबर नहीं कह सकते। कुंए में हजारों रुपये लग सकते हैं और काफी काश्त कर सकते हैं। हमारे बीकानेर में आपके कुओं के चकों में सिंचाई होती है। नागोर में, जोधपुर में और जयपुर में कुओं की जमीन को बारानी के बराबर मानना मैं यह कहूँगा कि कुंएवाले क्षेत्र के साथ में जो जयपुर डिविजन् में ज्यादा है, एक तरह का पक्षपात होगा और उन लोगों के साथ में जिन्होंने मशीन लगा रखी हैं और खेती हो रही है उनको रियायत होगी। कुओं की जमीन को बारानी जमीन मानना गलत है। आपने उनका रेन्ट कम कर दिया है। लेकिन कुँओं की जमीन को किसी भी तरह से बारानी मानना उचित नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने स्थान पर बैठूँ इसके पहले दो शब्द और कहना चाहता हूँ। आज इस बिल को जिस रूप में आज यह हमारे सामने आया है, मैं समझता हूँ कि इसका रूप बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि मेरा जन्म ही नहीं होता। इसके लिए आपके पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि लोगों के पास भूमि है उसको लेनी चाहिये। अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो मैं यह कहूँगा कि आपका यह कदम समाजवाद की ओर नहीं है, जैसा कि आपका नारा है। आप को-ऑपरेटिव की तरफ जा नहीं सकते जिस ओर आप बढ़ना चाहते हैं। आप उन लोगों के साथ न्याय नहीं करते हैं जो गरीब हैं और उनको जो गरीब हैं न्याय नहीं दिला सकते हैं। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा मैं एक बार फिर सदन से निवेदन करूँगा कि इस बिल पर जितनी गंभीरतापूर्वक सोचा जावे सोचना जरूरी है क्योंकि इस राज्य के १४ लाख व्यक्तियों का प्रश्न है। आप देखिये एक तरफ २६ हजार व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास जमीन है और दूसरी ओर १,७८,८६५ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। १७ लाख आदमियों के पास एक लाख एकड़ भूमि है। इतना बड़ा भेद भाव! मैं समझता हूं कि अगर यह बिल जिस रूप में लाया गया है उसी रूप में राजस्थान में लागू होगा तो क्या

Page No.65

(श्री गिरधारीलाल)

आप समझ सकते हैं कि इससे लोगों का भला होगा, जो गरीब और भूमि हीन हैं ? जो आंकड़े मैंने बताये हैं उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या दुनिया भर का राज्य एक आदमी के पास हो ? एक आदमी के पास एक हजार बीघा जमीन हो और एक आदमी के पास एक बीघा जमीन हो ?, मैं इस बात को मानता हूँ कि राजस्थान में सीलिंग की आवश्यकता है। लेकिन जब खुद पर ठेस पहुँचती है तो यह होता है कि थोड़ा और घटा दो। मैं यह कहूँगा कि जितने भी सलेक्ट कमेटी के सदस्य थे वे रामराज्य-परिषद् के थे और कांग्रेस के थे। कांग्रेस के सदस्य थे वे भी उन्हीं के साथ की नीति के थे इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर ऐसा किया है। मैं यह कहूँगा कि इससे राजस्थान को कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। गरीब किसानों को कोई फायदा नही हो सकेगा। मैं सारे के सारे राजस्थान के प्रान्त के उन लोगों के हित की बात कह रहा हूँ जो १४ लाख हैं। इसलिए इस बिल पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन करने के पक्ष में है या उसके विरोध में, यह आपके भाषण से पता नहीं चलता।

श्री सभापति : पहले बोल चुके हैं। श्री सभापति व्यवस्था यह कर दी गई थी कि जिनके मोशन ऑफ अमेन्डमेन्ट्स हैं वे पहले ले जिये जांय। पहले अमेन्ड-मेन्टस मूव हो जांय और उसके बाद समर्थन में या विपक्ष में जो बोलनेवाले हैं वे बोलें। दो अमेन्डमेन्टस और बाकी हैं। क्या मैं यह समझूं कि अब अमेन्डमेन्टस मूव नहीं हो रहे हैं ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): श्रीमन्, सीलिंग से सम्बन्धित जो विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में इस समय मैं केवल उसके जो आधारभूत सिद्धान्त हैं और उसमें कहां कहां गलती हुई है उसकी तरफ सदन की दृष्टि खींचना चाहता हूं। सीलिंग लगाने की मोटी बात इस सदन से मंजूर हो चुकी है और इसीलिए उस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। मगर सीलिंग किस दृष्टि और उद्देश्य से लगाई जाय इस बात को प्रवर समिति ने सुलझाने के बजाय और अधिक उलझा दिया है। जहां तक मैं समझ पाया हूं उसमें कई विरोधी दृष्टिकोणों से अलग अलग बातों को सोच लिया गया है और वह कानून का एक ऐसा अजीब ढांचा बन गया है जिसका कोई एक व्यक्तित्व नहीं है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का समावेश करने की चेष्टा की गई है। ऐसा मालूम होता है कि वह किसी सिद्धान्त पर आश्रित नहीं है! उसकी कुछ मोटी मोटी मिसालें दिया चाहता हूं।

सीलिंग की एक कमेटी राजस्थान सरकार ने पहले बनाई थी। उसकी सिफारिशी रिपोर्ट आई और उसी के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। प्रवर समिति में भी उन्हीं सब आधारों पर चर्चा और बहस होती रही है। उस सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो उलझन है वह ही बराबर प्रवर समिति के सामने कायम रही, वह सुलझ नहीं पाई। मिसाल के तौर पर कुछ अंश सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

सबसे पहला आधार इस रूप में लाया गया कि सीलिंग इसलिए लगाना चाहते हैं कि आमदनी पर बन्दिश बने। एक विशेष औसत मान लिया गया कि किसानों के कुटुम्ब की कितनी औसत आमदनी होनी चाहिए और उसी आधार पर भूमि की सीमा बांधी है कि इससे अधिक भूमि न रखे जिससे कि इतनी आमदनी तो मिल सके। एक दृष्टिकोण यह था। लेकिन सीलिंग कमेटी ने हैदराबाद में कानून बना उन बातों को गौर करते हुए दूसरा ही दृष्टिकोण रखा है। आमदनी पर सीमा नहीं बांधनी है। सीलिंग लगाने का यह दृष्टिकोण रखा जाता है कि एक फेमिली होल्डिंग पैदा करना है। एक कुटुम्ब में औसत आमदनी जितनी होती है वे मिल जुल कर काम करें तो वे अधिक से अधिक भूमि पर कितनी खेती कर सकते हैं? अधिक से अधिक भूमि रखने का मतलब है वह दूसरों को देगा और खुद नहीं करेगा। अपने आप सारा कुटुम्ब खेती करे, ऐसी व्यवस्था बनी। एक फेमिली होल्डिंग का विचार रखा है। अब ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। आमदनी कितनी होनी चाहिए यह अलग चीज है। उस आमदनी के लिए कितनी भूमि चाहिये, एक कुटुम्ब मिल जुल कर कितनी खेती कर सकता है, यह अलग चीज़ है। उनके हर रहनसहन के स्तर को देखते हुए कितनी आमदनी होनी चाहिये? यह नहीं देखना होगा कि कितनी भूमि जोतता है? रहनसहन के लिए इतनी भूमि चाहिये। यह उसको अकेला नहीं जोत सकता, नौकर रख कर जुतवा सकता है तो उसको भूमि देना होगा। ये परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। कहां इसको कायम रखना चाहते हैं? प्रवर समिति ने इसको सुलझाया नहीं है। गोल माल कर दिया। फेमिली होल्डिंग का सही नजरिया लिया नहीं, कौनोमिक तरीके से एक आदमी कर सकता है उसके लिए इतनी भूमि चाहिये, उसके लिए आंकड़े लिये नहीं, प्रवर समिति ने इस पर सोचा नहीं। मैं इस बिल को आद्योपान्त पढ़ गया, नीचे से ऊपर तक कहीं इस सम्बन्ध में मुझे इशारा नहीं मिला कि क्षण भर के लिए सोचा गया हो कि एक कुटुम्ब में किसान के कितने व्यक्ति हो सकते हैं, वे क्या क्या काम कर सकते हैं, उनके पास कितने साधन हो सकते हैं। साधनों में भी भेद है। किसी के पास बैल जोड़ी हो सकती है, किसी के पास अन्य साधन हो सकते हैं और किसी के पास नहीं। हैदराबाद कमेटी का इसमें जिक्र आता है। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के कुछ अंश में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पृष्ठ १२। ५५ वां पैराग्राफ है "55. Economic holdings in Hyderabad.— According to the Hyderabad Land Commission on Delimination of Local Areas and Determination of Family Holdings, the Hyderbad Agrarian Reforms Committee defined an Economic holding as 'one which in a normal year and with the present methods of cultivation allows a cultivator a chance of producing a surplus after meeting all necessary and incidental expenses, sufficient to provide him a fair standard of living and allow him to keep himself and his family in reasonable minimum comfort according to Indian Standards and without obliging him to incur debts'.

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

The view taken by that Committee was that the economic holding should give atleast an income of Rs. 150/ per mensem to the farm and his family. The conception of 'economic holding' has now been replaced by another form for the size. The new yard stick to measure sizes of holdings is 'family holding'. The Planning Commission in the Five Year plan conceived it as being equivalent according to the local conditions and under the existing conditions of technique, either to a plough unit or to a work unit for a family of average size working with such assistance as is customary in agricultural operations." तो फेमिली होल्डिंग की दृष्टि से तो प्रवर-समिति को ध्यान लगाना चाहिये था कि आम साधन क्या उपलब्ध हैं जिन साधनों से किसान खेती करता है, सारे कुटुम्ब को लेते हैं तो कितनी भूमि चाहिये ? उस भूमि में कमी रहे तो उसका सारा कुटुम्ब बेकार रहता है। यह फेमिली होल्डिंग का दृष्टिकोण है। उस को सोचा नहीं गया।

एक दूसरा दृष्टिकोण दिया है। विधान के आर्टिकल ३६, सब धारा ए,बी,सी,डी, के अन्तर्गत कार्यवाही करना चाहते हैं इसलिए सीलिंग लगाना चाहते हैं। यदि उस दृष्टिकोण से इसको देखें तो यह कानून ही बेकार हो जाता है। इसकी रूप-रेखा दूसरी बननी चाहिये। विधान की धारा ३६ है जो इस प्रकार पढ़ी जाती है :

"The State shall in particular direct its policy towards securing that citizens, men and women, equally have the right to adequate means of livelihood; that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to secure common good that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment." इसकी पहली धारा को लें। हमारे विधान के अन्दर यह है कि कानून इस दृष्टि से बनायें जिससे सारे नागरिकों को जीविका और रोजी मिल सके। वह दृष्टि भी इस सीलिंग में नहीं है। जहां हमें रोजी देना है उसमें हमें देखना है कि किस आदमी के पास रोजी की कमी है और कम से कम उसको कितना चाहिये ? आप सीलिंग जो कायम करने जा रहे हैं उसमें आप की मन्शा साफ नहीं। अगर समझ कर कानून बनाया जाता है तो उससे सुन्दर व्यवस्था बन सकती है। आप उलझे हुए है बीमारी में लेकिन आप उसका इलाज करना नहीं चाहते।

विधान की दूसरी धारा यह कहती है कि उत्पादन के जो साधन हैं वे इस प्रकार से बटें कि उससे समूचे समाज की सहायता हो। जहाँ तक भूमि के बँटवारे का संबन्ध है कॉमन गुड है कि भूमि की उपज अधिक से अधिक हो। जहाँ तक भूमि के बँटवारे का संबन्ध है उसका बँटवारा इस दृष्टि से हो कि उस भूमि में अधिक से अधिक पैदावार हो। वह दृष्टि भी इस कानून में नहीं है। ट्रेक्टर से अच्छी खेती हो सकती है अथवा बैलों से, यह भी नहीं देखा गया। ट्रेक्टर से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। उसके लिये कितनी भूमि चाहिये, कितनी होल्डिंग चाहिये, इस बात की इस बिल में ऊपर से

Page No.68

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

नीचे तक सलेक्ट कमेटी ने कोई विचार नहीं किया ।

तीसरी दृष्टि कहती है समाज में हम ऐसे नियम बनायें जिसके कारण एक जगह सम्पत्ति इकट्ठी न हो यानि समाज का शोषण पैदा न हो। यह दृष्टि समाज की न बन जाय कि वह पैसा इक्ट्ठा करके समाज का शोषण कर सके, यह भी दृष्टि इसमें मौदूद नहीं। इसलिए इस बिल के लिए यह जो कहा गया है कि विधान की इन धाराओं के अन्तर्गत इसको किया है दर असल विधान की धारा इसमें लागू नहीं होती।

तो फिर आखिर आपने किस दृष्टि से इस बिल को किया है? एक जगह इस रिपोर्ट में सबलेटिंग नहीं हो इसलिए सीलिंग कायम कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। सबलेटिंग को डिसकरेज करने के लिए हम सीलिंग कायम कर रहे हैं। अगर आप सबलेटिंग की दृष्टि से सोचते तो बड़े बड़े फार्म्स हैं उनको एग्जेम्प्शन नहीं देते। इसमें ऐसा देखा गया है कि आपने किसी सिद्धान्त को नहीं माना है। इस सदन ने जो सलेक्ट कमेटी को बिल भेजा था वह इसलिए कि इसमें विरोधाभास था उसको दूर करें लेकिन वह उसी तरहमौजूद है और केवल समय नष्ट ही किया है। आज भी बहस उन्हीं मुद्दोंपर हो रही है जिसके लिए सलेक्ट कमेटी को दिया गया था। तो इससे कोई मकसद हासिल नहीं हुआ। इसके पेज ४५ पर लिखा गया है कि हमें बे बराबरी मिटानी हैं और समानता लानी है इसलिए हम सीलिंग कायम कर रहे हैं। बराबरी हम सब नागरिकों के लिये लाना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शहरों में रहनेवालों के लिए यह लागू क्यों नहीं किया गया? शहर में रहनेवाले तो ठाकुर साहब ही रहेंगे और गांव में रहनेवाले काश्तकार, यह समानता कहाँ रही? खेती के व्यवसाय पर ही आप इसे लागू करना चाहते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे हल्कों में काम करना चाहते हैं। पहले आप गाँववालों की गर्दन काटना चाहते हैं उसके बाद आपके कहने के मुताबिक दूसरों का नंबर आयेगा। अभी तो यह महरबानी गाँववालों पर हो रही है तो यह समानता कहाँ रही? सीलिंग के कानून को जिस ढंग से पेश किया गया है इसमें भी एग्जेम्प्शन्स की बहुत बड़ी सूची है तो यह बराबरी कायम करने का आपका मकसद कहाँ रहा? यह सलेक्ट कमेटी ने नई चीज पैदा की, उस पर मंत्री महोदय ने बहुत सफाई पेश करने की कोशिश की उसमें बारानी जमीन को भी चाही जमीन के बराबर माना गया है, यह कहां का न्याय है? यह किस प्रकार की असमानता दूर करने का तरीका है? इससे असमानता मिटाने का विचार कहाँ दिखता है? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि समानता पैदा करने का आपका विचार नहीं। जहाँ आपने चाही और बारानी को समान माना है वहाँ समानता लाने का प्रश्न पैदा नहींहोता। एक जमीन जो एक फसल से ज्यादा पैदा नहीं करती और दूसरी जो दो दो फसलें पैदा करती है उसको आपने समान माना है तो यह समानता पैदा नहीं करता। इस दृष्टि से भी यह कानून निकम्मा मालूम देता है।

इस प्रकार से ये सारी बुनियादी गल्तियां हैं। इनको सुलझाने की दृष्टि से मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि इसको दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि जो सुझाव

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

यहां आये हैं उन उलझनों को सुलझा करके एक ऐसी नीति अपनावें जिससे समानता कायम हो और उसके बाद सदन इस कानून को पास करे तो ठीक रहेगा।

असल में समस्या क्या है? सीलिंग इत्यादि के लिए प्लानिंग कमीशन ने जोर दिया है। उसकी दृष्टि इसमें यह है कि गांवों में जो गरीबी की समस्या है उस समस्या को हल करने के लिये हमें खेती संबन्धी एक नीति अपनानी होगी और वह भी प्रोग्रेसिव लैन्ड पॉलिसी होगी। अब हमें यह देखना है कि प्रोग्रेसिव लैन्ड पॉलिसी के हिसाब से इसकी असलियत क्या है? यह हमें देखना है। हमें सबसे पहले इस चीज को देखना है कि आखिर गांवों में गरीबी क्यों है? इसका एक सर्वमान्य कारण हैं और जिसको सब अर्थ-शास्त्रीयों ने स्वीकार किया है। गांवों में गरीबी का कारण यह है कि भूमि, जुमला भूमि जितनी है उससे जो ऊपज होती है वह गाँववालों के समूचे समाज के पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा गाँव के लोगों के पास अपनी आजीविका पैदा करने के और साधन नहीं हैं। दूसरे उद्योग धंधे हैं नहीं, यह समस्त अर्थ-शास्त्रियों का एक सम्मत मत है। जिस चीज का आप इलाज नहीं कर रहे हैं उसमें नयी चीज कुछ नहीं। आप यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक जगह चार तांगेवाले बैठ जाते हैं, एक की जेब में दो रुपये होते हैं वे जुए के द्वारा एक दूसरे की जेब में चले जाते हैं, यही आप करने जा रहे हैं। नया उत्पादन कुछ नहीं। गाँव की गरीबी का जो खास कारण है कि वहाँ की टोटल प्रोडेक्शन जो है वह गाँववालों के लिए पर्याप्त नहीं। उसको बढ़ाने की आप चेष्टा नहीं करते और जो कुछ थोड़ी बहुत जमीन है उसको भी आपस में बँटवारा करना चाहते हैं। इस तरह की जुएबाजी से खुशहाली आ नहीं सकती। अगर आप गरीबी मिटाना चाहते हैं तो इस जुएबाजी से मिटनेवाली नहीं है। आज गाँव में जितनी जमीन है उससे वहाँ के आधे लोगों का भी पेट भरता नहीं। उनके पास पार्सियल एम्पलॉयमेंट नहीं। आप यदि इस प्रोब्लेम को सोल्व करना चाहते हैं तो आप उनके लिए गाँव में इन्डस्ट्रीज खोलिये। आपकी प्रोग्रेसिव लैंड पॉलिसी का को-ऑर्डिनेशन जब तक प्रोग्रेसिव इन्डस्ट्रियल पॉलिसी से नहीं होगा तब तक आप इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप इस ओर तो कदम नहीं उठा रहे हैं। आप जो नीति अपना रहे हैं उससे उनका सुधार नहीं हो पायेगा। आप तो जमीन पर और ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। आपको उस बोझ को हटाना चाहिये और वह तभी हट सकता है जब कि आप इस पॉलिसी को प्रोग्रेसिव इन्डस्ट्रियल पॉलिसी के साथ को-ऑर्डिनेट करेंगे। लैंड पॉलिसी की दृष्टि इसमें कतई नहीं ली गई। इसमें तो गाँव की गरीबी को आपस में बाँटा गया है। यह एक पोलिटीकल टाईप की चीज है, आपस में लड़ाने की चीज है। इसमें आप न जाइये तो ज्यादा अच्छा है।

एक चीज मुझे और निवेदन करनी है। जिस तरीके से यह कानून बनाया गया है इससे बड़ी खामी है वह नुख्श जब तक नहीं निकलेगा झगड़े बढ़ेंगे और अदालतबाजी बढ़ेगी। इसमें जो डिस्क्रीमिनेशन है आर्टिकल १४ का कन्ट्रावीन्शन है।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

यहाँ एक आधार लेकर नहीं चलते। जिन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं उनमें भी आपने एक नजर से नहीं देखा। एक आदमी ने जिसने पहले ट्रैक्टर खरीद कर रखा है उसको आप एग्जेम्पशन दे रहे हैं और सीलिंग बिल पास होने के बाद अगर कोई ट्रैक्टर खरीदता है तो वह हैसियत उसकी नहीं रहती।

यह डिस्क्रीमिनेशन है। यह आर्टिकल १४ का कन्ट्राविन्शन है। यह चल नहीं सकता। आपने चाही जमीन को बारानी मानी। यहाँ भी पक्षपात कर दिया आपने। आपको चाही रखनी थी तो बारानी को भी अधिकार देना चाहिये था कि उसके अनुपात में बारानी जमीन भी अधिक मात्रा में रख सकेगा। यह आपने नहीं किया। तो जिस रूप में आपने किया है वह डिस्क्रीमिनेशन है। तो इन चीजों को न देख कर सदन अगर कदम बढ़ायेगा तो इससे फिजूल की मुकद्दमेबाजी बढ़ेगी और अच्छाई की तरफ से नजर हटाने की बात यह हो जावेगी। आप भुलावे की नीति अपनाने जा रहे हैं। खुद भी भुलावे में रहना चाहते हैं और दूसरों को भी भुलावे में रखना चाहते हैं। इस पर मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है।

'न खुदा भी न जहाँ भी'

न खुद को समझा न परमात्मा को समझा,
ऐ आदमी तू ऐसा पैदा हुआ है कि तू खुद को न खुदा को समझने की चेष्टा ही करता है।

यही अर्ज करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): चेयरमैन महोदय, काफी इस विषय के अन्दर विचार विमर्श हुआ और मैं अपने जो भाव हैं वे व्यक्त करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूँ। मुझे बलवती आशा है कि हमारे राजस्व मन्त्री महोदय से जैसी मुझे कल भी उपालम्भ और प्रताड़ना मिली थी कि मैं अपने पुराने भावों के साथ में वही निवेदन किया करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : यह ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैंने तो आपको बुजुर्ग कहा। और आप हैं बुजुर्ग इसलिए कहा।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दाँतारामगढ़) : और आप जवान हैं ! (हँसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो मेरा निवेदन यह है कि यह विभीषिका जैसी आई है और जैसी चल रही है इसमें कुछ अन्दरूनी पॉलिसी और दुरभिसन्धि है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। इस विचार धारा को सामने रख कर हमें इस पर विचार करना चाहिए।

मैं उन शख्सों में से हूँ जो यह मानते हैं कि खेती के वास्ते सबका हक है पर इसमें साथ ही यह भी निवेदन करूँगा कि जैसी एक कहावत है कि खेल खिलाड़ियों का ही होता है और वही खेल सकता है जो खेलता है। तो इसमें प्रमुख रूप से कृषक समुदाय ही आता है और इनमें भी जो ज्यादातर खेती पर ही अवलम्बित रहते हैं, ऐसे दो वर्ग हैं एक राजपूत और दूसरा जाट। इन दोनों ने भूमि के पुत्र होकर इस पर काफी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

प्रयास किया है। मैं निवेदन करूँगा कि इस समय न कोई जागीरदार है और न कोई दूसरी चीज है। आज के वक्त में सभी कृषक हैं और ऐसे समय में हम प्रत्येक कृषक का फर्ज है कि इसके लिए भूमि का वितरण जरूर आवश्यकतानुसार ठीक तौर से होना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि इसमें ३० एकड़ और १० या १२ रुपये का जो भाव रखा गया है वहाँ जमीन की यहाँ राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, थिनली पोपूलेट पार्ट है, यह तो इस पृष्ठभूमि में हमें इस जमीन का जो क्राईटेरिया रखा गया है इस पर विचार करना चाहिये। आदमी से रुपया खाया नहीं जा सकता, नोट चरे नहीं जा सकते। अनाज खाने की चीज है और दूसरी जो चीजें हैं वे अनाज का आठवाँ हिस्सा भी मुश्किल से होगा प्रचलित बाजार भाव से।

मैं यह निवेदन कर दू कि किसी भी गवर्नमेंट को दूषण मैं नहीं देता। लेकिन साथ ही यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ ऐसी विचार धाराएँ रहती ही हैं कि अपने समुदाय की डाईरेक्टली या इनडाईरेक्टली किसी न किसी तरह से हैल्प करना और इसके अन्तर्गत यह भी विचार-धारा रहती है कि जहाँ तक हो कुटुम्ब परस्ती की जावे, उसे आगे बढ़ाया जावे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो दोनों समुदाय जिनमें छोटे राजपूत जिनका कि फौज में विशेष स्थान नहीं रहा फौज में एक दिन रहते थे, जाट रहते थे। वे आधे के करीब फौजी सेवा के अन्दर हैं! उनका वहाँ से निर्वाह होता था। इन दोनों समुदाय के पास इस समय कुछ इस प्रकार की परिपाटी और पद्धति चलाने का सवाल रहा है कि प्रत्येक चीज के अन्दर प्रत्येक पार्टी का समावेश होना चाहिये। हम इस बात को बड़ी स्तुत्य समझते हैं पर इसके अन्दर ही अन्दर जो छिपी हुई विचार धारा है वह यह है कि वे दोनों पार्टियाँ हैं वे एक दिन आपस में इन्टरेस्ट के लिए लड़ा भी करती थीं और एक दिन होर्स और हायर घोड़ा और बैल की बात चलती थी। एक खेती ही दुनिया के अन्दर निर्वाह का साधन नहीं है। और भी चीजें हैं जिससे आदमी निर्वाह कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। हमें बड़ा हर्ष है कि आज भी प्रत्येक जाट और राजपूत और प्रत्येक दूसरा व्यक्ति या कृषक भी जो खेती करके निर्वाह करता है शायद ५, ५ बीघा जमीन भी जिसके पास मुश्किल से होगी उनको आप आज ३० बीघा देते हैं उनके हिस्से। मैं तो इसके लिए वे खुले हृदय से और खुली छाती से इसके लिए चेष्टा करेंगे कि यह जरूर होना चाहिये। लेकिन मुझे यह भय है कि न तो उन लोगों का निर्वाह होगा और उनकी एवज में नये काश्तकार और नये कृषक इस प्रकार के पैदा हो जायेंगे कि जिस प्रकार से बरसात के अन्दर मशरूम और दूसरी चीजें पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार से नये काश्तकार पैदा हो जायेंगे और हमारा यही दस, बारह वर्ष का तजुर्बा सिखला रहा है। तो ऐसी स्थिति में न वह कृषक ही रहेंगे और न वह खेती ही कर सकेंगे और इन्हीं लोगों से खेती करायेंगे जो कि आज खेती कर रहे हैं। मेरा अर्ज करना यह है कि प्लानिंग के लिए यह सवाल आ रहा है कि पोपुलेशन बहुत बढ़ रही है और इसके ऊपर यह स्लोगन है और काफी इसके ऊपर प्रयास हो रहा है तो मैं तो यह निवेदन करूंगा कि वह चीज तो है ही और इसके

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

लिए यह विचार भी प्रत्येक गवर्नमेंट के और प्रत्येक पार्टी के भावों में यह है कि किसी न किसी तरह से 'ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाओ' की स्कीम चलाई जाये और ज्यादा अन्न उपजे। लेकिन मेरा अन्दाजा यह है कि जैसा मैंने पहले निवेदन किया है कि खेल खिलाड़ियों का होता है। खेती वही कर सकता है कि जिसने खेती की है। क्या होगा कि यह सारा का सारा मामला डिटेरियोरेट हो जायेगा और इसके अन्दर विशेष फायदे की चीज नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जैसे ट्रेक्टर से खेती, बड़े बड़े औजारों से खेती हो रही है और खेती में इनको समाविष्ट भी किया गया है तो वैसे एक तरह से राजस्थान वह प्रान्त है कि जिसके लिए मैं थोड़ा ही निवेदन करूंगा कि प्रजेंट गवर्नमेन्ट ने बराबर यह चेष्टा की है और यह उनकी चेष्टा धन्यवादार्थ है कि जहाँ जहाँ पानी के बन्ध होने चाहियें और जहाँ जहाँ केनाल होनी चाहिये वहाँ बन्ध और केनाल बनाई हैं और इसके लिए बहुत ही प्रयास किया है। लेकिन साथ ही साथ फिर भी यह राजस्थान वह प्रान्त है जो कि यू० पी० और पंजाब नहीं हो सकता। जैसा कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने फरमाया था कि दूसरे प्रान्तों से अपने यहाँ चेष्टा ज्यादा करके ज्यादा हिसाब बैठाया है। अगर आप यू० पी० का मुकाबला करें तो जिस प्रकार से उन्होंने खेती में व्यवस्था की है उसके मुकाबले में यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ जो सीलिंग का तय हुआ है और उसके लिए जो रिकमेन्डेशन हुई हैं उसके मुकाबले में बहुत फर्क है। तो इसके लिए मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि प्रजेन्ट गवर्नमेंट के सामने बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनके लिए उनको अभी विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। जमीन का वितरण अगर ठीक ढंग से हो तो उसमें किसी को भी आपत्ति और भेद नहीं हो सकता लेकिन कुछ मन्शा इस प्रकार की आती है कि किसी पार्टी का इसमें नुकसान होना और उनका तबाह होना और रास्ता अलग जाने की सी स्थिति हो रही है। किन्हीं जाति विशेष जो कि आज भी पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। अगर राजस्थान का प्रत्युत भारतवर्ष का लाभ होता है तो उसके लिए जाट और राजपूत ने कन्धे से कन्धा लगा कर वह काम किये हैं जिनका इतिहास साक्षी है। हमारे राजस्थान और भारतवर्ष में ही नहीं प्रत्युत जिस समय गवर्नमेन्ट को जरूरत पड़ी पेलस्टाईन, बर्मा और जापान गये हैं और वहाँ सेवा की है। उसके लिए एक तरह से हम यह नहीं कह सकते कि जाट और राजपूत पहले कभी लड़े भी हैं ....

श्री सभापति : आप सीलिंग पर बोलिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह भी कहा जा सकता है कि इस लड़ाई के लड़ाने में हाथ शायद किसी पार्टी विशेष का भी जरूर रहा होगा ..

श्री सभापति : हमें यहाँ लड़ाई की बात नहीं कहनी है, सीलिंग की बात करनी है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : लड़ाई की बात नहीं मैं तो शान्ति की बात कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूं मैंने बतौर लड़के के वही चन्द्रशेखर आजाद के शब्दों में कहा था कि जाट और राजपूत एक साथ काम करते हैं, 'खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते

Page No.73

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

हैं'। मेरा ख्याल तो यह है कि सफर तो कहाँ करेंगे क्योंकि भारतवर्ष में तीन तरफ तो समुद्र है और एक तरफ हिमालय है लेकिन हम खेती को छोड़ करके दूसरा पेशा अख्तियार करेंगे......

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : शुभस्य शीघ्रम्।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो वह तो आज ही हो रहा है। तो उम्मीद तो है कि शाम के पहले पहले यह खत्म हो जायेगा और जैसा कि आप लोग कल और परसों इसके लिए बोल रहे थे और आज भी बोलेंगे लेकिन जिस समय प्रसंग आयेगा और वोट लिये जायेंगे तो आप अपनी पार्टी के लिए ही वोट देंगे।

श्री सभापति : आप तो सीलिंग पर ही बोलिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो विषय पर ही बोल रहा हूँ। पहले का धौंण भर का भाव देखा जाये और ३।) सेर का भाव रहा है और अगर यही भाव रहा तो न तो बनिये, न ब्राह्मण, न राजपूत किसी का भी पेट भरने का मौका नहीं आयेगा। इसके लिये अगर आवश्यकता है और जैसा मैंने जाट और राजपूत के लिए कहा है जिस समय मैंने शुरू में भाषण दिया उस समय भी मैंने यही निवेदन किया था कि जिस पॉलिसी के ऊपर सुखाड़िया साहब की गवर्नमेंट इस समय चल रही है तो कोई ताज्जुब नहीं कि इन ५ वर्षों के चुनाव के अन्दर अगर राजस्थान भी कम्युनिस्ट नहीं हो जाये और शायद मेरी जिन्दगी रही या नहीं रही मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान कम्युनिस्ट होकर ही रहेगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आप उसके लीडर हो जायेंगे।

श्री सभापति : Order Order-

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं चाहता हूं कि वह शस्त्र थोड़ी सी देर के लिए कामयाब हो जाये लेकिन जो जनता का इस प्रकार का सवाल उठाने का है थोड़ा सा इसको रखने के लिए मैं तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से चेयरमैन महोदय के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इस चीज को थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ायें .....

श्री दामोदरलाल व्यास : कम्युनिस्ट आ जायेंगे तो और जल्दी करेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं निवेदन कर यह रहा था कि इस हालत में इतनी जल्दी है भी क्या ? ऑलरेडी जो लाया जा चुका है वह हजम हो जाय इसके बाद में दूसरा ग्रास लेने की आवश्यकता है.......

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : हाजमा बहुत तेज है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : चूरण की जरूरत हो तो आप देदें।

मेरा निवेदन करना तो यह है कि जहाँ तक भी हो इस पर पूरा विचार किया जाय और यह देखा जाय कि और जगह यह किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है और इसका कैसा हिसाब हो रहा है ?

को-ऑपरेटिव फार्मिंग के वास्ते इतने कागज काले किये जा रहे हैं......

Page No.74

श्री सभापति : कोऑपरेटिव फार्मिंग का इससे संबंध नहीं है।

कई माननीय सदस्य: वह सीलिंग में है।

श्री सभापति : आप सीलिंग पर बहस करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : सीलिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग दोनों भाई-बहिन हैं।

श्री सभापति : पहले आप भाई पर बात कर लें, फिर बहिन पर बात करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हमें इजाजत दी जाय कि राजपूत और जाट दोनों मिलकर....

ठाकुर श्री मदनसिंह : अपन तो बोर्डर पर चलेंगे।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : इतिहास कहता है कि मिले नहीं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इंडिया तभी इंडिया कहलायेगा जब कि इन्डस में हमारे घोड़े और बैल पानी पियेंगे।

(हियर, हियर,)

मुझे अर्ज करना तो यह है कि दोनों वहाँ जायेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : दोनों कौन ? आप और....?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) **:** माननीय चेयरमैन, जब कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बन गया है आप इस तरह की बात......

श्री सभापति : Order. Order.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हमें यह इजाजत दें। क्योंकि हम से खेती तो होगी नहीं इस हालत में। जागीरें छूड़ी, खेती छोड़ी, जमीनें छिन गईं। दूसरा ऑक्यूपेशन तो है नहीं इसलिए मैं राजस्व मंत्री महोदय से चेयरमैन महोदय के द्वारा यह जानना चाहूँगा कि बहुत वैसा ही सवाल रहा....

श्री चंदनमल वैद : अकेले में पूछिये। सब के सामने मत पूछिये।

(घंटी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अकेले में पूछने के न तो मेरे साधन रहे हैं और न मेरी ऊमर है। बस इतना कह कर मैं बैठता हूँ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) **:** सभापति महोदय, जब मैंने इस बिल पर सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देखी तो एक शेर याद आ गया। (हंसी) वह शेर इस प्रकार है, मगर मैं बहुत कोई उर्दू का विद्वान् तो नहीं हूँ लेकिन जैसा मैंने सुना है वैसा अर्ज़ कर देता हूँ :–

"बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का।
जब काटा तो कतरा ए खून निकला।"

एक माननीय सदस्य : क्या कहते हैं !

श्री चन्दनमल वैद : माननीय चेयरमैन महोदय, बड़ा शोर सुनते थे कि सीलिंग आ रहा है। सुना क्या वाकया था कि सन् ५३ में बनाई गई। सारे राजस्थान का उसका दौरा हुआ। हजारों लाखों रुपये खर्च हुए। एक बड़ी भारी रिपोर्ट सदन के सामने पेश हुई और उस सदन के माननीय सदस्यों ने, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो बहुत विचार विमर्श किया। उसके बाद बड़े जद्दोजिहाद

(श्री चन्दनमल वैद)

के बाद सीलिंग का बिल आया। वह सलेक्ट कमेटी में गया और सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई और हुआ क्या ? 'खोदा पहाड़ और निकला चूहा'। यह सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है। मैं समझता हूँ कि इसको अगर सीलिंग के लिए एक्ट न कह कर 'एक्सेस-लैण्ड परचेजर्स एक्ट' कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सन् '५२ में सबसे पहले हमारे यहां विधान सभा बनी थी। उस समय ८१ कांग्रेस के सदस्य थे और ७६ विरोधी पक्ष के लोग थे, और विरोधी पक्ष में काफी तादाद में जागीरदार थे। उस समय अगर ऐसा होता कि ८१ विरोधी पक्ष के लोग होते और ७६ कांग्रेस के होते तो जागीर रिज़म्पशन एक्ट कैसा बनता ? जागीर रिज़म्पशन एक्ट तो बनता क्योंकि जो ऑल इन्डिया पॉलिसी है वह बनाना पड़ता। मैं सोचता हूँ कि उस समय जागीरदारों का बहुमत होता तो जागीर रिज़म्पशन एक्ट वैसा ही बनता जैसा कि आज यह सीलिंग के लिए बिल सलेक्ट कमेटी से पास होकर बना है। (करतलध्वनि) इससे बहुत भिन्न नहीं हुआ है। उस समय अगर जागीर रिज़म्पशन एक्ट बनता तो उसमें यह प्रावधान होता कि जागीरें जो ली जायेंगी उनकी मारकेट वैल्यू से उनका मुआवजा दिया जायेगा...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): बना तो वैसा ही था फिर एमेंडमेंट किये गये।

श्री सभापति : There should be no interference please.

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझता हूँ कि ऐसा ही बनता कि मारकेट वैल्यू से मुआवजा दिया जायेगा। मारकेट वैल्यू से मुआवजा देना था तो क्यों यह कहते हैं कि हम भूमि सुधार कर रहे हैं ? अगर यह भूमि सुधार है तो मारकेट वेल्यू को छोड़ना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य जो कि अजमेर से आये हैं वे फर्मा रहे थे कि जमीन पर से बोझ हटाना है। वह बोझ कैसे हटेगा ? एक तरफ एक किसान के पास २ बीघा जमीन नहीं है और दूसरी तरफ वह किसान है जिसके पास हज़ारों बीघा ज़मीन है। २ बीघावाले को हटाने की बात होती है हज़ारों बीघावाले को हटाने की नहीं। २ बीघा वाले को नहीं हटा कर हजारों बीघावाले को हटाना चाहिये। उनको कहना चाहिए कि तुमने जमीन से काफी कमाया है। हमारे पास ज़मीन कम है। हम इस बात की इज़ाज़त नहीं दे सकते हैं कि अब तुम और बहुत ज्यादा इस जमीन से कमाओ। अगर तुमको ज़मीन पर रहना है तो ३,६६०) रु० या २,४००) रु० जो निर्धारित करते हैं उससे ज्यादा नहीं कमा सकते हो। ज्यादा कमाने की हविश है, तुम चाहते हो कि इससे काम नहीं चल सकता है और ज्यादा कमाना है तो महरबानी करके ज़मीन छोड़ दो। हम उन लोगों को वह जमीन देंगे जो इतने में गुज़ारा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो दूसरी जगह जाओ....

ठाकुर श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : आप अपने को कह सकते हैं जागीरदारों से नहीं कह सकते हैं।

श्री सभापति : There should be no interference please.

Page No.76

श्री चन्दनमल वैद्‌ : मैं माननीय सदस्य से इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। उनका जब वक्त आये तब आजादी से व्यक्त कर सकते हैं अपने विचार। उनके और मेरे विचारों में मतभेद है, यह मेरा दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ।

जमीन के ऊपर से हमको बोझ हटाना है। लेकिन हटाना है तो खुशहाल लोगों को हटायें जो लोग दूसरे प्रोफेशन में, किसी भी दूसरे ऑक्यूपेशन में आसानी से जा सकते हैं। उन लोगों को हम नहीं कह सकते हैं जिनके पास ५, ६ बीघा ज़मीन है। उनसे नहीं कह सकते हैं जो कि पेट नहीं भर सकते हैं। उनके पास इतने साधन नहीं हैं, जमीन से पेट नहीं भरता है तो दूसरी जगह चले जायं। दूसरा कारोबार करने की जो स्थिति में हैं उनसे हम कह सकते हैं कि जमीन से ज्यादा कमाना चाहते हो तो वह नहीं हो सकता है। अगर इससे तुम्हारा पेट नहीं भर सकता है तो दूसरी जगह जा करके कमाओ। तुम्हारे पास साधन हैं। इतने दिनों तक कमाया है और शिक्षा हासिल कर सके हैं। जमीन पर बोझ हटाने का तरीका यह नहीं है कि गरीबों को और कमज़ोरों को हटाया जाय बल्कि यह है कि जो साधन सम्पन्न हैं वे ज़मीन पर बोझ ज्यादा हैं उनको हटायें। जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं उनको रहने दें।

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सलेक्ट कमेटी से पास होकर यह जो बिल आया है मेरा ऐसा मानना है कि सीलिंग का बिल नहीं है बल्कि लैण्ड पर्चेज़ का बिल है। क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है कि जो भी ज़मीन लेंगे मारकेट वेल्यू के अनुसार उसकी कीमत देंगे। मारकेट वेल्यू का डाईरेक्ट ज़िक्र नहीं है लेकिन लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट का ज़िक्र है। उसमें लिखा है कि कम्पेन्सेशन देते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे the market value of the land on the date of publication of declaration under Section 6. यानि जब कम्पेन्सेशन दिया जायेगा तो इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि उस जमीन की उस वक्त बाजार में कीमत क्या थी?

३ म० प०

यदि हमको जमीन की कीमत देनी है तो हम भूमि सुधार के नाम से क्यों पकड़ते हैं, यह क्यों कहते हैं कि यह सीलिंग बिल है? यह कहना चाहिये कि कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं हैं उनको जमीन देनी चाहिये क्योंकि मारकेट में जाकर वे जमीन नहीं खरीद सकते इसलिए सरकार की कृपा होती है तो उनको जमीन बाँटी जा सकती है। इस तरह से हम करते तो हमारा सिद्धान्त नजर आता और लोगों को हमारा इन्टेन्शन मालूम होता कि हम सीलिंग नहीं लैंड पर्चेज बिल लाना चाहते हैं और लैंड पर्चेज करके दूसरों को देना चाहते हैं। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि हमारा सीलिंग ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर होगा। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर हो या ६० स्टेन्डर्ड एकड़ पर हो मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ठीक है आप अगर यह समझते हैं कि इससे एक परिवार का पालन-पोषण अच्छी तरह से हो सकता है। साथ ही साथ राजस्व मंत्रीजी को संकेत करना चाहिये था कि ३० एकड़ जमीन रहने के बाद लाखों आदमी......

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : लाखों आदमी नहीं लाखों परिवार कहिये।

श्री चन्दनमल वैद : एक ही बात है, डेरोगेटिव नहीं है। अपमान की बात नहीं है। परमात्मा ने सबसे ज्यादा हस्ती आदमी को दी है। लाखों लोगों के पास जमीन नहीं है। जैसा कि भरतपुर से आने-वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि सीलिंग का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि हम सीलिंग के लिए कानून बनादें बल्कि इसका यह उद्देश्य है कि जमीन का वितरण करें और यह देखें कि किस किस को जमीन मिलेगी। यदि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखने पर भी लोगों को जमीन नहीं मिलती है तो आपका बिल बनाना निरर्थक होता है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि ३० एकड़ रखने से कितने लोगों को जमीन मिलने वाली है। यदि राजस्व मंत्रीजी को इस बात का संतोष है कि इससे काफी लोगों को जमीन मिलेगी और उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा क्योंकि बड़ी से बड़ी बातें हम स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की करते हैं। वह इस लायक होगा कि दो वक्त उसको पेट भर कर खाने को रोटी मिलेगी तो ३० एकड़ रखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो जो राजस्थान का एवरेज होल्डिंग है जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है १६.३ एकड़ का एवरेज है उसमें जैसलमेर का एरिया भी शामिल है तथा चुरू, बीकानेर और बाडमेर का रेगिस्तान का एरिया भी शामिल है। इस रेगिस्तान के एरिया को मिला कर सारे राजस्थान का एवरेज होल्डिंग १६.३ है तो मैं समझता हूँ ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जिसमें ३००, ४०० एवरेज एकड़ भी आ सकती हैं मौजूँ नहीं होगी। मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन रेवेन्यु मिनिस्टर साहब देखें कि इतना रखने के बाद सचमुच में जो लोग बिना जमीन के हैं या जिनके पास कम जमीन है उनको आप जमीन दे सकते हैं या नहीं? यदि उनको आप जमीन दे सकते हैं तब तो ठीक है नहीं तो हमारा मतलब डिफीट होता है।

इसके बाद मैं एक बात और कहूंगा। हम यह बात भूल जाते हैं कि समानता के आधार पर हमें काम करना है। हम कह सकते हैं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ ३० ऑर्डिनरी एकड़ से कम नहीं होगा। मान लीजिये एक जगह पैदावार एक एकड़ में २० मन होता है तो वहाँ सीलिंग आपके सिद्धान्त के अनुसार १५ एकड़ पर होना चाहिये। लेकिन आपने प्रावधान रख दिया है कि ३० ऑर्डिनेरी एकड़ से कम नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सारे राजस्थान के किसानों के लिए आमदनी की सीमा बांध दी। लेकिन इसमें भी आपने समानता नहीं बरती। वह इस कारण से नहीं बरती कि एक जगह किसान को आप अलाउ करते हैं कि तुम्हारी आमदनी ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी और दूसरी जगह यह कहते हैं कि ३० ऑर्डिनेरी एकड़ से कम नहीं होगी। इससे आपने उसको इस बात की छूट दी है कि तुम्हारी आमदनी दूसरे किसानों से दुगुनी या तीन गुनी हो सकती है। यदि आप राजस्थान के किसानों के लिए कानून बनाते हैं तो ऐसा बनाईये जो समान हो। ऐसा न हो कि एक जगह सीमा बाँधते हैं और दूसरी जगह नहीं बाँधते हैं तो ऐसा कानून समानता के आधार पर बना हुआ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आप रीजन यह देते हैं कि जमीन का फ्रेगमेन्टेशन न हो या जमीन के टुकड़े न हों। मैं यह कहता हूँ कि इस जगह फ्रेगमेन्टेशन का सवाल क्यों होता है जब कि एवरेज होल्डिंग १६ एकड़ है। गंगानगर में एक मुरब्बा १६ एकड़ के करीब का होता है। एक मुरब्बा जमीन गंगानगर में थोड़े सरमायेदार के पास ही हो सकती है। कुँभलगढ़ के बारे में नोट ऑफ डिसेन्ट में कहा गया है कि एक एकड़ में ३०,४० मन

Page No.78

(श्री चन्दनमल वैद)

तक पैदावार हो सकती है। वहाँ पर ५ एकड़ जमीन भी एक परिवार के पास काफी हो सकती है। एक एकड़ में ४० मन अनाज पैदा होता है तो वैसी ५ एकड़ जमीन काफी होती है। केवल यह न समझें कि किसान ही इस बात को समझ सकते हैं बल्कि हम शहरवाले भी जानते हैं कि कितने आदमी शरमायेदार हैं और कितनों को दो वख्त भर पेट खाना नहीं मिलता है। केवल शरमायेदारों या जेन्टेलमैन फार्मर्स के हितों के आधार पर कानून बनाने से जनता का हित नहीं होता है। केवल यही नहीं देखना होगा कि सैकड़ों आदमियों के पास हजारों बीघा जमीन हैं या जेन्टलमैन फार्मर्स आवाज निकाल सकते हैं इसलिए उनको यह समझा जाय कि ये ही आईडियल किसान हैं उनका अहित न हो। इसलिये आपकी फ्रेगमेन्टेशन ऑफ होल्डिंगवाली दलील ठीक नहीं बैठती।

दूसरी बात जो इस बिल में समानता के आधार पर ठीक नहीं बैठती वह यह है कि जो कुँओं से जमीन सिंची जायेगी उसको बारानी मानेंगे। क्यों साहब क्यों मानेंगे बारानी ? सलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसा डर है कि कुँओं से सिचाई होनेवाली जमीन को बारानी नहीं मानते हैं तो कोई कुँआ नहीं खोदेगा। ठीक है सोच सकते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ गई तो सीलिंग लागू हो जायेगी इसलिए क्यों कुँआ खोदें। अगर ऐसा डर है तब तो लोग अच्छा बीज भी नहीं डालेंगे, पौधों की रखवाली भी नहीं करेंगे और कीड़ों को भी नहीं मारेंगे। जब कि आपने यह लिख दिया है कि एक बार सीलिंग तय होने के बाद कोई इम्प्रूवमेन्ट करता है और उसकी उपज बढ़ती है तो उसकी जमीन को सीलिंग में शामिल नहीं करेंगे तो फिर क्या कारण है कि कुँओं से सिंचाईवाली जमीन को बारानी मानेंगे और उनको दुगुनी, तिगुनी देने की कोशिश करेंगे ? मैं समझता हूँ समानता के आधार पर यह बात ठीक नहीं बैठती है। इस प्रकार के प्रावधान को हटाना चाहिये।

इसके बाद स्टेन्डर्ड एकड़ के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह अनसाईन्टिफिक है। हालां कि आपने यह लिखा है कि यह साईन्टिफिक है लेकिन मैं यह समझता हूं कि मोस्ट अनसाईन्टिफिक इससे बढ़ कर कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए किन किन बातों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में इसमें लिखा है: Standard acre shall mean the area of land which with reference to its productive capacity, situation, soil classification and other prescribed particulars प्रेस्काईब्ड पर्टिकुलर्स जिन्हें गवर्नमेन्ट प्रेस्काईब करेगी। उसके बाद में आता है प्रेस्काईब्ड मैनर, उस तरह से जिस तरह से गवर्नमेन्ट प्रेस्काईब करेगी अकोर्डिंग टू प्रेस्काईब्ड स्केल। इसका मतलब यह है कि स्टेन्डर्ड एकड़ को डिटर्मिन करने के लिए गवर्नमेन्ट को तीन तरह के रूल्स बनाने पड़ेंगे। इस तरह से यह कहा जाता है कि स्टेन्डर्ड एकड़ साईन्टिफिक है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अनसाईन्टिफिक क्या हो सकता है जिसके लिए तीन तरह के कानून बनाने पड़ेंगे और गवर्नमेन्ट के ऑफिसर्स के विम और केप्रिशियस पर निर्भर करेगा जिसका अंदाज नहीं लगा सकते ? इसका असर कितने विलेजेज पर पड़ेगा और

Page No.79

(श्री चन्दनमल वैद)

कितना लिटीगेशन बढ़ेगा इसका अन्दाजा कभी नहीं लगा सकते। सरकारी ऑफिसर्स यह तय करेंगे कि इस जगह इतने एकड़ जमीन की इतनी स्टेंडर्ड एकड़ जमीन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीलिंग बिल को पास कर दिया तो भविष्य में सारा राजस्थान कोर्ट-रूम हो जायेगा। इतने मुकदमें चलेंगे कि जिनसे बेकारी की समस्या हल हो जायेगी लोगों के पास मुकदमाबाजी का काम हो जायेगा।

माननीय चेअरमैन महोदय, मैं कम्पेन्सेशन की बात कह रहा था। इस मामले में हमने यह तय किया है, सलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह है कि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के अनुसार कम्पेन्सेशन दिया जायेगा। ठीक है। एक बार मुझे मालूम नहीं सदन में या बाहर कहा गया था कि लैंड रिफॉर्म्स के कुछ मामलों में राजस्थान सबसे आगे है। मुझे खुशी हुई। इस सारी स्टेट में राजस्थान पीछे नहीं पड़ता, यह जान कर गर्व जरूर हुआ। एक बात में हिन्दुस्तान में आगे है और वह लैंड रिफॉर्म्स का मामला है लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि उस आगेपन को महसूस किया जा रहा है और एक साथ पीछे खींच रहे हैं जिससे सारी स्टेट के मुकाबले में बराबर आ जाय। वह कम्पेन्सेशन का मामला है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा कि कितनी स्टेट्स हैं जिन्होंने तय किया है कि मार्केट वेल्यू से कम्पेन्सेशन देंगे। मुझे मालूम है कि कुछ स्टेट्स ने तय किया है कि लैंड रेवेन्यु का इतने गुना कम्पेन्सेशन देंगे। दो, तीन स्टेट्स ने तय किया है कि मार्केट वेल्यू का ५० प्रतिशत, ६० प्रतिशत देंगे। एक भी ऐसी स्टेट नहीं है कि जिसने तय किया हो कि लैंड एक्वीजिशन एक्ट के अनुसार देंगे। लैंड एक्वीजिशन के अनुसार देने से १० परसेन्ट ज्यादा देते हैं बजाय मार्केट वेल्यू के। ऐसी इमर्जेन्सी में जमीन ले ली हो जिसमें क्रोप को नुकसान हो गया हो या काश्तकारों को असुविधा हो गई हो तो १० परसेन्ट देने का प्रावधान है। माननीय राजस्व मंत्रीजी मैं समझता हूँ, इस चीज को गम्भीरता से महसूस नहीं कर रहे हैं। मेहरबानी करके अपने फाइनेन्शियल एडवाईजर से बात करें। मैं समझता हूँ कि सीलिंग के बिल में मार्केट वेल्यू तय की तो निश्चित मानिये कि कभी भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप देखिये कि कितना रुपया देना पड़ेगा, कितनी धन राशि देनी पड़ेगी, इससे अन्दाज लगाईये। तो क्या आप बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या सिर्फ भारत सरकार को और प्लानिंग कमीशन को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हमने भी सीलिंग का बिल पास कर लिया और कोड में सीलिंग का बिल रख लिया है.....

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : बम्बई में गवर्नमेंट ने १०० टाईम्स देने का निश्चय किया है for your information, I may tell you.

श्री चन्दनमल वैद : I have no objection to it. बम्बई में १०० टाईम्स देने का निश्चय किया है तो आप २०० टाईम्स दीजिये पर साईन्टिफिक बेसिस के जरिये आप भूमि सुधार का नाम लेते हैं और जमीन की कीमत देते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह सीलिंग के पर्पज से डेरोगेटरी है। आप सीलिंग के नाम के साथ बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। आप १०० टाईम्स दीजिये, २०० गुना दीजिये पर जब आप लैंड प्राईस देते हैं तो उसको सीलिंग नहीं कह सकते। आप जमीन की कीमत देते हैं

(श्री चन्दनमल वैद)

तो उसको सीलिंग की संज्ञा नहीं दे सकते। आप १०० गुना, २०० गुना दीजिये, मैं नहीं कहता कि किसी किसान के साथ अन्याय किया जाय। मैं इस बात का पक्षपाती नहीं हूँ। मेरी लॉजिक नहीं है कि किसान के साथ अन्याय कीजिये। मेरी लॉजिक है कि यदि आप भूमि सुधार का नाम लेते हैं तो कीमत मत दीजिये। १०० गुना या २०० गुना अगर राजस्व मंत्रीजी तय करते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है।

इसके बाद एग्जेम्प्सन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एग्जेम्प्सन के सिलसिले में बार बार लिखा गया है प्रेस्क्राईब्ड। जब आप प्रेस्क्राईब्ड शब्द का यूज करते हैं तो फिर आप ऑफिसर्स की केपराईश पर चले जाते हैं। इस लेजिस्लेचर के सामने छः साल से यह सीलिंग का सवाल पेंडिंग है। १०, १५ सलेक्ट कमेटी की सिटिंग हुई हैं, उसमें समय गया है, इसमें सदन का समय लगनेवाला है, तो क्या यह सदन कॉम्पीटेन्ट नहीं है कि वह प्रेस्क्राईब करे? आप ऑफिसर्स पर छोड़ देंगे, कि वे प्रेस्क्राईब करें कि अफीशियेन्टली मैनेज फार्म है या नहीं। इसका मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आता। उनकी मर्जी जिस पर हुई उसको कह दिया कि फार्म अफीशियेन्टली मेजेड है। जिस पर मर्जी नहीं हुई उसको कह दिया कि एफीशियेन्टेली मेनेज्ड नहीं है। खुद अपने दिमाग में क्लीअर होना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा राजस्व मंत्रीजी से या दूसरे माननीय सदस्य, जो सलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे कि अफीसियेन्टली मैनेज्ड का मतलब क्या है? उन्होंने क्या समझ कर यह शब्द काम में लिया है, क्या डिराइव करना चाहते हैं? इस बात की क्यों रखा है? इसके बाद एग्जेम्प्सन में और जो बातें हैं उनमें अनामाली है। एक कोऑपरेटिव फार्म्स होंगे, उसमें है कि हर सदस्य के जिम्मे उतनी जमीन हो जो सीलिंग से ज्यादा न हो तो रिटेन की जायेगी बशर्ते कि अफीशियेन्टली मेनेज्ड हो। मान लीजिये कि ५०० बीघा जमीन है। जिस इलाके में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां ५० एकड़ सीमा है और १० मेम्बर हैं तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ५०० एकड़ जमीन रखने की ईजाजत होगी और ५०० एकड़ से एक एकड़ ज्यादा जमीन रखने की ईजाजत नहीं होगी और वह भी तब होगी जब कि वह अफीशियेन्टली मेनेज्ड हो। लेकिन दूसरा कोई फार्म, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है, इन्डीविजुअल का है उसको ५०० एकड़ जमीन रखने की ईजाजत होगी अगर अफीशियेन्टली मेनेज्ड है। सीलिंग में अफीशियेन्टली मेनेज्ड नहीं है तब भी रखने की ईजाजत है। सीलिंग के बाहर रखने की ईजाजत होगी अगर अफीशियेन्टली मैनेज्ड है। इसका मतलब हुआ कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं को-ऑपरेटिव के लिए सीलिंग जरूरी है। एक दो कन्डीशन सीलिंग के अन्दर, अफीशियेन्टली मेनेज्ड और उसके बाहर एक कन्डीशन है वह है अफीशियेन्टली मेनेज्ड। इसका मतलब यह हुआ कि आज को-ऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते बल्कि उसको इस दृष्टि से देख रहे हैं जिससे प्रोत्साहन न मिले बल्कि नीचे गिरे। मैं नहीं कहता कि यह जानबूझ कर रखा गया है। हो सकता है यह ओवर साइट से रह गया रहा हो। मैं प्रार्थना करूँगा कि इसको चेक करके ठीक करवाने की कोशिश करें।

इन सब बातों के साथ मैं माननीय मन्त्रीजी से प्रार्थना करूँगा कि राजस्थान का भूमि सुधार के मामले में अग्रणी स्थान रहा है, इसको न भूलें। राजस्थान में जागीर

(श्री चन्दनमल वैद)

रिजम्पसन एक्ट, टिनेन्सी एक्ट, ऐसे एक्ट माने जाते हैं और कहा जाता है कि राजस्थान ने बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। उनमें उन बिलों को पेश करनेवाले राजस्व मन्त्रीजी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। कहीं ऐसा न हो कि कुछ ऐसा रेट्रोगेटिव स्टेप ले जाँय और उससे आगे चल कर कहा जाय कि वही राजस्व मन्त्रीजी हैं जिन्होंने सीलिंग का बिल पेश किया था। क्या बात थी, कैसे विचार थे जिससे ऐसा सीलिंग का बिल आया? ऐसी बात आगे न सोचें कि राजस्थान के लिए कहा जाय कि जो लैंड रिफॉर्म्स में अग्रणी था वह पीछे हट गया। इस बात का आप ख्याल रखें और इधर उधर से आनेवाले प्रेसर को दबायें, बर्दाश्त करें और यह बिल ऐसा मालूम पड़े कि यह सीलिंग का बिल है, ऐसा न मालूम पड़े कि यह 'लैंड पर्चेजिंग का बिल' है।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह।

(थपथपाहट)

श्री माधोसिंह (आहोर) : सभापति महोदय, आपके समक्ष राजस्थान टिनेन्सी (सिक्स्थ अमेंडमेंड) बिल, १६५८ है। इसके बारे में सलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है। मेरे पूर्व वक्ता ने दो, चार बातें कही हैं उनके बारे में मैं अर्ज करूँगा। चेअरमैन महोदय, मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने सीलिंग के मुआवजे के लिए कह दिया कि यह मार्केट वेल्यू पर कैसे दिया जाता है, यह किस तरह रख दिया गया है? मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर गवर्नमेंट एक मकान एक्वायर करती है तो पूरी कीमत देना चाहती है क्योंकि सेटजी का मकान है परन्तु एक काश्तकार का खेत लेते हैं तो मार्केट वेल्यू नहीं देना चाहते हैं क्योंकि किसान का खेत है। अगर यह फर्क रखा जाता तो मेरे पूर्व वक्ता को संतोष होता। लेकिन हमारे राजस्व मन्त्रीजी ने व्यवस्था कर दी है इससे उन्हें दर्द हुआ।

इसके अलावा एक्ट में एग्जेम्पसन रखे गये, उसके अन्दर मैं कहूँगा कि बहुत से एग्जेम्पसन जरूरी थे वे नहीं रखे गये। राजस्थान के अन्दर जानवरों के चरने के लिए गोचर भूमि की माँग चली आ रही है परन्तु आज हर एक किसान, जिसके पास जितनी जमीन है उसी के अन्दर वह थोड़ी बहुत जमीन में अपने ढोरों का भी निर्वाह करता है। परन्तु इस एग्जेम्पसन में उसके ढोरों के लिए जगह नहीं है। उनके लिए जगह नहीं रखी गई। किसान से जमीन ली गई, सब गोचर जमीन ले ली गई जिसके अन्देर जानवरों का निर्वाह होता है। इससे अब गोचर भूमि की समस्या खड़ी होनेवाली है। मैं अर्ज करूँगा कि एग्जेम्पसन के अन्दर किसानों के जानवरों के लिए अलग जमीन हो, ५, १० जानवरों के लिए गाय, बैल, बकरी वगैरह के लिए अलग २ जमीन देना आवश्यक है। इसके अलावा एक और एग्जेम्पसन देना आवश्यक था, वह जानवरों के लिए जमीन के लिए

(व्यवधान)

३.१६ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

एक वक्ता ने कह दिया है कि जानवरों का एनीमल हसबेन्डरी डिपार्टमेंट है वह

(श्री माधोसिंह)

प्रेस्काइब करें, उस हिसाब से उतनी जमीन सीलिंग के अलावा छोड़ दी जानी चाहिए (हंसी) और एग्जेम्पशन के अन्दर एड हो जानी चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूं इस एक्ट के अन्दर किसानों के जो मकान हैं, जो मकान एग्रीकल्चर लैंड पर ढाणियां बन गई हैं वे सीलिंग लगाते वक्त पैमाइश हो जानी चाहिए और काश्त की जमीन अलग डिक्लेअर होनी चाहिए, यह आवश्यक है। इसके अलावा हमारा राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर डेजर्ट बहुत है। यहाँ वन लगने का बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया जाता है। मैं कहूँगा कि इस एक्ट में जगह रखी जाय कि किसान जमीन निजी वन बनाने के लिए रखता है (धम्पिग) और राजस्थान वन विभाग के इशारे पर वन लगाता है तो वह भूमि छोड़ देना आवश्यक हो जायेगा। इसलिए माननीय चेअरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि इस बिल में इस तरह के दो चार अमेंडमेंट और लावें और राजस्थान को तरक्की की ओर बढ़ावें।

किसानों की हालत अमूमन खस्ता है, चाहे दो, चार की भले ही ठीक हालत हो। उन दबे हुए किसानों का और भी गला दबाने का यह कानून बनाया जा रहा है यदि इसमें किसानों को उनका उचित हक नहीं दिया जाता है तो। हम यह नहीं कहते कि सीलिंग लागू नहीं किया जाय। सीलिंग लागू किया जाय पर किसानों को ऊँचा बढ़ने का भी मौका दिया जाय। एक हमारे साथी वकील साहब ५,००० की प्रेक्टिस कर सकते हैं तो हमारे किसानों को भी उसी प्रकार अपनी आय बढ़ाने और अपनी हालत को अच्छा बनाने का अधिकार होना चाहिए। कारिंदे लोग किसानों का माल खा खा कर मोटे हो गये। वे कहते हैं कि किसानों के पास जमीनें इतनी नहीं रहनी चाहिए........

ठाकुर श्री मदनसिंह : (दाँता रामगढ़): आप से मोटा तो यह हाल ही है।

(हँसी)

श्री माधोसिंह : मेरे से मोटी आपकी अकल है।

(अनवरत हंसी)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री माधोसिंह : माननीय चेअरमैन महोदय, इसके अलावा मैं यह अर्ज करूँगा कि इस बिल में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है वह हर किसान को आगे बढ़ने से रोकने वाला है और इसके साथ ही १० मन स्टेन्डर्ड एकड़ का रेशो दिया गया है वह कतई ठीक नहीं है। मैं तो राजस्व मन्त्रीजी से कहूँगा कि २० मन एकड़ का कर देना चाहिये। इससे किसानों को अपनी तरक्की करने का मौका मिल सकता है और किसानों के बच्चे उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं। आज राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ किसान वर्ग है। अब तो उसको अगर आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, हालांकि दूसरे लोग दूसरे धंधों से, दूसरे जरियों से मालदार बन सकते हैं, इस तरह किसानों की खेती से कम आय कर देंगे तो राजस्थान का पिछड़ा हुआ किसान कभी भी ऊपर नहीं उठ सकेगा।

(श्री माधोसिंह)

मुझसे पूर्व वक्ता दो चार बातें कह गये हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल तो लोगों को मुआवजा दिलाने का कानून है और इसकी सीलिंग लागू करने की कोई मंशा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान जैसा इलाका जिसमें ८० प्रतिशत जागीरें थीं वहां जिस शान्ति से जागीरें खत्म हुई, प्रगति हुई वैसी हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों में प्रगति नहीं हुई और इस इलाके में इतनी बड़ी तादाद में जागीरदार जागीरें छोड़ कर दूसरे धंधों में नहीं लगे, यह कह कर क्या आप राजस्थान को अंधेरे में ढकेलना चाहते हैं? माननीय चेयरमैन महोदय, लोगों के व्यक्तिगत कारण विरोध के हो सकते हैं या गुटबाजी की वैमनस्यता हो सकती है, इधर उधर के भाई एम. एल. ए. को नहीं देख लेना है ....

(हंसी)

गुटबाजी पर समालोचना नहीं करनी है। अगर मैं आलोचना करने लग जाऊं कि यहां तो मंत्री बनते ही बँगले बन गये तो पुराने मंत्री हैं उनको दुख होगा।

(हंसी)

इस एक्ट में किसानों के ऊपर नया कानून लगाया जा रहा है। इसमें जितनी सुविधा किसानों को दी जाय उतना ही अच्छा है। जैसे जैसे और दुनिया और हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा यहां भी आप अमेंडमेंट ला सकते हैं पर एक साथ इतना कड़ा कानून बना कर किसानों को बांध रहे हैं, यह उचित नहीं होगा।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप का कोई नोट ऑफ डिसेंट है क्या ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I think he can speak in favour of the Bill.

श्री सभापति : Yes, yes, Sri, Moolchand Daga do you want to say some thing ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं बोलना चाहता था।

श्री सभापति : आपने मेरी नजर नहीं पकड़ी।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह बिल जो प्रवर समिति से आया है ...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): नोट ऑफ डिसेंट तो श्री सोहनलाल भटनागर ने भी दिया है।

श्री सभापति : You will get chance this time.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, अब तक के कन्वेन्शन से जिनका नोट ऑफ डिसेंट होता है उनको बोलने का पहले चान्स मिलता है और वे अगर नहीं बोलते हैं तो उनका चान्स गया ऐसी प्रेक्टिस रही है।

श्री सभापति : That practice would continue and Shri Sohan Lal Bhatnagar would have a chance this time.

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल सीलिंग के]

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

बारे में हमारे सामने है, हम यह सोचें कि हमारे देश ने किस पद्धति को अपनाया है। दूसरे कन्ट्रिया ने पूंजीवाद और साम्यवाद को अपनाया है ...

(हंसी)

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : We should speak correctly.

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : मैं समझता हूं मेरी बात सुनें।

श्री सभापति : He is drawing your attention to the word only. There is no word' countriya'. Either it should be country or 'Desh'.

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : पर हमारे देश ने पूंजीवाद और साम्यवाद इन दो प्रकार की विचारधाराओं से अलग विचार-धारा, समाजवाद की विचारधारा को अपनाया है और समाजवाद के आधार पर ही हमारे यहां सीलिंग लाना है। यह हमारे देश के संविधान में है कि किसी आदमी की प्रोपर्टी को सरकार ले तो उसके बदले में उसे उसका मुआवजा देना पड़ता है। अगर यह कहा जाय कि यह सीलिंग का बिल नहीं भूमि खरीद का बिल है तो अत्युक्ति नहीं है। इस बिल में रखा है कि सरकार यदि किसी की प्रोपर्टी को लेगी तो उसके बदले में उसको उसका मुआवजा देगी। इसमें कहा जाय कि चाही और बारानी को एक बना डाला और मार्केटिंग वेल्यू के हिसाब से देना तय कर लिया, ३० एकड़ रखा और स्टेन्डर्ड एकड़ १० मन गेहूं का रखा, वह गलत है इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अभी जैसा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने बताया था कि हमारे प्रदेश में ज्यादा तर कुँओं से खेती होती है और इसमें ज्यादा खर्चा भी आता है। आज रेगिस्तान में ८०, ८०, ६०, ६०, हाथ गहरे कुँए खोदे जाते हैं और उनसे लोग काश्त करते हैं। उनको कितना खर्चा उठाना पड़ता है ब-मुकाबले दूसरे हिस्से के लोगों के ? तो मैं इसके अलावा यह निवेदन करना चाहता हूँ चाही और बारानी को एक करने के साथ साथ यह बतला दिया गया है कि अगर १० मन स्टेन्डर्ड एकड़ से कम आमदनी जिस जमीन में होती है तो उसको ज्यादा जमीन मिल सकती है। तो ऐसी हालत में यह समझना कि इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव किया गया है, गलत है। हमने ३० एकड़ इसीलिए कायम किया है कि १० मन फी एकड़ पैदावार होती है और इसलिए उसके साथ बारानी ले लिया है। अगर इसमें कम पैदाईश होती है तो उसको उस हिसाब से जमीन रखने का हक होगा जैसे १० मन फी एकड़वाले को। इसलिये यह कहना कि बारानी और चाही का फर्क है वह संविधान की धारा के विपरीत होगा, यह कहना गलत है। यह संविधान की धाराओं के माफिक ही रखा गया है। अगर हम यह १० मन का हिसाब नहीं रखते तो आपका कहना वाजिब था।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह १० मन वाली बात कौनसी धारा में है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ऐसी हालत में हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। हमने

Page No.85

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

एक आदमी को कम और दूसरे को ज्यादा जमीन नहीं दी है। हमने भेदभाव की जो नीति थी उसको ठीक कर दिया है।

अब यह कहा गया है कि ३० एकड़ स्टेन्डर्ड रखा गया है वह ज्यादा रखा गया है और किसी ने यह कहा कि यह कम रखा गया है। किसी ने यह कहा है कि किसानों की आमदनी पर कन्ट्रोल लगाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी काश्तकार को दूसरे काम करने की मनाई नहीं है। वह दूसरा काम कर सकता है। अगर कोई काश्तकार यह चाहे कि खेती के समय के अलावा दूकानदारी या और कोई काम करे तो उसको कोई मनाई नहीं है।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : क्या यह पोसिबल हो सकता है कि काश्तकार दूकानदारी या दूसरा काम करे ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जरूर कर सकता है। वह खेती के समय में खेत पर काम कर सकता है और दूसरे समय में दूसरे रोजगार का काम कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अब यहां पर दूकानदारों की वकालत हो रही है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मुझे ध्यान से सुनते तो ज्यादा अच्छा होता और उसके बाद कुछ कहते। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य बीच में बोल कर डिस्टर्ब न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आमदनी पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, यह कहना गलत है। हमने कोई आमदनी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। हमने उनको बताया है कि इस आमदनी तक वाले खेत रहेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गरीबोंकी गरीबी बांटी जाती है और अमीरों की अमीरी और खुशहाली नहीं बांटी गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ज्यादा खुशहाल लोग हैं और जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर गरीबों को दी जा रही है। ऐसी हालत में गरीबों की गरीबी बांटी जा रही है, यह कहना गलत है। आज जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेली जा रही है और कम जमीनवालों से नहीं ली जा रही है। अगर वे लोग कोई दूसरा काम करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। उनको कोई मनाही नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमारे यहाँ इन्डस्ट्रीज को ध्यान में रख कर सीलिंग नहीं लगाई है। मैं निवेदन करूँगा कि प्लानिंग कमीशन ने इसके बारे में सब सोचा है मैं और उल्लेख किया है कि हर गांव में छोटी स्केल पर इन्डस्ट्री कायम की जावेगी। ऐसी हालत में यह कहना कि इन्डस्ट्रीज को ध्यान में नहीं रखा गया है, यह गलत है। हमने जो कुछ सीलिंग लगाया है उन सारी बातों को समझ में रखते हुए ३० स्टेण्डर्ड एकड़ कायम किया है।

और यह कहा गया है कि मार्केटिंग वेल्यू देनी क्यों रखी गई ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले को आप उदाहरण के तौर पर लें। अगर आप वहाँ पर जमीन मोल लेने जावें तो आपको १२ हजार में एक मुरब्बा जमीन मिलती है। अगर लगान के हिसाब से देना चाहें तो लगान तो है ६ आना

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

बीघा । क्या आप १२ हजार की जमीन को ६ आना बीघा में देना चाहेंगे ? ऐसा नहीं हो सकता । कोई इस बात को पसंद नहीं करेगा । इसलिए हमने जो रखा है वह बिल्कुल सोच समझ कर और उचित और न्यायोचित रखा है । यह भी बताया गया है कि जब हम किसी दूसरे का मकान लेते हैं तो उसको पूरा मुआवजा देते हैं । जब हम मकानवाले को मुआवजा देते हैं तो फिर जमीनवाले को मुआवजा क्यों न दें ? क्योंकि काश्तकार उसी जमीन से अपना जीवन उपार्जन करता है और उसी तरह से मकान मालिक भी भाड़ा और मकान के किराये से अपना जीवन बिताता है । इसलिये जो सलेक्ट कमेटी ने रखा है वह बिल्कुल सोच समझ कर ठीक और न्यायोचित रखा है ।

अब यह कहा गया कि मेकेनाईज्ड फार्म की व्याख्या की गई है । अगर किसी ने २ बीघा भूमि में भी ट्रेक्टर लगाया तो वह मेकेनाईज्ड फार्म बन जावेगा और मान लिया जावेगा । मैं यह कहूंगा कि सलेक्ट कमेटी ने कहीं भी ऐसा नहीं बताया कि २ बीघा या १० बीघा पर यदि कोई ट्रेक्टर चलावेगा तो उसको मेकेनाईज्ड फार्म मान लिया जावेगा । मेकेनाईज्ड फार्म की व्याख्या अब करनी है जो की जावेगी ।

यह भी कहा गया कि सरकार पैसा देगी । मैं यह कहूंगा कि यह पैसा सरकार पर नहीं पड़ेगा । यह पैसा तो उसी पर पड़ेगा जो भूमि काश्तकार को दी जावेगी उसी से किश्तों से रुपया लिया जावेगा ।

डॉ० बहादुरसिंह : भूमि गवर्नमेंट खरीद रही है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): अगर उनके पास रुपया होता तो वे खुद खरीद लेते ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आपका यह कहना है कि गवर्नमेंट जमीन खरीद रही है, मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट कोई जमीन नहीं खरीद रही है । यह कहना कि कीमत ज्यादा से ज्यादा होगी वह दूसरी बात है ।

श्री चन्दनमल वैद : यह बात दूसरी नहीं है, यह बात बहुत अहम है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं यह निवेदन करूँगा कि इसके लिये आपको सोचना है कि सलेक्ट कमेटी ने जो बातें रखी हैं सोच समझ कर रखी हैं या नहीं । इसमें अहम बात यह है कि मारकेटवेल्यू रहनी चाहिये । सलेक्ट कमेटी ने तो सोच समझ कर रखा है । अब यह सदन चाहे तो उसमें रद्दोबदल कर सकता है । (हंसी) मगर मैं समझता हूं कि सलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है वह उचित है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : माननीय सभापति, भूमि सुधार के लिए हमारे यहां एक प्रकार से नये और शांतिपूर्ण तरीकों से कदम उठाया जा रहा है और उनको लेकर प्रथम पंचवर्षीय योजना में काफी समावेश रखा गया और उन्हीं आधारों को लेकर हमारे राजस्थान में काफी भूमि सुधार किये गये हैं और जैसा सरदारशहर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि राजस्थान भूमि सुधार के मामलों में काफी अग्रगण्य रहा है । लेकिन भूमि सुधार में सीलिंग की बात जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और मैं इसमें इस मौके पर यह निवेदन करूँगा कि राजस्थान इस मामले में जरूर

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पिछड़ा रहा है । क्योंकि हम सुधार के संबन्ध में दूसरी स्टेटों को देखें तो हमें विदित होगा कि कम से कम हिन्दुस्तान में, आसाम में बहुत पहले से हो गया, जम्मू और काश्मीर में, वैस्ट बंगाल में, हैदराबाद में, हिमाचल प्रदेश में और भी बल्कि दूसरी जगह भूमि-सुधार हो गये हैं और हम काफी इस विषय में पिछड़े हुए हैं । इसके बारे में जो कमेटी बैठाई गई और उसने ५ वर्ष बाद इतने लम्बे अर्से से अपनी रिपोर्ट दी । उस रिपोर्ट पर जैसा बिल आधारित होकर आया उसके साथ ही जो कुछ सलेक्ट कमेटी ने फैसला किया है उसको देख कर मुझे बड़ा दर्द हुआ । उसको देख कर मैंने अपना नोट ऑफ डिसेन्ट दिया । इसका अर्थ यह है कि सीलिंग का अर्थ यह है कि जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है उसको मिटाना है ।

सभापति महोदय, हमारा देश खास तौर से कृषि प्रधान है । आज ५८ प्रतिशत हमारा जो धन है वह केवल कृषि से उत्पन्न करते हैं । आज हमारे देश में पैसे और भूमि की समस्या है । आज हम लोग इसकी समानता इनडिविज्युअल सेन्टर में करना चाहते हैं । मैं निवेदन करूँगा कि लाखों किसान भूमिहीन हैं और वे किसतरह से भूमि प्राप्त कर सकें, उनका सामाजिक स्टेटस है वह किसतरह से बढ़ रहा है और किस प्रकार भूमि प्राप्त कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण को लेकर यदि इसकी साम्यता दूसरे इन्डस्ट्रियल सेक्टर से करें तो यह ठीक नहीं है । सभापति महोदय, एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सीलिंग की समस्या को लेकर यह कहा जाय कि दूसरे उपायों से, उपज से जितनी आमदनी होती है उस दृष्टि से सीलिंग लगायें तो उसके लिए मेरा यह उत्तर है कि एक बुराई का जवाब दूसरी बुराई से नहीं दिया जा सकता है । यदि दूसरी में बुराई है तो उसका निराकरण करने की कोशिश की जाय । समय पर की भी जायेगी । कुछ आदमियों के पास जमीन है । उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है । दूसरे जो भूमिहीन किसान हैं उनका वे शोषण कर रहे हैं । आज देश की परिस्थिति को देखते हुए यह बर्दाश्त नहीं कर सकते । राजस्थान की बात को लेकर यह कहा जा सकता है, सभापति महोदय, कि राजस्थान में बिला नाम काफी जमीन है । भूमि की समस्या नहीं है । ३, ४ लाख भूमिहीनों को बसाना है । पड़त जमीन पर समावेश किया जा सकता है । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह समस्या बहुत अहम समस्या है । राजस्थान में जो जमीन पड़त पड़ी हुई है उसमें ८० प्रतिशत तो रेगिस्तान है । राजस्थान केनाल जो १० वर्षों में आवेगी वह जब तक न आवे और भूमि में पानी न फिरे तब तक यह समस्या हल नहीं होनेवाली है । अब जो २० प्रतिशत भूमि है उसमें खेती नहीं हो सकती, वह काबिल काश्त नहीं है। इन दृष्टिकोणों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक न्याय को लेकर राष्ट्रीय नीति है कि सीलिंग का कानून जल्दी से जल्दी लाना चाहिए । उसको जल्दी से जल्दी न लाकर आज अब पेश हुआ है । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्व मंत्री महोदय का भाषण सुना उससे साफ जाहिर होता था कि जो तब्दीली सलेक्ट कमेटी ने की है वह राजस्व मंत्री ने दिल से नहीं की और वे आज भी उत्सुक हैं कि इसमें परिवर्तन कर दिया जाय ताकि जो भूमिहीन किसान हैं उनके साथ न्याय किया जा सके । यह जो स्प्रिट राजस्व मंत्रीजी ने बताई मैं उसकी तारीफ करूंगा ।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बारे में निवेदन करना चाहूँगा जिस पर राजस्व मंत्री जी ने प्रकाश डाला है। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी ने बताया कि फेमिली की डेफिनेशन में ७ के बजाय ५ कर दिया गया है। उसके लिए यह दलील दी है कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि ५ रखना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय मंत्री महोदय ने परिवार नियोजन कर दिया।

श्री सोहनलाल भटनागर : फेमिली डेफिनेशन के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि "A committee of the Panel on Land Reform set up by the Planning Commission has recommended that the ceiling should apply to the total area held by a family, the expression, 'Family' being deemed to include husband, wife, dependent sons and daughters and grand children. हो वैसा करना चाहिये।

सभापति महोदय, आगे निवेदन है कि जब हस्बैन्ड, सन, ग्रान्ड-सन को लेते हैं तो यह साफ हो जाता है कि ५ से फेमिली बढ़ जावेगी। जब बढ़ जाती है तो नतीजा क्या होता है कि ५ के बाद जितने मेम्बर बढ़ते हैं उनको अधिक जमीन दी जावेगी और यहाँ तक कह रखा है कि ६० एकड़ तक दी जा सकेगी। ७ के बजाय ५ कर दिया गया है वह उचित नहीं है इसलिए ७ ही रखा जाना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगा वह है स्टेन्डर्ड एकड़ के बारे में। जैसा माननीय राजस्व मंत्रीजी ने बताया सीलिंग कमेटी ने कई क्राइटेरिया निकालने की कोशिश की है और इस नतीजे पर पहुँची कि स्टेन्डर्ड एकड़ मान लिया जाय। उसके मानने से नतीजा क्या निकलता है ? पहले सीलिंग कमेटी बनी। पैप्सू में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ है। दूसरी जगह कहीं नहीं है। दूसरी जगह के बारे में भी बताया गया है जैसा कि आसाम में ५० एकड़ डेफिनेट कर दिया गया है। जम्मू और काश्मीर में २२ एकड़, वैस्ट बंगाल में २५ एकड़, हैदराबाद में १८ से ज्यादा। हिमाचल में ३० एकड़ 30 acres in Chamba and Land assessment ar Rs. 125 mother Districts और केरल में बिल पास हो गया था और जो प्रेसिडेन्ट की असेन्ट के लिए पड़ा हुआ है उसमें भी १५ एकड़ और डबल क्रोपिंग लेते हैं :

"In Kerala a Bill has been introduced providing for a ceiling for a family not exceeding five members at 15 acres of double-crop paddy landor garden Land. 22½ acres of single crop paddy land and 30 acres for other Lands. In the case of large families, land may be retained upto 25 acres of double-crop poddy land or its epuivalent area.

कोई भी क्राइटेरिया रखा जाय, चाहे इन्कम हो, चाहे स्टेन्डर्ड एकड़। लेकिन हमें देखना यह है कि आखिर परिणाम क्या होता है ? जो १० मन गेहूँ पैदा कर सके और पैदा न कर सके गेहूँ तो प्राईस के प्रोपोर्शन में कन्वर्शन किया जावेगा। यह साफ है कि जो आंकड़े सीलिंग कमेटी में से निकाले, मेरी तहसील में २,४००) रु० की बुनियाद पर ७५ एकड़

(श्री सोहनलाल भटनागर)

बताया। यदि १० मन एकड़ मान लें तो वहाँ जाकर ३,६००) रु० की आमदनी होती है और जो शिड्युल पीछे दिया हुआ है उससे ड्योढ़ी जमीन आवेगी। इसका परिणाम क्या होनेवाला है? बड़ी होल्डिंग्स बिल्कुल कम हैं और एवरेज को बढ़ा देते हैं तो बहुत कम जमीन रहती है। जैसा कि उस कमेटी ने कहा और सवाल यह उस वक्त सामने आया कि ३,६००) रु० का लेवल मानना चाहिये। किसी ने कहा कि ४,५००) रु० का मानना चाहिये। कमेटी ने कहा कि होल्डिंग्स कम हैं और इससे तो सीलिंग का ही पर्पज डिफीट हो जायेगा। इसलिए इसको लेकर २,४००) रु० का बेसिस माना। इसको हम मान लेते हैं तो ड्योढ़ा ३,६००) रु० हो जाता है। यह तो तरमीम किया है उससे लैंड-लेस को फायदा नहीं पहुँचेगा।

दूसरी बात मैं ट्रान्सफर के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सीलिंग का प्रश्न नया नहीं है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो समाप्त होने जा रही है उसके इस काल में इसको कर देने के लिए प्लानिंग कमीशन ने निर्देश दिया है और राजस्थान में बच्चा बच्चा यह जानने लगा है कि सीलिंग का कानून आनेवाला है। प्लानिंग कमीशन ने यह राय दी है कि ऐसा कानून पास किया जाय जिससे कि ट्रान्सफर्स हो रहे हैं उनको बन्द कर दिया जाय। विधान सभा में राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ होल्डिंग्स बिल पेश किया गया था। वह पास नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि सीलिंग का पर्पज डिफीट न हो जाय। ओरिजिनल बिल में तरमीम की गई है कि जनवरी, सन् '५७ से जो ट्रान्सफर किये गये हैं वे इल्लिगल माने जावेंगे। रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने बताया कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि इसके लिए डेट दे दी जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन की सन् '५६ की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है :—

"Whichever course is adopted, it is necessary that all States should give urgent attention to the effect of malafide transfers made during the past two or three years with the intention of circumventing ceilings on holdings and should consider action needed to prevent such transfers in the immediate future."

सन् '५६ की जो रिपोर्ट है उससे पहले, दो, तीन साल पहले '५३','५४में जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको बन्द करने की कोशिश करनी चाहिए वर्ना जो कुछ ट्रान्सफर्स सन् '५५ से शुरू हो गये थे और सीलिंग कमेटी सन्'५३ में बैठ गई थी और लोगों को मालूम हो गया था कि राजस्थान में सीलिंग के लिए कमेटी बैठा दी गई है। सारे जितने भी ट्रान्सफर्स हुए उसी पीरियड में हुए उनको अगर हम रिकॉगनाईज करते हैं तो इसका सारा पर्पज डिफीट हो जायेगा।

ट्रान्सफर्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ इसमें पीरियड का सवाल नहीं है लेकिन इसके साथ साथ तीन, चार तरह के ट्रान्सफर्स को रिकॉगनाईज कर दिया गया है जैसा कि राजस्व मंत्री महोदय ने कहा है।

Page No.90

(श्री सोहनलाल भटनागर)

एग्रीकलचरिस्ट के लिए किया गया है उसको भी मान्यता दी है। इसके बारे में एग्रीकलचरिस्ट की जो डेफिनेशन हमने टिनेन्सी एक्ट में दी है वह पढ़ देता हूं : "Agriculturist" shall mean a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding." इसका मतलब यह हुआ कि जो सरवेन्ट्स से काश्त करवाते हैं, टिनेन्ट्स से काश्त करवाते हैं वे भी एग्रीकलचरिस्ट होंगे। चाहे खुद खेती नहीं करे किसी टिनेन्ट को दे दी है या उसको लीज़ पर दे दिया है उसको भी मुस्तस्ना कर दिया गया है। यह जो एग्जेम्पशन का प्रावधान है उसको मेरे ख्याल से जब तक डिलीट नहीं किया जायेगा सीलिंग का पर्पज ठीक तरह से नहीं होगा।

तीसरी मुख्य बात है कम्पेन्सेशन की। सीलिंग इसलिए लागू कर रहे हैं भूमिहीनों में भूमि बांटना है और भूमिहीन किसानों की संख्या इसमें ३ लाख दी है जिसको मैं माननेवाला नहीं। इस बारे में सेन्सस पूरी नहीं हुई मेरे अनुमान से करीब २० लाख भूमिहीन होंगे। आज हालत यह है कि ये लोग किसी तरह भी अपना आधा पेट भर कर भूखे रहते हैं ऐसे लोगों को भी हमें जमीन देनी होगी। इसलिए ऐसे लोगों की जो मौजूदा संख्या दी हुई है वह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह भारत सरकार की दी हुई है, लेबर डिपार्टमेन्ट की दी हुई है...

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं इसको नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह : लेबर सेन्सस निकली है उसमें यह संख्या दी हुई है।

श्री सोहनलाल भटनागर : जिनके पास अनईकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनको जमीन देनी है। इस दृष्टिकोण को देखते हुए उनके पास पैसा होता तो वे पहले भी खरीद लेते। सीलिंग की इन्तजारी क्यों करते ? लेकिन काश्तकार इस इन्तजार में रहे कि सीलिंग आयेगा और उससे हमको रिलीफ मिलेगा। हवा और पानी जिस प्रकार से फ्री था उसी प्रकार जमीन भी फ्री थी लेकिन कुछ लोगों ने उस पर भी कब्जा कर लिया। अब हमें इसके लिए यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जैसा कि संविधान में है जमीन का मुआवजा दिया जाय। लेकिन उस मुआवजे को मल्टिपल ऑफ रेंट के तरीके से देने का उल्लेख है। हमने टिनेन्सी एक्ट में जमीन के मुआवजे संबन्धी कम्पलीकेटेड धारा रखी थी। वह प्रोसीजर बड़ा कठिन था। उसमें हमें सैकड़ों रुपया मार्केट वेल्यू से ज्यादा देना पड़ा। उस दृष्टिकोण से जो सब-टिनेन्टस हैं वे लाभ प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसी कारण हमें गई असेम्बली में माल्टिपल ऑफ रेट का कानून पास करना पड़ा। मल्टिपल रेट है जैसे चाही की २० गुना और बारानी की १५ गुना रखी है। बंबई में ४० गुना किया है। यहाँ के टिनेन्टस और सब-टिनेन्टस का मामला अलग है इस दृष्टिकोण को देखते हुए कम मुआवजा भी दिलाया जा सकता है। यहाँ पर अगर जमीन सरकार लेती है और वह भूमिहीनों को देती है तो उसमें डिफरेंन्स अवश्य होना

(श्री सोहनलाल भटनागर)

चाहिये। एक बात जरूर है जब कि संविधान में तरमीम हो चुकी यह जरूरी नहीं कि मार्केट वेल्यू पर दी जाय। जिस किसी भी भूमि को हम एक्वायार करें उसको कम्पेन्सेशन देना जरूरी है लेकिन यह नहीं कि मार्केट वेल्यू पर दिया जाय। अब तो मल्टिपल रेट से देने का प्रोविजन है। इस दृष्टिकोण को देखते हुए हमें भी इसमें मल्टिपल रेट को अपनाना चाहिये। वह मल्टिपल रेट सदन चाहे जितनी तय करे।

अब आखिर में सवाल आता है एग्जेम्प्शन के बारे में। इस बारे में माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिया। राजस्व मंत्री ने एक बात बता कर हमें सन्तुष्ट करना चाहा और कहा कि प्लानिंग कमीशन ने जो कुछ एग्जेम्प्शन्स दिये हैं उन्हीं को हमने रखा है। यह मैं भी मानता हूँ कि कुछ एग्जेम्प्शन्स देना जरूरी है लेकिन एक बात जरूर है कि हमारा प्रदेश जैसा कि पहले निवेदन किया हमारे प्रदेश में जमीन की काफी कमी है। जमीन जोतनेवाले की होगी लेकिन आज कहा यह जाता है कि जमीन जितनी है उस पर भी खेती ठीक तरह से नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितनी भी कम जमीन है उस पर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन किया जाय तो ज्यादा लाभ होगा। जो छोटे भूमिहीन हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता इसलिए वे ठीक प्रकार से कल्टीवेशन नहीं कर सकते इसलिये उनका रिटर्न कम होता है और दूसरी तरफ जो मेकेनाईज्ड फार्म्स हैं उनका रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। उनका प्रोडक्शन ज्यादा है इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये मेकेनाईज्ड फार्मिङ्ग को एग्जेम्प्शन दिया गया है।

शूगर फार्म के बारे में भी एग्जेम्प्शन है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जहाँ पर शूगर केन की खेती होती हो उसको एग्जेम्प्शन दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं अपने इलाके की बात कहूं। वहाँ बहुत बड़ा फार्म है, शूगर फेक्टरी का फार्म है लेकिन वहाँ एक बीघा में भी शूगर केन की पैदावार नहीं होती। उनको एग्जेम्प्शन दिया जाता है तो यह बहुत अनुचित है। यह जरूरी है कि शूगर फेक्टरी को फीड करने के लिये एग्जेम्प्शन रखा जाय। लेकिन जो दूसरों से खेती करवाते हैं, लीज पर दे देते हैं और पास ही में जो भूमिहीन हैं उनको भूमि नहीं मिलती यह नहीं होना चाहिये। बड़ी बड़ी कम्पनियों को जो इसके लिये जमीन दे रखी है उसमें यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। जो प्लानिंग कमीशन ने एग्जेम्प्शन्स दिये हैं उनको परिस्थिति देखते हुए हमें उसमें चैन्ज करना होगा।

इस प्रकार से जो जो मुख्य बातें थी उस ओर मैंने सदन का ध्यान दिलाया। अन्त में मेरा यह निवेदन है कि जिस रूप में यह बिल हमारे सामने आया है अगर हम उसी रूप में इसे पास कर देते हैं तो मेरे ख्याल में इस प्रकार बिल पास करने की आवश्यकता नहीं। इससे तो किसी भी तहसील के अन्दर १,२ से ज्यादा केस नहीं आ सकते जहाँ पर सीलिंग लागू होगा वर्ना कई तो एग्जेम्पशन्स में आ जायेंगे। इससे कोई पर्पज सर्व होनेवाला नहीं। इसके अलावा मार्केट वेल्यू जो रखी है वह भूमिहीन दे नहीं सकेगा और इस तरह से भी उसको भूमि नहीं मिल सकेगी। इससे सारा पर्पज डिफीट होजायेगा। इसलिए मेरा राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन है कि इन सारे डिफेक्टस को रिमूव करने की

Page No.92

(श्री मोहनकलाल भटनागर)

कोशिश करेंगे । अगर नहीं करते हैं तो भूमि सुधार के इतिहास में यह जो कलंक रूपी कानून लागू कर रहे हैं वह लागू न करें तो उचित रहेगा ।

४. म० प०

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापतिजी, मैं सोच रहा था कि कुछ विचार पहले सबके सुनता और इसके बाद मैं आपने विचार रखता । परन्तु क्योंकि सभापतिजी ने इस प्रकार का आदेश दिया कि जिन लोगों ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है वे पहले बोल लें। इसलिए मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने बहुत बड़ा भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है जिसके लिए सरकार को गौरवशाली समझना चाहिये । मैं कहता हूं क्या क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं ? जो किया है उसका नमूना हमारे सामने मौजूद है । जिस बात को '५३ में करना था उसको आज '५६ में ला रही है । जो सरकार '५३ में कर रही थी कि राजस्थान में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सीलिंग की आवश्यकता है और इसके लिए जिसने '५३ में कमेटी बनाई और आज '५६ चल रहा है। ७ साल बाद वह आज विचार कर रही है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि उसने क्या क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं? मेरे दिमाग में तो यह स्पष्ट है कि जो इतनी देर करें वह अत्यन्त अप्रगतिशील और अक्रान्तिकारी कदम इस सरकार का है । जब कि मुल्क के लोगों को जल्दी ऐसी चीज की जरूरत थी और जिन्होंने यह माँग की थी और जिसके लिए हमने सदियों तक अपना खून बहाया और बड़ी बड़ी बातें कही लोगों से । गांधीजी के नेतृत्व में हमने नारा लगाया कि मुल्क की जमीन का बँटवारा होना चाहिये और जिसे देर लगते देख कर आज विनोबा भावे हैरान होकर हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में भटक रहे हैं । जिनके पेट में अल्सर की बीमारी है, जो चल नहीं सकते पर फिर भी जब उन्होंने समझा कि ये सरकारें क्रान्ति नहीं ला सकतीं, समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर सकती, भूमि का बँटवारा नहीं कर सकती, जो वादे हमने पहले किये थे और जिनके लिये लोगों ने अपना खून बहाया था उनको ये पूरा नहीं कर सकती तो उन्होंने व्रत लिया, घोषणा की कि सही माने में देश में सच्ची समाजवादी व्यवस्था कायम अगर करनी है तो जमीन का बँटवारा आवश्यक चीज है और इसके लिये लगातार इतने सालों से वे घूम रहे हैं ।

तो जिसको जल्दी करना था उसको जल्दी न करके लम्बा समय लगाया और इसके बाद में भी जो कुछ किया जा रहा है और जो बुनियादी मुख्य चीज है जिसको हमने पहले से माना है और जिसके लिए इतनी कुर्बानी की और यह नारा लगाया था कि जमीन बँट कर रहेगी और जिसके पास जमीन नहीं है देश में उसको आजादी के बाद में हम जमीन देकर रहेंगे और इस वादे पर लाखों लोगों ने अत्याचारों का मुकाबला किया, अपना खून बहाया परन्तु यह सब कुछ होने के बाद भी वह सरकार जो प्रगतिशील होने का दावा करती है और जो कहती है कि उसने बहुत बड़ी भारी प्रगति की है, उन्नति की है, बड़े बड़े भूमि के सुधार किये हैं पर देरी की असल मुद्दे में और जब लाये भी तो सात साल के बाद और

(श्री मुरलीधर व्यास)

उन लोगों की उम्मीदों को समाप्त करते हुए जिन लोगों ने आशा लगा रखी थी कि हमें भले ही अछूत समझा जाता हो पर एक वक्त आवेगा जब सरकार हमें भी जमीन देगी आप भले ही कहते रहें कि राजस्थान सरकार ने बड़ा भारी प्रगतिशील कदम उठाया है पर मैं तो यह स्पष्ट कहता हूँ कि जो लक्ष्य था हमारा जिस उद्देश्य के लिए हमने भूत काल में जितनी कुर्बानी की और जो आज तक वर्षा के जल की तरह आशा लगाये बैठे रहे वह लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हुआ और जो कानून आप लाये हैं उससे किसी भी भूमिहीन को जमीन नहीं दे सकेंगे और जिस समाजवाद की स्थापना आप करना चाहते हैं वह नहीं कर पावेंगे। यह मेरा खास विश्वास है।

इस विश्वास पर थोड़े आँकड़ों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो व्यवस्था करने जा रहे हैं वह हो सकेगी या नहीं। मैं मोटे मोटे तौर पर आँकड़ों में जाऊँगा, बारीक आँकड़ों में नहीं जाऊँगा। राजस्थान में मान लें ८ करोड़ एकड़ जमीन है। इसमें से ५ करोड़ एकड़ जोती जा सकती है और ३ करोड़ ऐसी है जो नहीं जोती जा सकती, इसको मान लें। ५, १० लाख इधर उधर घटती बढ़ती आप छोड़ दीजिये। अब ५ करोड़ जो जोती जा सकती है उसको १ करोड़ निवासियों में बाँटी जावे तो पाँच व्यक्तियों के एक परिवार को पच्चीस एकड़ तक जमीन दे सकते हैं। २५ एकड़ का मतलब ६२॥ बीघा जमीन। आज आप जमीन इस तरीके से किसानों को दे सकते हैं।

श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : और मैंसवाड़ा की गायें कहाँ जावेगी ?

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : इसके लिए भी काफी गुंजाइश है, मैंने ३ करोड़ एकड़ जमीन छोड़दी है उसमें बड़ी बड़ी मैंसें चर सकती हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आदमी की तो फिकर करें पहले।

श्री मुरलीधर व्यास : आप इस चीज को मान लें। आप एक एकड़ का हिसाब लगा लें। मैं तो इस आधार पर कहता हूँ कि आप इस तरीके से मान लें। २७ एकड़ जमीन एक परिवार को मिल सकती है, एक माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है। मैंने आँकड़ों को सीधा रख दिया कि जिससे सीधा हिसाब लगा लें। यह वस्तुस्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी क्यों बाँटते हो ? मैं इसकी गहराई में नहीं जाता। मैं तो आज की जो सबसे बड़ी चीज हमारे सामने है, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है उसको देखते हुए यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज गरीबी है, बेकारी है, भुखमरी है हमें इसको दूर करना है सबसे पहले। भूखों को पहले रोटी देनी है। आप उसके बाद में बड़े उद्योगों की बातें कर सकते हैं। आप अगर हिन्दुस्तान का सम्बन्ध बड़े उद्योगों के साथ एक दम जोड़ेंगे, आज तो हम दुनिया के मुकाबले टिक नहीं सकेंगे, आपकी माली हालत बहुत खराब है, कमजोर है। आप उद्योगों में पैसा कहाँ से लगायेंगे और बिना पैसे के उद्योग आपके खड़े नहीं हो सकेंगे ? आपकी माली हालत क्या है ? परन्तु हमारे पास पैसा नहीं, पूंजी नहीं, हम उद्योगों की बात करके इसका सम्बन्ध इन किसानों को मिलनेवाली जमीन से क्या जोड़ें ? अमेरिका जिसके पास में १२ हजार करोड़ रुपये उद्योग में लगे हुए हैं, इंगलैण्ड जिसके पास में ८ हजार करोड़ रुपये लगे हुए हैं वहाँ हमारे

(श्री मुरलीधर व्यास)

पास २०० करोड़ भी नहीं हैं। तो हमें सोचना होगा कि हमारे मुल्क की क्या हालत है? अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो बेकारी, भुखमरी और गरीबी को दूर नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास इतनी पूंजी है। उद्योगों में तो इसका सम्बन्ध उद्योगों से जोड़िये वर्ना मत जोड़िये। हमें इस समस्या के हल के लिये सबसे बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। जमीन के बँटवारे का। आप को जमीन उनको देनी पड़ेगी जो आज तक उससे महरूम रहे हैं। आपको इस रास्ते को अपनाना पड़ेगा अगर नहीं अपनाते हैं तो किसी सूरत में जिस समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं वह आपकी पार नहीं पड़नेवाली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी जमीन, इतने आदमी और यह व्यवस्था इस समस्या पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आज चार लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। उनको बाँट दें। १७ लाख किसान एक एकड़ से कमवाले हैं। अब २॥ एकड़ से ५ एकड़ से, दस एकड़ से कमवाले कितने हैं, यह देखना होगा। अगर इनको देखेंगे तो राजस्थान में लाखों परिवार ऐसे हैं जो १ और २ एकड़ पर अपना गुजर बसर करते हैं, जो भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं। जो इस प्रकार की स्थिति में हैं उनकी हालत बदलनी होगी। अब कुछ हजार परिवार ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। अगर इस बँटवारे से उनकी हालत पर असर पड़ता है तो हमें यह नहीं सोचना होगा कि उनकी हालत पर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं। आप एक तरफ जिस आदमी को खाने को रोटी नहीं उसकी चिन्ता नहीं करते, आपको चिन्ता पड़ी है उनकी जिनके पास काफी खाना है पर फिर भी उनके बच्चों की उच्च शिक्षा की चिन्ता है, उनकी ऊंची दवादारू के प्रबन्ध की चिन्ता है। आपको उसकी चिन्ता नहीं जिसके पास रोटी भी नहीं है खाने को। जिसके पास खाने को है उसकी पढ़ाई की, चिकित्सा की चिन्ता आपको पड़ी है पर जिसको रोटी नहीं मिलती उसकी व्यवस्था करना नहीं चाहते आप। यह कैसा समाजवाद का ढोंग है आपका ?

मानवता के नाते किसी भी राज्य सरकार का पहला न्याय करने का कर्तव्य है और किसी सरकार का पहला काम है वह यह है कि पहले जनता को पूरी रोटी दी जाय। सबसे पहले हल करने काम यह है। अगर इसको आप हल नहीं कर सकते तो मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आज जिस तरीके से आप बात करते हैं, इस तरीके से जमीन बाँटते हैं तो वह जमीन कितने लोगों को मिलेगी ? आपने उसमें क्या नया काम कर दिया क्या नया परिवर्तन कर दिया ? इसके लिए सही माने में आपको राजस्थान के चार नकशे रखने पड़ेंगे। एक हिस्सा तो वह जहाँ जमीन अच्छी है, अच्छी बारिश होती है, जहाँ सिंचाई होती है उस इलाके को अलग करना पड़ेगा। एक वह इलाका है जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती जहाँ दो-दो और तीन-तीन साल अकाल पड़ता है। ऐसे इलाके की स्थिति को और तरीके से सोचना पड़ेगा। एक वह इलाका है जहाँ नहरें हैं वहाँ पर चाहे बारिश हो या न हो लेकिन वहाँ के लोग निर्वाह करते हैं। आपको इस प्रकार से अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग बात सोचनी पड़ेगी। इस हिसाब से हमारे राजस्थान की वस्तुस्थिति दूसरी है। आप दूसरे प्रान्तों की बात करेंगे कि दूसरे प्रान्तों में इतनी जमीन रखी गई है और अगर हम

(श्री मुरलीधर व्यास)

राजस्थान की वस्तुस्थिति को देखें तो हमें यह मालूम होता है कि हमारे यहाँ राजस्थान में और प्रान्तों के बजाय अधिक भूमि है और अगर राजस्थान के अन्दर जमीन परिवार के हिसाब से बाँट दें तो हिन्दुस्तान में कोई भी प्रान्त ऐसा नहीं है कि एक परिवार के पीछे जमीन बाँट दे, वहाँ २५ एकड़ से ज्यादा किसी प्रान्त में मिल जाये ; किसी भी प्रान्त में २५ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं मिल सकती है। हम इसको भूल जाते हैं कि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रान्त है सारे हिन्दुस्तान में कि जमीन के बारे में किसी को क्रान्तीकारी कार्य करने का मौका है तो वह राजस्थान को है। अगर वह नहीं कर सकता तो हिन्दुस्तान में कोई भी इलाका ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए हमें राजस्थान की वस्तुस्थिति को दूसरे प्रान्तों की वस्तुस्थिति से अलग करना पड़ेगा। यह भी विचार करना पड़ेगा कि यहाँ कितनी जमीन है, उसकी क्या व्यवस्था है, हम जिस तरीके से परिवर्तन करना चाहते हैं वह हो सकता है या नहीं ! अगर हो सकता है तो राजस्थान के अन्दर सबसे पहले हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में यह भावना फैली हुई है की सीलिंग क्यों की जाती है, यहाँ सीलिंग के बिना ही काम चल जायेगा, इस तरह की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस राजस्थान के लाखों आदमी जो सदियों से आशा लगाये बैठे रहे हम उनकी उमंगों को पूरा नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े कारखाने खोल करके गांवों के आदमियों को बुला करके उनको काम पर नहीं लगा सकते। जब आप उनकी यह व्यवस्था नहीं कर सकते तो आपको जमीन के बंटवारे के लिए सोचना ही पड़ेगा। इसके लिए हमको बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए।

जैसा मैं सोचता हूं और मेरा यह पूरा विश्वास है कि इस मामले में जमीन के बारे में सबसे पहले फैसला करना चाहिए। आपने अब ३० एकड़ का फैसला किया है और वह ३० एकड़ भी कैसी कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ है। अब आपने यह नहीं सोचा कि खेती के अलावा लोगों की और क्या आमदनी है। वह सब कुछ कर सकते हैं। उनको पूरी आजादी है। खेती के अलावा कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है, कोई पाबन्दी नहीं है, हर प्रकार की कमाई कर सकता है। राजस्थान के अन्दर ऐसे लोग हैं कि जमीन वे जोतते नहीं, जोतते दूसरे ही हैं और वह दूसरी कमाई भी कर लेते हैं। वे वकील भी हैं, शहर में दूसरा काम भी करते हैं ऐसे भी अनेक लोग हैं। अगर कोई हल चलानेवाला किसान है तो वह वही आदमी है कि जिसके पास शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, जो लाचार है जिसको कोई काम नहीं मिलता है। हिन्दुस्तान और राजस्थान के अन्दर आज इतने कितने पढ़ेलिखे लोग हैं जो कि जमीन की तरफ ध्यान लगाये बैठे हैं ? अगर कोई पढ़े लिखे इसकी तरफ ध्यान देंगे तो उनका ध्यान मेकेनाईज्ड फार्म की ओर होगा। थोड़ी आमदनी के ऊपर उनकी निगाह नहीं जायेगी। इसके अन्दर तो वे ही आदमी टिक सकते हैं कि जो लाचार हैं, अशिक्षित हैं और आज उन लोगों को हमें ऊंचा उठाना है। अगर इनको जमीन का मालिक बनाना है और सही माने में बनाना है तो इस वस्तुस्थिति को आज राजस्थान के अन्दर ध्यान से देखना पड़ेगा और बहुत दृढ़ता के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उसके लिए फैसला करना पड़ेगा और याद रखो बड़ी

(श्री मुरलीधर व्यास)

कुर्बानी के बाद यह जो मौका आया है इसको हाथ से खो दिया तो जिस चीज को हम जिनको देना चाहते थे आज कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत ख्याल से बड़े भारी मौके को खो दिया, यह आम लोगों को कहने का मौका मिलेगा। इसलिए हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और दृढ़ता के साथ इस पर विचार करना चाहिए। यह जो आपकी ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की राय है अगर आपको सही माने में जमीन का बंटवारा करना है तो इस एकड़ के बजाय आप बीघा कर दीजिए। ३० एकड़ जमीन के बजाय ३० बीघा जमीन रख दीजिए। मैं देखता हूं कि लोग १, १ और २,२ बीघा जमीनों के ऊपर तड़फते हैं। आप ३० एकड़ को क्या समझते हैं? आप देखिये जहां कुँए की जमीन है उस पर एक परिवार होता है उस पर कितने मेहनत करनेवाले हैं? अगर वह कुँए की जमीन पर मेहनत करके काम करे तो एक परिवार १० एकड़ से ज्यादा जमीन पर किसी भी हालत में काम नहीं कर सकता उसको उस जमीन पर खेती करने के लिए दूसरे आदमियों को रखना पड़ेगा। इसके सिवाय उसके पास कोई और चारा ही नहीं है। मैं यह कहूं कि दूसरे आदमियों को लेकर के ऐसा काम किया जाये तो आपका जो मूल उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकता। इससे आपका जो मकसद है वह तो गया। इसको ३० बीघा कर दो। तब कहीं जाकर कुछ समस्या का समाधान होगा और उस समस्या का समाधान करने के लिए दूसरा कदम आपको यह उठाना पड़ेगा कि सन्, ५३ से जब से आपने सीलिंग का कानून बनाने का निश्चय किया और जिन लोगों ने जो भी परिवर्तन किया वे सारे परिवर्तन आपको अमान्य करने पड़ेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आप सच्चे माने में क्रान्ति कर सकेंगे। नहीं तो मेरा विश्वास है कि आप क्रान्ति नहीं कर सकते।

हो सकता है कि कुछ कानूनी झगड़े हों पर हर कानूनी झगड़े का निर्धारण करने के लिए यह सदन है। इसमें इतनी ताकत है कि वह उसका निर्वाह कर सकता है। परन्तु उसके लिए सब के दिल में और दिमाग में ताकत होनी चाहिए कि हमें परिवर्तन करना है। यह सोचना पड़ेगा कि सन्, ५३ के बाद से आज तक जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिये कि कितने ही लोगों ने सन्' ५३ के बाद से जमीन को इधर उधर कर दिया है। ऐसे लोग लाखों की तादाद में मिलेंगे कि जिन्होंने अपनी जमीनों को इधर उधर कर दिया है। सबने अपना काम पूरा करके रखा है। इस कारण अब आप उन लोगों को जमीन नहीं दे सकते जिनके पास जमीन नहीं है और जो गरीब हैं। अगर आप गरीबों को जमीन देना चाहते हैं तो दिल खोल करके आपको यह परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको दिल पर एक पत्थर रख कर सारा काम करना पड़ेगा और यह परिवर्तन लाना ही पड़ेगा...

श्री मदनसिंह : फिर लम्बे लम्बे कमीज भी मत पहनिये, छोटे छोटे पहनिये।

श्री मुरलीधर व्यास : हो सकता है, मेरे साथियों को दिखता है। हां, लम्बे कमीज और लम्बी बातों की जरूरत आज नहीं है। यहां तो दिल को कठोर करने की जरूरत है। किसी मुल्क के अन्दर बिना दिल के कठोर किये परिवर्तन आज नहीं हुआ है और इसीलिए आज हमें दिल को कठोर करने

(श्री मुरलीधर व्यास)

की आवश्यकता है और दिल कठोर करके ही यह परिवर्तन लाया जा सकता है।

आपको आज स्वतन्त्रता प्राप्त किये इतने वर्ष हो गये आप मुझे बतायें कि आपने कितने लोगों को भूमि दी ? आज कितने ही लोग लाचार तड़फ रहे हैं और इसका परिणाम जो हुआ है वह तो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। आज तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस काम को आप जरा कठोरता से करिये। अगर आप दिल खोल कर काम करेंगे तब ही वाकय में उन लोगों को जमीन दे सकेंगे। आज बेचारे गरीब कितने अर्से से आशा लगाये थे ? कांग्रेस ने जिसने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी और इस बात की सब को आशा थी कि कांग्रेस हमारे देश को एक नया नकशा देगी। सन्, ४२ से बराबर लोगों ने क्रांति की और सन्, ४७ के अन्दर भारतवर्ष में जब आजाद दिवस मनाया गया हर किसान ने अपनी अपनी झोंपड़ी में जिनके पास तेल नहीं था उन्होंने भी प्रकाश का दीपक जलाया। तो याद रखिये अन्धेरे का अन्धेरा ही रहा। यह परिवर्तन करने के लिए दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी।

तीसरी बात आपने यह रखी है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि मेकेनाईज्ड़ फार्मिंग के बारे में रखा है। मेकेनाईज्ड फार्मिंग कोई भी आदमी रख सकता है। इस पर काफी बहस हुई है। मैं कहता हूँ कि मेकेनाईज्ड फार्मिंग में सहकारिता का आदर्श उसमें रखा है। सहकारिता के आदर्श के साथ साथ यह यदि आप उसमें रखते हैं कि वह सहकारी-समिति का सदस्य हो सकता है जो वाकई में हल चलाती हो और वह मेकेनाईज्ड फार्मिंग में अपना खून पसीना बहाता हो उसको ही उसका सदस्य रखेंगे, दूसरे को नहीं रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेकेनाईज्ड फार्मिंग सफल होगी। मेकेनाईज्ड फार्मिंग के नाम पर बड़े बड़े बाबू, बड़े बड़े नये जागीरदार जिन्होंने मोटी मोटी जमीनें खरीद ली हैं, ले ली हैं वे इस नये कानून के जरिये यह करेंगे कि हम सहकारिता के आधार पर मेकेनाईज्ड फार्मिंग करेंगे लेकिन ज़मीन नहीं जाने देंगे। तो इससे आप मुल्क को रोटी नहीं दे सकेंगे। राजाओं के नीचे पहले बड़े बड़े जागरदार बने। उन जागीरदारों के हटने के बाद आपके जमाने के नये जागी-रदार भलीभांति पलते रहेंगे और इस प्रकार से उनका काम चलता रहेगा। उनको भी हटाना पड़ेगा। इस बात के लिए मेकेनाईज्ड फार्मिंग में जैसा कि मैं समझता हूँ सबसे पहला उद्देश्य यह अपनाना पड़ेगा कि सह-कारिता के आधार पर काम करने के लिए वे लोग जो अपने हाथ से हल चलाते हैं वे मेकेनाईज्ड फार्मिंग कर सकते हैं नहीं तो दूसरे नहीं करनेवाले लोग उस में घुस जायेंगे। यह लक्ष्य रखना पड़ेगा। यह लक्ष्य नहीं होगा तो मेकेनाईज्ड फार्मिंग नाटक हो जावेगा। इसलिए हमें इसके अन्दर उन्हीं लोगों को लेना चाहिए नहीं तो वे लोग फायदा उठायेंगे जो कि आप लोगों की खुशा-मद करेंगे, आपके पास रहेंगे और जिन लोगों को आप चाहेंगे उन लोगों को मेकेनाईज्ड फार्मिंग का सर्टीफिकेट दे देंगे। इसलिए इसमें मैं चाहता हूं कि यह बात साफ होनी चाहिये।

चौथी बात भेदभाव के बारे में है। मैं समझता हूं कि हम जब जमीन पर सीलिंग लगाते हैं तो उससे हर किसान और हर गाँववाले की जमीन कुछ न कुछ जाती है तो वह कहता है कि हमारे लिए तो यह किया

(श्री मुरलीधर व्यास)

और शहरवालों के लिए क्या करते हैं ? जो हजारों रुपया कमाते हैं उनके लिए क्या करते हैं ? मैं कहता हूँ कि उनके लिए भी करना पड़ेगा। ग्रामों के अन्दर जमीन २५ एकड़ एक आदमी के लिए रखते हैं तो एक आदमी शहर में भी एक मकान से ज्यादा नहीं रख सकता है, एक आदमी एक दूकान से ज्यादा नहीं रख सकता। एक की कमाई को बाँध सकते हैं तो दूसरे की भी होनी चाहिए। वह तभी सही माने में समाजवाद हो सकता है। आप मकान, दूकान और जमीन की बातें करते हैं। इन सब के बारे में समानता का दृष्टिकोण नहीं रखते हैं और दूसरे के बारे में रखेंगे तो एक परिवर्तन के साथ में दूसरा परिवर्तन आयेगा। मेरा विश्वास है कि वह परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि नहीं लायेंगे तो नतीजा क्या होगा कि एक के साथ में न्याय की बात, समता की बात रखी जाय और जमीन को सीमा परिबन्धन रखते हैं और दूसरे पर नहीं तो यह भेदभाव अच्छा नहीं है। जो प्रगतिशील सरकार है तो उसको सोचना पड़ेगा और उस मामले में सबसे बुरी चीज जो रखी है जैसा कि अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप भेद-भाव कर रहे हैं कि जिनके पास कुंए से सिंचित जमीन है, चाही जमीन है, जो कुंए से सींची जाती है उसको बारानी मानेंगे। उनके पास जमीन काफी रह सकेगी, कुएँ के विकास के बारे में कि वे मेहनत करके कुँए खोदेंगे यह बहुत अच्छी दलील दी गई और दलील को मान्य करते हैं कि कुँओं को प्रोत्साहन देना है तो जहां नये कुँए बनते हैं, जमीन की सीलिंग कर देते हैं इसके बाद में जिसके पास में जमीन है वह अपने कुंए खोदता है तो उसके मुताबिक सीलिंग वहां पर नहीं करेंगे। जहां पर अभी करने जा रहे हैं वहां पर एक ओर इस प्रकार का भेद रखते हैं और सीलिंग इस प्रकार का रखते हैं तो उसकी आमदनी बहुत ज्यादा है। चाही जमीन में जहां बहुत ज्यादा आमदनी है वहां इस प्रकार का भेदभाव रखते हैं तो कैसे ठीक रह सकते हैं ? वह भी जब कि राजस्थान के अन्दर जहां ३४ लाख एकड़ जो सिंचाई की जमीन है उसमें से २१ लाख एकड़ जमीन कुँओं से सिंचाईवाली जमीन है। लेकिन उसके मुताबिक वह बारानी मानी जायेगी और दूसरी जमीन जो है उसको आप उस हिसाब से मान कर जमीन देंगे, वह न्याय संगत नहीं है। यह ठीक नहीं है। आपने एक इलाके के लिए जो कि कुँओं का इलाका है उसका विशेष ख्याल रखा और दूसरा इलाका जो है उसके साथ में भेदभाव की नीति रखते हैं और जमीन के मामले में समता का दृष्टिकोण रखते हैं वहाँ चाहे कुछ भी हो लेकिन समता की बात बिल्कुल गलत है।

कुंओं का जो इलाका है वह बारिश का इलाका है। जयपुर और कोटा डिविजन इस तरह के इलाके हैं जहाँ कुंए हैं और जहां अच्छी बारिश भी होती है उनको आपने छोड़ दिया और दूसरे इलाके हैं बाडमेर, जैसलमेर के जहां पर कि न तो बारिश होती है और ३ साल में एक बार अकाल आकर रहता है वहां ऐसा रख देते हैं। जहां कुंओं से सिंचाई करते हैं वहां दो फसल भी वे लेते हैं परन्तु आपने यहां के लिए यह रखा है और जहां बारिश भी नहीं है और कुंए भी नहीं हैं उस इलाके के लिए दूसरी चीज रखी है। जहां बारिश ज्यादा है और कुंए भी बांध रखे हैं उस इलाके के अन्दर आप देखिए परिवर्तन

(श्री मुरलीधर व्यास)

करने की ज्यादा जरूरत है। जयपुर के सारे डिविजन के अन्दर आप जाईये तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि कितनों के पास जमीन है और कितनों के पास नहीं है। कितनों के पास ज्यादा जमीन है। यदि है, जहां पर आप इस प्रकार का सीलिंग रख देगें तो उस इलाके में सीलिंग का मकसद कैसे हल हो सकता है? जहां कि कुछ लोगों को जमीन मिल सकती है उस इलाके में जमीन के लिए गुन्जाइश नहीं रखी गई। जहां गुन्जाइश है, जिस इलाके के अन्दर कुछ हो सकता है उस इलाके के अन्दर आप इस प्रकार का रख देते हैं तो दूसरे इलाकों में जहाँ कि गुन्जाइश नहीं है वहां करते हैं तो वह इसी प्रकार का है जैसे कि महाराजा बीकानेर ने २ लाख एकड़ भूदान में दे रखी है। बीकानेर इलाके की भूदान समिति से पूछा तो कहते हैं कि इस २ लाख को लेनेवाला नहीं है, क्योंकि यह बारानी जमीन है, वहां बारिश नहीं होती है। जमीन वहाँ बांटनी है जहां कि वाकई में जमीन किसान लेने के लिए उत्सुक हैं। जिसके पास जमीन नहीं है वह जमीन लेकर पैदा कर सकता है। वहां जमीन देने की जरूरत है।

श्री दलीपसिंह (बारां) : वहां नहर आ जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : नहर आयेगी इधर के इलाके में। बीकानेर, चुरू जिलों में कोई नहर नहीं आनेवाली है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : वहां ३० बीघा है।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर वह २ लाख एकड़ जमीन पड़ी है उसका कोई उपयोग नहीं है। वह २ लाख एकड़ जो भूदान में दी गई है उसको कोई लेनेवाला नहीं है। उसको गहराई के साथ देखना चाहिए। जहां वाकई में जमीन चाहते हैं, जहां जोतनेवाले हैं वहां रोक लगी नहीं, बहुत ज्यादा रखी गई है। वह ३० एकड़ की जगह ६६ एकड़ यानि २०० बीघा के आस-पास होगी। आप कहते हैं कि हम चैन्ज लाने वाले हैं, हम परिवर्तन लानेवाले हैं, तो क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? इस प्रकार से गुमराह करने से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। सच्चे रूप में परिवर्तन लाना है तो हमें मूलभूत बातों को सोचना पड़ेगा। नये परिवर्तन लाने के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आप इस तरह की बात नहीं करते हैं तो मैं कहता हूँ कि ठीक नहीं है। मेकेनाईज्ड फार्म की बात, जमीन के बंटवारे की बात, चाही जमीन में इस तरह की छूट देने की बात है तो चाहे आप अच्छे तरीके से छपवा लें कि राजस्थान में कांग्रेस मंत्री मंडल ने या कांग्रेस सरकार ने नये परिवर्तन किये, जमीन का बंटवारा किया, भूमि की सीमा निर्धारित की जिससे कि हर किसान को जमीन मिल जायेगी। वह कागज पर भले ही मिल जायेगी लेकिन जो धरती पर रहनेवाले हैं उनको धरती नहीं मिलेगी। यदि धरती पर रहनेवालों को जीवन देना है, उनको यदि धरती और काम देना है तो आपको जबर्दस्त परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके लिए हो सकता है, मैं मानता हूँ, बहुत से साहब जिनकी जमीन जाती है वे जरूर कह सकते हैं लेकिन आपको कहने का हक नहीं होगा। कोई कहेगा कि राजस्थान के राजस्व मंत्रीजी ने बड़ा भारी परिवर्तन किया।

(श्री मुरलीधर व्यास)

लेकिन मैं बार बार यह कहूंगा कि मंत्रीजी ने जरूर अपने फोटो छपवाये और पत्रों में छपवाये लेकिन उनसे परिवर्तन नहीं हो सकता किसानों की हालत का। जिसके बारे में आप सोचते हैं वे उनको जमीन दे नहीं सके। मैं इन तीन मुख्य बातों के बारे में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ।

इसके साथ साथ और लोगों ने जो बातें कही हैं मैं उनकी गहराई में नहीं जाना चाहता। मेरा जो लक्ष्य है और जैसा मैं सोचता हूं उसी तरह से बड़े बड़े लोगों ने सोचा था कि आजादी के बाद ये करेंगे वो करेंगे। जो बातें इतने दिनों से कहते रहे हैं उनको पूरा करने का आज मौका आया है उसको यदि आज खो दिया और गम्भीरता से नहीं सोचा तो याद रखिये इस राजस्थान में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उसको नहीं कर सकेंगे और बेकारी ज्यादा बढ़ती जायेगी। उसको हल नहीं कर सकेंगे।

तीसरी बात गंगानगर इलाके की और राजस्थान नहर की कही गई और यह कहा गया कि जमीन वहाँ मिलेगी। इसके बारे में प्लानिंग कमीशन ने फैसला दिया है कि वहाँ पर जमीन को ऑपरेटिव बेसिस पर काम करनेवालों को मिलेगी और इसके लिए जो स्वेच्छा से आयेंगे उनको मिलेगी। अब वहां पर कौन पहुँचता है और किसको मिलती है यह बाद में मालूम पड़ेगा। वहाँ भी वे ही लोग जायेंगे जो संपन्न हैं...... ....

श्री दलीपसिंह : सब जगह ऐसा ही होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : सब जगह ऐसा होता है तो वहाँ भी नीति निश्चित करनी पड़ेगी। यहां जो ३० एकड़ रखा है उसकी जगह ३० बीघा करनी पड़ेगी और हो सकता है कि उससे भी पूरा नहीं पड़ेगा। क्योंकि १० लाख परिवारों को जमीन देनी है, उनको काम देना है इसलिए आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा कि इस इलाके में सीलिंग करने के बाद जिन गाँवों में जो लोग डिस्टर्ब होते हैं उनको वहां जमीन मिले, उनका नाम दर्ज करना पड़ेगा। स्वेच्छा से जानेवाले वे लोग होंगे जो हैसियतवाले हैं। वे कहेंगे चलो नहर की जमीन मिलती है वहां चलें। बड़े बड़े आदमी ऐसी जगह पहुँच गये। मुझे पता है कि राजस्थान के बड़े बड़े कांग्रेसी नेता एग्जीक्यूटिव के प्रधान, नेशनल एग्जीक्यूटिव के प्रधान वहाँ पहुँच गये और उदयपुर में उन्होंने जमीन लेली। बड़े बड़े लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया और किसान रह गये। नहर का फायदा ऐसे ही लोगों को पहुँचनेवाला है। किसान अनपढ़ है। उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा तभी जाकर आप समस्या का समाधान कर सकेंगे। अगर यह ख्याल नहीं किया तो देश में सच्चे माने में जो परिवर्तन लाना है वह नहीं ला सकेंगे और न समस्या का समाधान कर सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले को गहराई से लेना चाहिये।

एक दो मित्रों ने कह दिया था कि जमीन की सीमा कम निर्धारित करनी चाहिये और राजस्थान में वाकई यह स्थिति है तो सीलिंग की जरूरत नहीं थी। इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा कि राजस्थान में समस्या का समाधान करना है तो सीलिंग की सीमा कम करनी पड़ेगी और सन्' ५३ के बाद के दृष्टिकोण

(श्री मुरलीधर व्यास)

को ध्यान में रखेंगे तो परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि वाकई आपने बड़े बड़े परिवर्तन किये हैं, जागीदारी समाप्त की है, नये नये कानून बनाये हैं उसमें विलम्ब जरूर हुआ लेकिन लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन इस मसले को सच्चे और सही माने में हल करने का सवाल आया है उस समय यदि कठोर होकर प्रबन्ध नहीं करेंगे तो तब से अब तक जो क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं, जिन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है उनके होते हुए भी यदि यह नहीं हुआ तो सारे क्रान्तिकारी परिवर्तन मिट्टी में मिल जायेंगे और राजस्थान में सही माने में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, देश का यह सौभाग्य समझना चाहिये कि सारी राजनैतिक पार्टियें इस मसले पर सोच रही हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य जो मेरे से पहले बोल चुके हैं उन्होंने अपनी सारी ताकत इसमें लगाई है। जितनी राजनैतिक पार्टियें यहाँ पर हैं उन राजनीतिज्ञों ने, बुद्धिजीवियों ने, मजदूरों और किसानों के नुमायन्दों ने, सब ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं और वे सब एक बात पर सहमत हैं कि सारे देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है वह समाजवाद की ओर उन्मुख हो। देश के कोने कोने में दूसरी बात यह मानी जा रही है कि समाजवाद की ईकोनोमी हो और उसी के आधार पर विकास हो लेकिन वह लोकतांत्रिक तरीके से हो। तीसरी बात यह मानी हुई है कि हम अपने देश में कुछ परम्पराओं को लेकर चलते हैं। भारतवर्ष की कुछ परम्पराएँ हैं, विशेषताएँ हैं और उनकी कुछ स्थिति और परिस्थिति हैं तो देश में ये तीन बातें हैं। लेकिन एक बात और है कि यह समाजवाद है क्या? कांग्रेस का समाजवाद है क्या आखिर में? आज आप देखते हैं कि कई लोग समाजवादी पार्टी के कम्युनिस्टों पर लाँछन लगाते हैं, काट छाँट करते हैं तो आखिर हम समाजवाद में चाहते क्या हैं? एक बात जरूर है कि समाजवाद के मूल्य की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, व्यक्ति की इज्जत करना चाहते हैं, पूँजीवाद के विकास को मिटाना चाहते हैं, पूँजीवाद की कीमत को कम करना चाहते हैं और उसको कम करने की विचारधारा है सीलिंग बिल को लाने में। यदि आप पूँजीवाद को कायम रखना चाहते हैं और ऐतिहासिक सत्य को कायम रखना चाहते हैं कि जिसके पास सम्पत्ति है वह सब कुछ कर सकता है तो मैं यह कह सकता हूँ कि आप कांग्रेस के उसूल को भुला रहे हैं। जो सलेक्ट कमेटी बैठी थी उसने इस उसूल को समझा नहीं, इसलिए यहाँ यह प्रश्न उठा।

समाजवाद में यदि आप मनुष्य की प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहते हैं तो आप को उसके उसूल के अनुसार चलना पड़ेगा। एक बार श्री उच्छंगराय ढेबर ने कहा था कि हिन्दुस्तान की समस्या है खेती और मजदूरी की। देश के कोने कोने में और गाँव गाँव में हिन्दुस्तान बसता है। तो गाँवों में बसनेवाले किसान खेतिहर मजदूर हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कानून बना रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि किसान उन्हीं खातेदारों के नीचे काम करते रहें और मेकेनाईज्ड फार्म के नाम से दूसरे लोग उनका शोषण करते रहें। यदि ऐसा है तो समाजवाद के नाम को बार बार दोहराना और उसके ढाँचे के नाम पर दुनिया के

(श्री मूलचन्द डागा)

सामने दुहाई देना और साथ ही साथ यह दिखाना कि मनुष्य का शोषण अर्थ के आधार पर हो सकता है, यह कतई उचित नहीं है। दौलत के आधार पर ट्रैक्टर और मशीन रख सकता है, दुनिया को धोखा दे सकता है और यहाँ आकर एम. एल. ए. शिप कर सकता है और जो निजी तौर पर जमीन जोत नहीं सकता, हल की मिट्टी जिसने अपने शरीर पर नहीं डाली है और जो हल की मूंट तक पकड़ना नहीं जानता है वह शख्स यदि समाजवाद का नारा लगावे और सीलिंग बिल पास होने के बाद भी अपनी पोजिशन को बनाये रख सके तो इससे बढ़ कर दुर्भाग्य की बात कौन सी हो सकती है ? हमारा सीलिंग लाने का उद्देश्य यह है कि देश में डिसपेरिटी को कम करना चाहते हैं। नीचे को ऊँचा उठाना चाहते हैं और ऊंचे को समानता के स्तर पर लाना चाहते हैं हम इस उसूल को मानते हैं न कि व्यक्ति की पूजा करना चाहते हैं। एक बार श्री प्रतापसिंह कैरों ने कहा था कि हम नोकर को नोकर नहीं बल्कि साथी कहना चाहते हैं। दूसरी ओर आप चाहते हैं कि खेतिहर मजदूर उस व्यक्ति के नीचे काम करे जो उसका शोषण करना चाहता है। आप शोषण किस चीज को मानते हैं। शोषण का मतलब दौलत के आधार पर, पूँजी के आधार पर दूसरों के पसीने की कमाई और मुनाफे से आराम करे।

४. ४० म० प०

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं देखता हूँ बड़े किसान लोगों को आप मौका दे रहे हैं। वहाँ क्रांति करनी है, गाँवों के अन्दर एक बड़ा इन्कलाब आ रहा है। आज राजस्थान की जनता पढ़ी लिखी जनता नहीं है। उसका फायदा इस कानून को बना कर उठा सकते हैं लेकिन जब जनता पढ़ी लिखी होगी तब आनेवाली पीढ़ी कहेगी कि ऐसा कानून बनाया गया, जब कि अवसर था, जब क्रांतिकारी कानून बन सकता था। आज जनता पढ़ रही है। वह कहेगी कि उस समय, उस जमाने में भी चाहते थे कि मजदूर गुलाम बने। समाजवाद का मकसद क्या है ? आज आर्थिक समीक्षा के पत्र निकलते हैं, उनमें साफ है कि हम मानव की प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हैं। पैसे के आधार पर नहीं, दौलत के आधार पर नहीं, आर्थिक और सामाजिक ढाँचे पर जो क्षीण और निकम्मा हो चुका है उसको बदलना चाहते हैं, जो धन के आधार पर भेद है उसमें कमी करना चाहते हैं, हम दौलत के आधार पर जो भेद है, उसमें कमी कर दें। दौलत के कारण मेकेनाईज्ड फार्म बन गये, दौलत ने बड़े बड़े खेत ले लिये उनके साथ होरा, काना, गुल्ला काम करें और मालिक मोटर लेकर जाये और पूछे कि क्या काम किया ? आज मेकेनाईज्ड फार्म की जो डेफिनेशन है उसके लिये मुझे बतायें कि समाजवाद के ढाँचे के साथ उसे लगाना क्यों चाहते हैं ? आप यह सोचते कि अमेरिका और इंग्लैंड में क्या है, जिसे आप पूँजीवाद कहते हैं ? आज रूस के मार्क्सवाद और लेनिनवाद के लिए कहते हैं कि ८० वर्ष पुराना हो चुका है इसलिए इसको लागू नहीं कर सकते। कम्युनिस्टों ने अमृतसर में एक प्रस्ताव पास किया और केरल में जाकर पूंजीपतियों से संगठन किया। हमने कहा कि हम इस नीति को बर्दाश्त नहीं करते। सवाल यह

(श्री मूलचन्द डागा)

है कि इंग्लैंड में मजदूर को १०० पौन्ड मिलते हैं और एक ऑफिसर को २५० पौन्ड मिलते हैं, इतनी डिसपेरिटी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सीलिंग बिल के लिए एक हवा थी। जिन्दगी में लोगों ने सोच रखा था कि बड़े काश्तकारों जिन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें दबा कर रखी हैं उनका विभाजन होगा और उसके एक टुकड़े पर मैं भी काश्त करूंगा कुछ माननीय सदस्यों से मैं चाहता हूं कि आप बात न करें। ठीक है, आप बात करना चाहें तो धीरे करें.......

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Daga, we will be more glad to be enlightened by your views in relation to the Bill itself.

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल था हुकम। बिल का मुख्य उद्देश्य था। मैं चाहता हूँ कि सीलिंग के बिल को बनाने का मकसद क्या है ? सीलिंग का बिल नाम लिखने की कोशिश नहीं की ! आपने नाम रखा है राजस्थान टिनेन्सी (सिक्स्थ अमेन्डमेंट) बिल। मैं समझता हूँ कि जिसके आधार पर मंत्री महोदय ने इस बिल को बनाने की कोशिश की उन्होंने समाजवाद की रूप रेखा रखी है, जिसका भावी नक्शा खींचा है दुनिया के सामने लेकिन जिस समाजवाद को कायम करना चाहते हैं वह नाम किस कारण नहीं देना चाहते हैं ? मेरा सवाल है कि आप विनोबा भावे का स्वागत करते हैं और कांग्रेस सरकार विनोबा भावे के चरण स्पर्श करती है लेकिन आपका उद्देश्य, आपके मन की कामनाएँ इस बिल में नहीं दिखती हैं इसका क्या मकसद होगा ? आपकी सारी इच्छायें इसमें प्रतिबिम्बित नहीं होती हैं, उसकी छाया नहीं पड़ती है तो मैं समझता हूं कि जिस समाजवाद के नक्शे को दुनिया के सामने रखा जाता है, वह क्या है ? एक बात मैंने यह रखी।

दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह है खेतीहर मजदूरों की समस्या। जब सर्वेक्षण किया गया इस बात का......(कुछ माननीय सदस्यों की ओर संकेत कर) मैं उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इतनी जोर से बातें न करें, जो करना चाहें वे धीरे करें।.....

श्री उपाध्यक्ष : Do you think that I am talking with somebody ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं। मैंने कहा दूसरे न करें।

एक सवाल था कि उन्होंने बतलाया कि कम से कम हिन्दुस्तान में, गाँवों में कोई रोजगार का काम करनेवाले लोग थे, चमार थे, जुलाहे थे, और काम करने वाले थे वे रोजगार ठंडे हो गये क्योंकि मशीन युग आया और उसके बाद वे रोजगार जिनमें लोग हाथ से काम करते थे नहीं रहे। इसलिए मशीन के बजाय जो खेतीहर मजदूर ज्यादा बढ़ चुके हैं और जो गांव गांव में उपलब्ध हैं उनको लगाने के लिए आवश्यक होगा कि हम भूमि की सीमा निर्धारित करें। उनकी राय यह थी कि दूसरे और मजदूरों के लिए जो खेतीहर मजदूरों के सिवाय न सोचें। आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार मेकेनाईज्ड फार्म बने ? आपको मालूम है कि राजस्थान में जितने फार्म बनाये हैं सरकार ने वे मेकेनाइज्ड फार्म की डेफिनेशन में आयेंगे क्योंकि उसकी परिभाषा साफ नहीं है, यह बिल इस ओर इंगित नहीं करता है, न संकेता करत है कि

(श्री मूलचन्द डागा)

मेकेनाइज्ड फार्म किसको कहते हैं ? आखिर क्या डेफिनेशन होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मेकेनाइज्ड फार्म का नाम कहाँ पढ़ा आपने ?

श्री मूलचन्द डागा : यह है : 'efficiently managed mechanised farms......"

हाँ, तो और ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश की......

श्री उपाध्यक्ष : एफीशियेन्टली मेनेज्ड

(हँसी)

श्री मूलचन्द डागा : मुझे अब मालूम हुआ, मेरे दिमाग में था मेकेनाईज्ड फार्म आपने उसे और लिबरल बना दिया । मेकेनाईज्ड फार्म की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका इशारा करना । आपको मालूम हुआ कि कुछ ऐसे फार्म थे जो पूँजीवादी किसानों ने और पूँजीवादी एक्स जागीरदारों ने खरीद कर बना दिये हैं । इसकी परिभाषा यह है और इसकी जाँच करेंगे तहसीलदार या एस. डी. ओ. कि ये फार्म अफीशियेन्टली मेनेज्ड हैं या नहीं ? अब एक सवाल यह है कि इसकी जाँच के लिये किसको रखेंगे, कोई जुड़िशियल ऑफिसर जाँच करके देगा कि यह फार्म अफीशियेन्टली मेनेज्ड है ? पहले मैकेनाईज्ड फार्म आपकी रिपोर्ट में था अब इसमें आपने लम्बा चौड़ा, गोलमाल शब्द दे दिया : "efficiently managed, specialised farms registered in the prescribed manner for cattle breeding, horse breeding, sheep breeding, wool raising and dairying......

उसके बाद उन्होंने कह दिया साहब, फिर नई चीज दी है.......

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Daga.

श्री मूलचन्द डागा : "........other efficiently managed farms which consists of compact blocks and whose........"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! I will solve that tangle for you. हम १० मिनट पूर्व आज एडजोर्न करेंगे । इसलिये कि हमें कॉमन वेल्थ पार्लियामेन्ट्री एसोसियेशन की समस्या हाउस के सम्मुख प्रस्तुत करनी है । I hope you will continue tomorrow.

श्री मूलचन्द डागा : जी हुकम ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन किया ।

श्री मूलचन्द डागा : कल के लिए समय दे दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आप आसन ग्रहण करें । कल आप १० मिनट में समाप्त कर देंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : सब के लिये समय नहीं था । एट-लीस्ट ४५ मिनट दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने १० मिनट पहले एडजोर्न होने की बात कही । मैं आपके १० मिनट लेना उपयुक्त समझूँगा, कॉमन वेल्थ पार्लियामेन्ट्री एसोसियेशन के सम्बन्ध में । इसके बारे में कल रेजोल्यूशन पास किया

(श्री उपाध्यक्ष)

था । अतः इलेक्शन आज करना है। एडजोर्न होने के बाद हम इनफॉर्मली तरीके से मीट करेंगे। हम इनफॉर्मली इस हाउस में मीट कर नहीं सकते, इसके लिए रूल ३०० है, इसको रिलेक्स करना पड़ेगा : "300. **Restrictions on use of the Chember of House :**—The Chamber of the House shall not be used for any purposes other than the sittings of the House." मैं हाउस का सेंस चाहूँगा कि इस काम के लिए एडजोर्न होने के बाद यहाँ मीट करने के सम्बन्ध में रूल को रिलेक्स कर दिया जाय।

क्या हाउस की सम्मति है कि रूल को रिलेक्स कर दिया जाय।

(सम्मति प्राप्त हुई)

रूल रिलेक्स किया गया

श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : मैं समझता हूँ कि हाउस को यूज कर रहे हैं, पार्लियामेन्ट्री काम के लिए......

श्री उपाध्यक्ष : Let us take a safer interpretation. तो एडजोर्न होने के पूर्व मैं निवेदन कर दूँ सदन से कि सदन की कार्यवाही इनफॉर्मली तरीके से पार्लियामेंट्री एसोसियेशन के सम्बन्ध में होगी। अभी हाउस एडजोर्न हो जायेगा, उसके बाद माननीय सदस्यगण यहीं बैठेंगे और मैं कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसियेशन के सम्बन्ध में स्थिति रखूँगा।

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनुपरान्त सदन की कार्यवाही ४ बज कर ५० मिनट पर, बृहस्पतिवार, दिनाँक १३-८-५६ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।]

संक्षिप्त-विवरण

बुधवार १२ अगस्त, १६५६

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर		पागल कुत्तों के काटने के इलाज की व्यवस्था।	
जोधपुर डिविजन के चिकित्सालयों में बिजली के पंखे।		भीनमाल, जिला जालोर के नगरपालिका क्षेत्र की सहकारी समितियां।	
सीकर में उत्सवों पर बिजली दर में वृद्धि।		जयपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर का कार्यालय किशनगढ़ से दौसा लाने की योजना।	
राहुवास सड़क का निर्माण।		पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हैडक्वार्टर के स्टाफ का अलाउन्स।	
झुंझुनूं अस्पताल के डॉक्टरों की मरीजों के प्रति लापरवाही।		तहसील नोखा में जल बोर्ड द्वारा कुओं का निर्माण।	
टोंक अदालत में मुलजिम एवं गवाहान को फरार करने की घटना।		गुड़गांव नहर की योजना।	
टाटा मरकेडीज बेन्ज (Mercedes Benz) चेसिसेज, पर स्टील के दस बॉडीज व केबिन्स के निर्माण के लिए टेन्डर।		परबतसर नगरपालिका के १६५८ के चुनावों के पश्चात् रिजर्व सीट्स के लिए मनोनीत नाम।	
अकलेरा के थानेदार श्री किशोरसिंह के विरुद्ध रिश्वत का आरोप।		देहली की किसी फर्म को एलोपेथिक औषधियां सप्लाई करने का ऑर्डर।	
प्राइवेट पावर हाउसेज के कर्मचारियों की सर्विस को चालू मानना एवं सुविधाएँ।		मजदूर सोसायटी, डीडवाना (नागोर) को प्राप्त धन राशि।	
१०० मन से अधिक गल्ला रखने के लिए लाइसेन्स।		ग्राम ढ़ाढ़ौत, तहसील खेतड़ी का स्कूल भवन।	
संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क विभाग से एक्सप्लेनेशन मांगना।		खेरीबांध परियोजना के निर्माण पर कुल व्यय।	
जिला जयपुर के अस्पतालों में			

पंचायत सांचोर द्वारा भूमि विक्रय।

जयपुर-देहली वाया कोटपुतली रूट का राष्ट्रीय मार्ग घोषित होना।

जिला जालोर के व्यक्तियों से धान का रिक्वीजीशन।

छोटी सादड़ी थाने में चोरी हुई घड़ी का मामला।

नगरपालिका इन्द्रगढ़ की जन-संख्या।

अंग्रेजी में छपे गल्ला लाइसेन्स फॉर्म।

ग्राम सोप, तहसील अलीगढ़ में ग्राम पंचायत का चुनाव।

जयपुर और बीकानेर में कोयले का वितरण।

राजस्थान जल बोर्ड की बकाया रकम।

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्व श्री श्रीमान-सिंह, गिरधारीलाल व महेन्द्रसिंह पंवार ने इस आशय के संशोधन प्रस्ताव रखे कि इसे पुनः उसी/अन्य प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।

निम्नलिखित सदस्यों ने बहस में भाग लिया :—

(१) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(२) श्री चन्दनमल वैद
(३) श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा
(४) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
(५) श्री सोहनलाल भटनागर
(६) श्री मुरलीधर व्यास
(७) श्री मूलचन्द डागा

गुरुवार दिनांक १३ अगस्त, ५९ की कार्य सूची

१. राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक १९५८।

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर देखिये]

१. कोई कार्यवाही नहीं, क्योंकि राहूवास सड़क द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है.

२. इसी प्रकार मंड़ावरी से खुर्रा तक भी सड़क बनाने की कोई योजना नहीं है, लालसोट कस्बे में स्कूल के लिए इमारत खरीदने का संबंध शिक्षा विभाग से है।

राहूवास नाले पर पुल बनाने की भी कोई योजना नहीं है। यह सिंचाई विभाग के बंध टूटने से नाला बना है और सिंचाई विभाग को इस संबंध में लिखा गया है.

बामनवास से गढ़भोरा तक सड़क इस योजना में स्वीकृत नहीं है।

———

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४ का उत्तर देखिए]

क्र० सं०	नाम सह० समिति	ता० रजिस्ट्रेशन	ऋण जो दिया गया तारीख	ऋण	अनुदान जो दिया गया तारीख	अनुदान	यह रकम कहां से दी गई
१–	भीनमाल चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि० भीनमाल	१–११–१९५५	२५–८–५८ ३१–३–५९	४,०००) ९,७५०)	३१–३–५९	८,२५०)	प्रथम उद्योग विभाग से और दुबारा खादी बोर्ड से
२–	चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि० भीनमाल।	१५–३–५८	२५–८–५८	५,०००)	३१–३–५८	२,५००)	,, ,, ,,
३–	कृषि बहुधन्धी सहकारी समिति लि० भीनमाल।	१५–१–५८	२९-१–५९	४,८००)			को-ऑपरेटिव बैंक, जोधपुर से।
४–	बर्तन उत्पादक सहकारी समिति लि० भीनमाल।	१३–३–५९					अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसने अब ऋण माँगा है जिसका प्रार्थना पत्र ता० १८–७–५९ को उद्योग विभाग में भेज दिया गया है। वहाँ से शीघ्र मिलने की आशा है।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर देखिए)

Statement Showing Distt.-Wise Sanctioned Strength of Executive Staff Posted At Distt. Hd. Qrs.

District.	Prosecuting	Branch.			Distt. Spl.	Branch.			Crime Branch.		
	PI	SI	HC	Consts.	CI	SI	H.C.	Const.	SI	HC	Cons.
1. Ajmer.	1	6	8	7	—	3	3	10	1	1	10
2. Jaipur.	1	4	6	7	1	5	8	20	1	3	7
3. Sikar.	1	2	5	5	—	1	4	6	1	2	4
4. Jhunjhunu,	1	2	5	5	—	3	9	8	1	2	4
5. Sawai-Madhopur.	1	2	5	5	—	3	6	8	1	2	4
6. Tonk.	1	2	2	3	—	1	4	6	1	2	4
7. Alwar.	1	3	6	5	—	1	2	8	1	2	4
8. Bharatpur.	1	4	7	5	—	1	2	8	1	2	4
9. Jodhpur.	1	7	10	7	—	2	5	15	1	2	4
10. Pali.	1	2	5	5	—	1	1	6	1	2	4
11. Barmer	1	2	5	5	—	2	6	20	1	2	4
12. Jalore.	1	2	5	5	—	1	1	6	1	2	4
13. Nagaur.	1	2	5	5	—	1	1	6	1	2	4
14. Jaisalmer.	1	2	5	5	—	2	6	20	1	2	4
15. Sirohi.	1	1	4	5	—	1	1	6	1	2	4
16. Bikaner.	1	3	6	6	—	2	2	10	1	2	4
17. Churu.	1	1	4	4	—	1	1	6	1	2	4
18. Ganganagar.	1	2	4	4	—	2	2	10	1	2	4
19. Udaipur.	1	4	7	6	—	5	4	18	1	2	8

20.	Chittor.	1	1	4	5	—	2	2	10	1	2	4
21.	Bhilwara.	1	3	6	5	—	2	4	10	1	2	4
22.	Banswara.	1	2	5	5	—	1	2	8	1	2	4
23.	Dungarpur.	1	2	5	5	—	1	1	6	1	2	4
24.	Kotah.	1	4	7	6	—	3	5	20	1	2	6
25.	Bundi.	1	1	4	5	—	1	2	6	1	1	3
26.	Jhalawar.	1	2	5	5	—	1	2	10	1	1	3

———

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८१ का उत्तर देखिए]

सूची सदस्य डीडवाना मजदूर बहुधन्धीय सहकारी समिति लि०, तहसील डीडवाना

क्रम सं०	नाम सदस्य का	पिता का नाम
१	श्री शिवदानमलजी	श्री गंडारामजी
२	श्री जमालजी	,, मान
३	श्री मुंशी	,, सुलतान
४	श्री करीमखां	,, नाजीखां
५	श्री मुहम्मदसहीद	,, मीहरा
६	श्री रामनाथ	,, मनोहरलाल
७	श्री अल्लाखां	,, अजमेरी
८	श्री बल्लाजी	,, माह
९	श्री हकीम	,, चन्द
१०	श्री इब्राहीम	,, श्रीचन्द
११	श्री हरहदमल	,, श्रीचन्द्र
१२	श्री गनी	,, जमाल

प्रबन्ध सभा की सूची, दिनांक १९-९-५८ से :—

क्रम सं०	नाम सदस्य	पिता का नाम	पद
१	श्री शिवदानमल	श्री गंडाराम	अध्यक्ष
२	श्री जमाल	श्री मान	मंत्री
३	श्री करीमखां	श्री नाजी खाँ	कोषाध्यक्ष
४	श्री बला	श्री मान	सदस्य
५	श्री हकीम	श्री चांद	,,
६	श्री गनी	श्रीजमाल	,,
७	श्री इब्राहीम	श्री महरा	,,

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर देखिए)

(अ)

ग्राम पंचायत, सांचोर

लिस्ट बकाया टाउन प्लानिंग प्लॉट (मकानात) जिनको बेचे गये

नाम ३६ २० गज।

क्रमसंख्या	प्लॉट नम्बर	नाम आसामी	ज़मीन जो दी गई
१	२	३	४
१	५	श्री छोगालाल पिता उम्मेदमल	७२० गज
२	१४	,, किशनलाल	,,
३	१५	,, चुन्नीलाल पिता प्रतापमल	,,
४	१६	,, हासनभाई	,,
५	२३	,, खंगारमल	,,
६	२४	,, भगवानचन्द	,,
७	२५	,, सीरेमल	,,
८	२६	,, जावतराज पिता जीतमल	,,
९	२७	,, जसरूपचन्द	,,
१०	३३	,, मिश्रीमल पिता ईदा	,,
११	३४	,, छोगालाल पिता फूलचन्द	,,
१२	३५	,, राजमल	,,
१३	३८	,, घमन्डीराम	,,
१४	४४	,, जीवराज	,,
१५	४७	,, केसरीमल	,,
१६	४८	,, रीडमल	,,
१७	६	,, चुन्नीलाल पिता लाधा	,,
१८	४	,, शिवलाल	६२॥
१९	१०	,, कालीदास	,,
२०	११	,, किशनलाल	,,
२१	१३	,, जावतराज पिता नेमीचन्द	,,

१	२	३	४
२२	१५	श्री मिश्रीमल पिता कस्तुरचंद	६२।। गज
२३	१६	,, धवलचन्द	,,
२४	१७	,, हरकचन्द	,,
२५	१६	,, कस्तुरा	,,
२६	३२	,, छगनलाल	,,
२७	३८	,, बीरमा	,,
२८	३८	,, नरेन्द्रकुमार	,,
२६	५०	,, जावतमल	,,
३०	२	,, बछराज	७२० गज
३१	१७	,, तिलोकचन्द	,,
३२	२८	,, जीवराज	,,
३३	३७	,, हजारीमल	,,
३४	४५	,, जावतराज	,,
३५	४६	,, मिश्रीमल पिता भाणा	,,
३६	३६	,, नगराज	,,
३७	४३	,, भानमल	,,
३८	१	,, रीडमल	,,
३६	२	,, हरकचन्द	,,
४०	३	,, किशनलाल	,,
४१	५	,, पुखराज	,,
४२	७	,, मुलतानमल	,,
४३	८	,, मिश्रीमल पिता धरपा	,,
४४	६	,, केवलचन्द	,,

१	२	३	४
४५	१२	श्री जवारमल	७२० गज
४६	१४	,, जावतराज पिता कस्तूरचन्द	,,
४७	१८	,, गुणेशचन्द	,,
४८	२०	,, हजारीमल	६२॥ गज
४९	२१	,, अचलचन्द	,,
५०	२२	,, जसरूपचन्द	,,
५१	२३	,, मिश्रीमल	,,
५२	२४	,, मिश्रीमल पिता नगराज	,,
५३	२५	,, छगनराज	,,
५४	३१	,, तिलोकचन्द	,,
५५	३३	,, आसाराम	,,
५६	३४	,, हरुषभाई	,,
५७	३५	,, इब्राहीम	,,
५८	३६	,, जसराज	,,
५९	३७	,, सीरेमल	,,
६०	४१	,, गंगदास	,,
६१	४२	,, छोगालाल	,,
६२	४३	,, जावनराज	,,
६३	४४	,, जीता	,,
६४	४५	,, अन्दा	,,
६५	४६	,, नगराज	,,
६६	४७	,, केवलचन्द	,,
६७	४८	,, नगराज	,,

१	२	३	४
६८	४६	श्री बरदीचन्द	६२॥ गज
६६	५१	,, हीरालाल	,,
७०	५४	,, मिश्रीमल	,,
७१	५५	,, मिश्रीमल	,,
७२	५३	,, रिड़मल	,,
७३	५२	,, केशरीमल	,,
७४	४०	,, चुन्नीलाल	,,

परिशिष्ट

(ब)

ग्राम पंचायत, सांचोर

लिस्ट टाउन प्लानिंग मकानात व दूकानात की रकम वसूल हो चुकी है

क्रम संख्या	प्लॉट नम्बर	नाम आसामी
१	२	श्री बछराज
२	१७	,, तिलोकचन्द
३	२८	,, जीवराज
४	३८	,, हजारीमल
५	४५	,, जावतराज
६	४६	,, मिश्रीमल
७	३६	,, नगराज
८	४३	,, मानमल
९	१	,, रीडमल
१०	२	,, हरकचन्द
११	३	,, किशनलाल
१२	५	,, पुखराज
१३	७	,, मुलतानमल
१४	८	,, मिश्रीमल
१५	९	,, केवलचन्द
१६	१२	,, जवारमल
१७	१४	,, जावतराज
१८	१८	,, गुणेशबख्श
१९	२०	,, हजारीमल

१	२	३
२०	२१	श्री अचलचन्द
२१	२२	,, जसरूपचन्द
२२	२३	,, मिश्रीमल
२३	२४	,, मिश्रीमल
२४	२५	,, छगनराज
२५	३१	,, तिलोकचन्द
२६	३३	,, आसाराम
२७	३४	,, हरुषभाई
२८	३५	,, इब्राहीम
२९	३६	,, जसराज
३०	३७	,, सीरेमल
३१	४१	,, गंगदास
३२	४२	,, छोगालाल
३३	४३	,, जावनराज
३४	४४	,, जीता
३५	४५	,, अन्दा
३६	४६	,, नगराज
३७	४७	,, केवलचन्द
३८	४८	,, नगराज
३९	४९	,, बरदीचन्द
४०	५१	,, हीरालाल
४१	५४	,, मिश्रीमल
४२	५५	,, मिश्रीमल
४३	५३	,, रिड़मल
४४	५२	,, केसरीमल
४५	४०	,, चुन्नीलाल

———

परिशिष्ट

(स)

ग्राम पंचायत, सांचोर

लिस्ट बकाया टाउन प्लानिंग प्लॉट मकानात

क्रम संख्या	प्लॉट नम्बर	नाम श्रासामी
१	८	श्री छोगालाल पिता उम्मेदमल
२	१४	,, किशनलाल
३	१५	,, चुन्नीलाल पिता प्रतापमल
४	१६	,, हासन भाई
५	२३	,, खंगारमल
६	२४	,, भगवानचन्द
७	२५	,, सीरेमल
८	२६	,, जावतराज
९	२७	,, जसरूपचन्द
१०	३३	,, मिश्रीमल
११	३४	,, छोटालाल पिता फूलचन्द
१२	३५	,, राजमल
१३	३६	,, घमन्डीराम
१४	४४	,, जीवराज
१५	४७	,, केसरीमल
१६	४८	,, रीडमल
१७	६	,, चुन्नीलाल पिता लाधा
१८	४	,, शिवलाल
१९	१०	,, कालीदास
२०	११	,, किशनलाल
२१	१३	,, जावतराज

१	२	३
२२	१५	श्री मिश्रीमल
२३	१६	,, धवलचन्द
२४	१७	,, हरकचन्द
२५	१६	,, कस्तुरा
२६	३२	,, छगनलाल
२७	३८	,, बीरपा
२८	३६	,, नरेन्द्रकुमार
२६	५०	,, जावतमल

परिशिष्ट ६

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८८ का उत्तर देखिए]

सूची (क)

नकशा धान जो रिक्यूजिशन किया गया है, जिला जालोर ।

न० शु.	नाम आसामियान	स्थान	धान किश्म	धान तादाद	नाम जगह जहां वितरण किया गया	वि. वि
१.	श्री शिवनारायण गोदूलाल	भीनमाल	गेहूं	३४६॥५.१२	जोधपुर जिलाधीश	गेहूं १५.२५
					के पत्र से जोधपुर	
२.	,, बाबूलाल खूमाजी	,,	,,	१५५।४.	गेहूँ ७०२। सेर भेजे ।	१६-१६॥
३.	,, हस्तीमल साकलचन्द	,,	,,	१३४.४		१७॥
४.	,, भक्तावरमल नरमाजी	,,	,,	६५।६.		१८-
५.	,, मनरूपचन्द नेरजी	,,	,,	५७.		
६.	,, फूलचन्द साकलचन्द	,,	,,	३७॥.	१३२॥। तहसील	१८॥-
७.	,, दीपचन्द कालूजी	,,	,,	१२॥.	जसवन्तपुरा के	
					काश्तकारान को	
					दिया गया ।	
८.	,, सावरमल बस्तीमल	,,	,,	२२॥.		१८।,
९.	,, सूरजमल अमरतलाल	बालवाड़ा	,,	२०.		
१०.	,, चुन्नीलाल हरकचन्द	आवलाज	,,	२५.	६६७॥। जालोर	१७॥।-
११.	,, बीदा वल्द भगा	,,	,,	७॥.	समिति को दिया गया ।	१८॥।
१२.	,, बरदा वल्द भगा	,,	,,	५.	१८८॥२८	के भाव
१३.	,, हेमा वल्द भगा	,,	,,	१२॥।.	सरकारी मुलाजमान	
१४.	,, आदिया वल्द नन्दा	सावतपुरा	,,	१५.	मल्टिपर्पज सोसायटी	से लिया
१५.	,, जमना वल्द भूता	,,	,,	२५.	को दिया गया ।	गया
१६.	,, रामा वल्द भगा	,,	,,	२०.	कुल	व २० रु०

१	२	३	४	५	६	७
१७.	श्री रूधिया वल्द चना	सावतपुरा	गेहूँ	३०.	गेहू १,६५१।।१	
१८.	,, चागमल राजूजी	विशनगढ़	,,	२५.	दिया गया।	के भाव
१९.	,, पूनमचन्द मियाचन्द	,,	,,	२५.		से बेचना
२०.	,, चनणमल शैरूमल	आहोर	,,	१०५।१.४		किया
२१.	,, पुखराज पारसमल	विशनगढ़	,,	१२॥.		गया।
२२.	,, भूरमल धमीचन्द	आहोर	,,	१७.३.		
२३.	,, ऊदा वल्द नाथ्या	सामुजा	,,	२॥.		
२४.	,, काना वल्द नन्दा	बेड़िया	,,	६.		
२५.	,, आमा वल्द अचला व	डागरा		२१'.		
	दुर्गासिंह वल्द बिरदासिंह		,,	२५.		
२६.	,, सुमेरसिंह वल्द जैलजी	भवरानी	,,	२५.		
२७.	,, खंगारा वल्द नन्दा	,,	,,	३२॥.		
२८.	,, शंकर लाल वल्द गोकुलचन्द	,,	,,	८७॥.		
२९.	,, काना वल्द भैराजी	,,	,,	१२॥.		
३०.	,, किसना अगरा सुतार	,,	,,	३०.		
३१.	,, मुन्नीलाल दीपाजी	,,	,,	५० मन		
३२.	,, मिश्रीमल सीताराम	सायला	,,	६ मन		
३३.	,, अजिया चमना	संखवाली	,,			
३४.	,, किस्तुरा वल्द हरता व	,,	,,			
	,, जमना वल्द मारती	,,	,,			
३५.	,, किस्तुरा वल्द हरता,	गौथन	,,	१५ मन		
	,, जमना वल्द मोती व					
	,, भक्ता वल्द काना					

१	२	३	४	५	६
३६.	श्री रामा वल्द लच्छा व ,, जोधा वल्द जेठा	खारा	गेहूं	८० मन	
३७.	,, रूपाराम मगराम व ,, रूड़ाराम सोनाराम	साथला	,,	३० मन	
३८.	,, बगना वल्द पीता	सखवाली	,,	१२।। मन	
३९.	,, विजय।राज समरथराज	अलाना	,,	२० मन	
४०.	,, भेजाराम जेरिया	बालदारा	,,	४०।।५.	
				१६९१।।१.	

सोला सो इकानवे मन इक्कीस सेर

परिशिष्ट

सूची (ख)

क्र.सं.	नाम मय आसामियान	स्थान	लाइसेन्स है नहीं	या किस्म	धान तादाद मन	सेर	छटांक	किस भाव से लिया गया	किस भाव से बेचा गया	नाम जगह जहाँ वितरण किया गया	कुल रिक्विजीशन में क्या स्टोक	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६			७	८	९	१०	११
१.	शिवनारायण गोदूलाल	भीनमाल	है	गेहूँ	३४६	२५.	१२	१८.५० न० पै०	जोधपुर में २० रु०	जोधपुर जैसलमेर में	४३६२ मन, २० सेर	जालोर नगर
२.	बाबूलाल सूमाजी	,,	,,	,,	१५५	१८.	०	१८.७५ ,,	के भाव से	,,	५६० मन	
३.	हस्तीमल साकलचन्द	,,	,,	,,	१३४	४.	०	,, ,,	बेचा गया	,,	२९५ मन	समिति
४.	भगतावरमल नरनाजी	,,	,,	,,	६५	१६.	०	,, ,,	,,	,,	४४१ मन, २२ सेर	सरकारी
५.	मनरूपचन्द नैनजी	,,	,,	,,	५०	०.	०	,, ,,	,,	,,	११२ मन, ३० सेर	
६.	फूलचन्द साकलचन्द	,,	,,	,,	३७	२०.	०	,, ,,	,,	,,	५४ मन	
७.	दीपचन्द कालूजी	,,	,,	,,	१२	२०.	०	,, ,,	,,	,,	२५ मन	मुलाजमान
८.	सायरमल बस्तीमल	,,	,,	,,	२२	२०.	०	,, ,,	,,	,,	स्टाक नहीं आया	को-ऑप्रेटिव
९.	सूरजमल अमरतलाल	,,	,,	,,	२०	००.	०	१७.८१ न० पै०	१९.	जालोर	३५ मन, २६ सेर, ८ छ.	सोसाइटी
१०.	चुन्नीलाल हरकचन्द	आलवाज	,,	,,	२५	००.		१०.८० न० पै०	,,	,,	२२९ मन, १० सेर	द्वारा धान
११.	वारदा वल्द मगा	,,	नहीं	,,	७	२०.	०	,, ,,	,,	,,	—	१८ रु०मन से
१२.	बरदा वल्द मगा	,,	,,	,,	५	०.	०	१७.५० ,,	,,	,,	—	बेचा
१३.	हेमा वल्द मगा	,,	,,	,,	१२	२०.	०	,, ,,	,,	,,	—	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१४.	आदिया वल्द नवा	सावतापुरा	नहीं	गेहूँ	१५ ०.	१७.५० न. पै.	१६	जालौर	—	
१५.	जमना वल्द भूरा	,,	,,	,,	२० २०. ०	१८.०० ,,	,,	,,	—	
१६.	रामा वल्द मगा	,,	,,	,,	७ २०. ०	१८.०० ,,	,,	,,	—	
१७.	रूपिया वल्द ऊना	,,	,,	,,	१७ २०. ०	१८.०० ,,	,,	,,	—	
१८.	बागमल रामजी	विशनगढ़	है	,,	३ ०. ०	१७.६२ ,,	,,	,,	४० मन, २० सेर	
१९.	पूनमचन्द मियाचन्द	,,	,,	,,	२२ ०. ०	१६.०० ,,	,,	,,	७१४, १३ सेर, ८ छटांक	
२०.	भूखराज पारसमल	,,	,,	,,	१२ २०. ०	१५.०० ,,	,,	,,	१७० मन	
२१.	भूरमल अमीचन्द	अहोर	,,	,,	१०५ १६. ८	१६.५० ,,	,,	,,	स्टाक नहीं आया	
२२.	चन्दनमल सेसमल	,,	,,	,,	१० ३. ०	१६.५० ,,	,,	,,	१०५ मन	
२३.	ऊदा वल्द नाथा	सामुआ	,,	,,	२१ २०. ०	१६.५० ,,	,,	,,	—	
२४.	काना वल्द नाथा	बेरिया	,,	,,	६ ०. ०	१५.२५ ,,	,,	,,	—	
२५.	आमा वल्द उदला	,,	,,	,,	२५ . ०	१५.७५ ,,	,,	,,	—	
२६.	सुमेरसिंह वल्द धोघाजी	बहुरानी	नहीं	,,	२५ ०. ०	१६.२५ ,,	,,	,,	—	
२७.	लँगारा वल्द नन्दा	,,	,,	,,	२५ ०. ०	१६.२५ ,,	,,	,,	—	
२८.	शंकरलाल वल्द गोकुलचन्द	,,	,,	,,	२५ ०. ०	१६.२५ ,,	,,	,,	—	
२९.	काना वल्द भैराजी	भवरानी	,,	,,	३२ २०.।०	,, ,,	,,	,,	—	
३०.	किसना अमरा सुतार	,,	,,	,,	८० २०.	,, ,,	,,	,,	—	
३१.	मुनीलल दीपाजी	,,	,,	,,	३० ०. ०	१६.०० ,,	,,	,,	—	
३२.	मिश्रीलाल वल्द सोनराज	सांवला	,,	,,	५० ०. ०	१८.०० ,,	,,	,,	—	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
३३.	अजीया चमना	संलवाली	नहीं	गेहूँ	६ ०.०	१८.५० न. पै.	१९	जालौर	—	
३४.	कस्तुरा वल्द हरवा व जमना वल्द मोती व भक्ता वल्द काना	गौथन	,,	,,	१५ ०.०	१८.० ,,	,,	,,	—	
३५.	रूपाराम मनाराम व रूड़ाराम वल्द सोनानारायण	साथला	,, ,,	,, ,,	३० ०.०.	१८.७५ ,,	,,	,,	—	
३६.	रामा वल्द लच्छा व जोधा वल्द जेटा	खारा	,,	,,	८० ०.०	,, ,,	,,	,,	—	
३७.	वगना वल्द पीता	सँखवाली	,,	,,	१२ २०.०	१८.२५ ,,	,,	,,	—	
३८,	विजयराज समरथराज	अलाना	,,	,,	२० ०.०	१७.५० ,,	,,	,,	—	
३९.	भेजराज जेरिया	बालदारा	,,	,,	४० २५.०	१८.०० ,,	,,	,,	—	

परिशिष्ट ७

(प्रश्न काल में न लिये जा सकनेवाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

नगरपालिका चाँदीकुई द्वारा जमीन का अलॉटमेन्ट

८२. श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि चांदीकुई नगरपालिका को अपने क्षेत्र में जमीन के पट्टे देने की शक्ति १९ मई, ५७ को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इससे पूर्व भी अनधिकृत रूप से नगरपालिका द्वारा पट्टे किये गये ?

२. क्या यह सही है कि जमीन नीलाम करा कर ही बेची जानी चाहिये परन्तु नगरपालिका चाँदीकुई जमीन को नीलाम न करके यों ही पट्टे कर देती है ?

३. क्या यह सही है कि मकानों के लिये जमीन के पट्टे आठ आने फी गज में किये गये जब कि भाव इससे कहीं ऊंचे थे ? क्या सरकार इन बातों की जांच करा रही है ?

४. क्या मेसर्स मोतीलाल छाजूलाल को सिकन्दरा रोड़ बसवा रोड़ व स्टेशन रोड़ पर जमीनें दी गई हैं ? यदि हाँ, तो एक ही व्यक्ति को इतनी भूमि देना जब कि बहुत सी दर्ख्वास्तें पड़ी हों कहाँ तक न्यायसंगत है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । मार्च, १९५६ में प्रदत्त की गई है । इससे पूर्व पट्टे नहीं किये हैं । मई १९, १९५७ को सरकार द्वारा नगरपालिका को जमीन सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं दिये हैं ।

(२) जी हां । उन जमीनों पर जिन पर खाम मकान बने हुये हैं और रहनेवालों के ६० व ७० वर्ष से करीब कब्जा है पट्टे बिना नीलाम किये कब्जे के लिहाज से नजराना लेकर दिये गये हैं ।

(३) पट्टे जमीनों के कब्जे व जमीन के महत्त्व को देखते हुए अलग अलग दरों पर किये हैं । प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

(४) केवल स्टेशन रोड पर खाम मकान बनाने की इजाजत दी गई है पट्टा नहीं दिया गया है व साढ़े चार फीट जमीन स्टेशन रोड पर बने हुये मकान के सामने दी गई है। जमीन देने के समय नगरपालिका के पास और कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ नहीं था ।

भाखरा नांगल परियोजना के अन्तर्गत चुरू जिले को उपलब्ध बिजली

८३. **श्री रावतराम** (चुरू) :— क्या विद्युत् मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) भाखरा-नांगल परियोजना के अन्तर्गत चुरू जिले के किन किन गांवों को बिजली उपलब्ध होगी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) प्रति यूनिट क्या चार्ज होगा और प्रत्येक गांव में कितनी मात्रा में बिजली मिल सकने तो संभावना है ?

उत्तर

(१) जिन २ गांवों को भाखरा नांगल परियोजना के अन्तर्गत बिजली मिलनी है वह सूची "अ" में अंकित है ।

(२) **छोटे उद्योग धन्धे** : सवा आने से पौने दो आने तक प्रति यूनिट । मिनियम चार्जेज ३६) रु० हर बी. एच. पी. पर साल ।

खेती एवं कुटीर उद्योग :-सवा आने से डेढ़ आने तक प्रति यूनिट । मिनियम चार्जेज ३६)रु० हर बी० एच० पी० हर साल ।

व्यापारिक पावर व लाइटिंग : डेढ आने से पांच आने तक प्रति यूनिट मिनिमम चार्जेज २ रू० पहले किलो वाट कनेक्ट लोड तथा डेढ रू० हर अतिरिक्त १ प्रति किलो वाट के लिए ।

घरेलू पावर व लाइटिंग : एक आने से पांच आने तक हर प्रति यूनिट । मिनियम चार्जेज डेढ रू० पहले एक किलो वाट के लिए और एक रू० हर अतिरिक्त किलो वाट के लिए ।

स्ट्रीट लाइटिंग : सवा दो आना प्रति यूनिट । उपर्युक्त बिजली की दरों के अतिरिक्त १५ प्रतिशत तक और चार्जेज लिये जायेंगे । प्रत्येक स्थानों में जितने परिवार बिजली लेना पसन्द करेंगे दी जा सकेगी ।

———

सूची (अ)

१. राजगढ़	New Station		)	
२. रतनगढ़	Old		)	
३. चुरू	,,	,,	)	
४. सुजानगढ़	,,	,,	)	आवश्यकतानुसार बिजली दी जा
५. सरदारशहर	,,	,,	)	सकेगी।
६. डूंगरगढ़	,,	,,	)	
७. देपालसर और रतनगर		,,	४२ के डब्लू	Estimated) requirements
८. ताल छापर	,,	,,	६५ के डब्लू	
९. बीदासर	,,	,,	७३ के डब्लू	
१०. सांडवा	,,	,,	१६ के डब्लू	
११. राजलदेसर	,,	,,	८२ के डब्लू.	
१२. परसनेउ	,,	,,	६ के डब्लू.	
१३. मोमासर	,,	,,	२७ के डब्लू.	
१४. सूडसर	,,	,,	२६ के डब्लू.	
१५. तारानगर	New		९० के डब्लू.	

———

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १२ अगस्त १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
५१७	अन्तिम से ४	क्लॉज	क्लोज्
५१८	७	क्लॉज	क्लोज्
,,	१३	७७	७८
५१९	२२	सरकारी	सरकार
५२७	अन्तिम से ४	allgotion	allegation
५२९	८	Kherit	Kheari
५३१	१५	'अ' एवं 'क'	'अ' एवं 'ब'
५४३	शीर्ष	११ अगस्त, ५९	१२ अगस्त, ५९
,,	१२	independant	independent
५४७	१८	श्री दौलतराम (सारण)	श्री दौलतराम सारण
५५१	अन्तिम से ७	odhpur	Jodhpur
,,	अन्तिम से ३	electrocity	electricity
५५२	अन्तिमसे ६-७	receutly	recently
५६३	अन्तिम से ६	gong	going
५६४	७	taking	talking
५७२	१४	बात दीजिये	बता दीजिये
५७७	२२	स्लेकटेर	सलेक्टेड
५७८	अन्तिम	एडजोनमेंट	एडजोर्नमेंट
५७९	६	appoint	a point

१	२	३	४
५८१	शीर्ष	(छुटा संशोधन)	(छुटा संशोधन)
५८१	७	,,	,,
५८३	शीर्ष	,,	,,
५८४	७, १५ व २१	डेस्पेरिटी	डिस्पेरिटी
५८५	७	डेस्पेरेट	डिस्पेरेट
५८५	२३	विवेज	विलेज
५८७	५	फेमिलो	फेमिली
,,	१६	इम्पोटेन्ड चैन्ज	इम्पोर्टेन्ट चेन्ज
५८८	शीर्ष	विधेवक	विधेयक
,,	६	सोलेली	सोल्ली
५८६	अन्तिम से २	submiting	submitting
५६० से ६७४	शीर्ष	विधेवक, ५६	विधेयक, ५८
५६१	६	चहोने	होने
५६४	अन्तिम से ६	श्री दामोदरलाल व्याध	श्री दामोदरलाल व्यास
५६५	अन्तिम से ४	मोशम	मोशन
६०५	५	एग्रीक्लचरिस्ट	एग्रीकल्चरिस्ट
६११	अन्तिम से २	की	को
६१३–१४	८	क्याकि	क्योंकि
६२२	२२	हार्थिक	आर्थिक
६३६	अन्तिम से ६	कानूत	कानून
६३७	७	इक्टन	इकठा
६३८	अन्तिम से ६	से मी	से भी

१	२	३	४
६४०	४	उसको मी	उसको भी
६५६	१८	इम	इन
६६१	२२	मैनेज	मैनेज्ड
,,	२५	मैजेड	,,
,,	२६	मेवेज्ड	,,
६७३	शीर्ष	४७४	६७४
६७८	१०	जम्बू	ज़म्मू
६७८	१४	assesment at Rs. Mother Distuicts	assesment at Rs. 125 in other districts
,,	२७	Poddy	paddy
,,	२८	epuivalent	equivalent
६८५	प्रथम	(श्रीसोहनकलाल)	(श्री सोहनलाल भटनागर)
६९०	१३	करने काम	करने का काम
६९२से७०६	शीर्षक	विधेयक, ५९	विधेयक, ५८